रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249125
CG-DL-E-04102023-249125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2023/ आश्विन 5, 1945
No. 238] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2023/ ASVINA 5, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

मामला सं. एडीडी (ओआई) - 07/2022

विषय: ''चीन जन. गण. के मूल के अथवां वहां से निर्यातित ''कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त औद्योगिक लेजर मशीनों के आयात" से संबंधित जांच।

फा. सं. 06/07/2022-डीजीटीआर— क. मामले की पृष्ठभूमि

1. शहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली या नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से ''कटिंग,

मार्किंग और वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त औद्योगिक लेजर मशीनों" (जिसे आगे विचाराधीन उत्पादय या पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच शुरू करने और उसके बाद पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है। यह आवेदन लास्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कटिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है।

2. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तथा पर्याप्त प्रथदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 29 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 6/7/2022-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार जांच की शुरूआत की गई ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूगगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क के ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाये तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 2 9सितंबर, 2022 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को भी उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने और विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोधों से अवगत कराने के लिए कहा गया था।

घ. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को और संबद्ध देश के दूतावास के आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति भी भेजी थी ।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास के उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी।

च. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी थी।

i. चोंगकिंग ज़िक्सू मशीन वर्क्स
ii. फ़ोशान बियॉन्ड लेज़र टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iii. जीडी हंस यूमिंग लेजर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
iv. ग्लोरीस्टार डोंगगुआन ग्लोरीस्टार लेजर
v. हंस सोंगु इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
vi. एचएसजी लेजर कंपनी लिमिटेड
vii. जियांग्सू जिनफैंगयुआन सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड
viii. जियांग्सू यावेई चुआंगकेयुआन लेजर इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
ix. जिनान एक्मे सीएनसी इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
x. लियाओचेंग जिंगवेई लेजर इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
xi. एम एस मॉर्न लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xii. एम एस शेडोंग ओरी लेजर टेक्नोलॉजी
xiii. मेवेन लेजर ऑटोमेशन कंपनी लिमिटेड
xiv. शेडोंग होंगनिउ लेजर इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
xv. शेडोंग लीपियन मशीनरी कंपनी लिमिटेड
xvi. शेन्ज़ेन डापेंग लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xvii. शेन्ज़ेन लेई कांग मशीनरी इक्पिमेंट कंपनी लिमिटेड
xviii. वुहान ऑप्टिकल वैली लेजर इक्विपमेंट्स कंपनी लिमिटेड
xix. झेजियांग गुआंगक्सू न्यूमेरिकल कंट्रोल इक्पिमेंट कंपनी

छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

क. हंस समूह

i. जीडी हैन्स युमिंग लेजर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
ii. हैन्स लेजर स्मार्ट इक्विपमेंट कंपनी ग्रुप लिमिटेड
iii. हैन्स लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iv. हैन्स लेजर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड
v .हैन्स एमपी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
vi. सूझोऊ सोंगु इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड

ख. यावेई समूह

i. जियांग्सू यावेई मशीन टूल कंपनी लिमिटेड

ii .जियांग्सू यावेई चुआंगकेयुआन लेजर इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड

ग. ट्रंम्फ

i. ट्रंम्फ वेर्कज़ेउग्मास्चिनेन एसई+ कंपनी लिमिटेड
ii .ट्रंम्फ (चीन) कंपनी लिमिटेड
iii. जियांग्सू जिनफैंगयुआन सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड

घ. एचएसजी

i. एचएसजी लेजर कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण.
ii .जिनान होंग्शी लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड चीन जन. गण.

ड. बिस्ट्रोनिक

i. बिस्ट्रोनिक (तियानजिन) लेजर लिमिटेड चीन जन. गण.
ii .बिस्ट्रोनिक लेजर एजी चीन जन. गण.

च. जिनान बोडोर

i. जिनान बोडोर सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण.
ii .शेन्ज़ेन डीएनई लेजर सीएनसी चीन जन. गण.

छ. ग्वेकी

i. ग्वेकी टेक कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण.

ज. शेडोंग ओरी

i. जिनान ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण.
ii .शेडोंग ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण.

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/प्रयोक्ताओं से आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी थी।

i. एडीके इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस
ii. एजाइल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड
iii. एंगल इंडिया कैड कैम प्राइवेट लिमिटेड
iv. अपोलो टायर्स लिमिटेड
v .अरिहंत मैक्ससेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
vi. अरिहंत मैक्ससेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
vii .ऑटोजेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
viii. चिराग इंटरनेशनल

ix. डिवाइन टेक्नो इंजीनियर्स

x. फोर्स मोटर्स लिमिटेड

xi. ग्लोबल इंडिया ऑटोमोटिव प्रा. लिमिटेड

xii. गोदरेज बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड

xiii. इनवॉल्यूट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

xiv. लेजर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

xv. लुबी इलेक्ट्रॉनिक्स

xvi. महावीर इम्पेक्स

xvii. मीरा लेजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

xviii. मिक्रोनिक्स कैलिब्रेशन सेंटर

xix. एमटेक लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xx. नरोला जेम्स

xxi. पुसान ऑटोमोशन

xxii. साई एआरसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xxiii. श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xxiv. शिवम ज्वेल्स

xxv. सिग्मा मेकहोट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

xxvi. एसपीआर टेक्नोलॉजीज

xxvii. स्टार लेजर टेक्नोलॉजी

xxviii. सुट्टाटी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

xxix. टाटा स्टील लिमिटेड

xxx. ट्रूट्ज़स्क्लर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xxxi. यूफ्लेक्स लिमिटेड

xxxii. वेनुस जेवेल

xxxiii. जेड-एजीआई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

झ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

i. एंगल इंडिया कैड कैम प्रा. लिमिटेड

ii .एपेक्स मशीनरी टेक्नोलॉजी

iii. इलेक्ट्रॉनिका हाईटेक मशीन टूल्स प्रा. लिमिटेड

iv. लेजर टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड

v .मीरा लेजर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड

vi. सारिका इंजीनियर्स

vii. शारदा इंजीनियर्स

viii. एसपीआर टेक्नोलॉजीज

ix .ट्रप्फ (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

ञ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के आयात और निर्यात के लिए चाइना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फार इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलेट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ने क्षति संबंधी अनुरोध प्रस्तुत किये हैं।

ट. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना दिनांक 29 सितंबर, 2022 में पीयूसी की उचित तुलना के लिए प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) विनिर्दिष्ट की थी।

ठ. प्राधिकारी ने प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मंगाई थी और उसके बाद पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 14 नवंबर, 2022 एक सुनवाई की थी। वर्चुअल बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने वाली सभी पक्षकारों से लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

ड. वर्चुअल बैठक में और उसके बाद प्रस्तुत लिखित टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार करने के बाद दिनांक 13 दिसंबर, 2022 को अंतिम पीसीएन पद्धति अधिसूचित की।

ढ. हितबद्ध पक्षकारों से अधिसूचित पीसीएन के अनुसार प्रश्नावली के अपने उत्तर दिनांक 28 दिसंबर, 2022 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था तत्पश्चात् अनुरोध करने पर समय सीमा को दिनांक 11 जनवरी, 2023 तक बढ़ाया गया था।

ण. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को हितबद्ध पक्षकारों के लिए ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया था।

त. प्राधिकारी ने चीन के दूतावास, ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की थी। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी शेयर किया गया था।

थ. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयात के सौदावार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जांच के बाद आयातों की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

द. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा

गया है) ज्ञात की गई थी। ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ध. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों के आवश्यक सीमा तक सत्यापन किया गया है और इस जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है। घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग का वास्तविक सत्यापन भी किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के जरिये संबद्ध देश से प्रतिवादी निर्यातकों के आंकड़ों का सत्यापन भी किया है।

न. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (जिसे आगे पीओआई भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) की है। क्षति जांच अवधि में 2018-19, 2019-20, 2020-21 और पीओआई की अवधि के रूप में विचार किया गया हैं।

प. प्राधिकारी ने नियम 6(6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए 26मई, 2023 को हाइब्रिड पद्धति से एक मौखिक सुनवाई आयोजित की थी। मौखिक सुनवाई में अपने विचार रखने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों को उसके बाद खंडन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए लिखित अनुरोध करने के लिए कहा गया था।

फ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की प्रर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी गोपनीयता दावे को जहां आवश्यक हो, स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

ब. जांच के अनिवार्य तथ्यों जो इस अंतिम जांच के आधार हैं, वाला एक प्रकटन विवरण 7 सितंबर, 2023 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 15 सितंबर, 2023 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण संबंधी टिप्पणियों पर उनके इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना से संगत होने की सीमा तक विचार किया गया था।

भ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम अपनी टिप्पणियां दर्ज किये हैं।

म. प्राधिकारी ने सभी दिये गये तर्कों और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत समझे जाने तक की सीमा तक विचार किया है।

य. इस जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

कक. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 75.37 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

4. जांच शुरूआत के स्तर पर यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे पीयूसी भी कहा गया है) निम्नानुसार था:

> *3. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग प्रचालनों में प्रयुक्त, एसकेडी, सीकेडी रूप में पूर्णत: संयोजित औद्योगिक लेजर मशीनें" हैं। पीयूसी के दायरे में लेजर कटिंग मशीनें (एलसीएम), लेजर मार्किंग मशीनें (एलएमएम) और लेजर वेल्डिंग मशीशें (एलडब्ल्यूएम) शामिल हैं।*
>
> *4. इन मशीनों का प्रयोग धातु/गैर-धातु सतहों पर कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग के लिए किया जाता है। पीयूसी के विशिष्ट अंतिम उपयोग अनुप्रयोग के आधार पर पीयूसी में प्रयुक्त लेजर की शक्ति 3 वाट से 40 किलोवाट के बीच हो सकती है। अन्य कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त सभी लेजर औद्योगिक मशीनों पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।*
>
> *5. विचाराधीन उत्पाद को अध्याय 84, 85 और 90 के अंतर्गत टैरिफ शीर्षों 84561100, 84569090, 8462290, 84798999, 85152190, 85158090 और 90132000 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।*

ग.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

क. पीओआई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित नहीं किये गये उत्पाद प्रकारों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए। आज की तारीख में भी याचिकाकर्ता के पास उनके

उत्पादन की क्षमता नहीं है। प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया घरेलू उद्योग द्वारा वास्तव में विनिर्मित वस्तुओं तक पीयूसी के दायरे को सीमित करने की रही है।

ख. प्राधिकारी से पीयूसी के निम्नलिखित उत्पाद प्रकारों को दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास उनके उत्पादन की क्षमता और सामर्थ्य नहीं हैं।

- डबल हेडेड एलसीएम
- संरक्षात्मक फिल्म एलसीएम
- 500 वाट से कम पावर रेंज वाले एलसीए
- 15 किलोवाट से अधिक लेजर स्रोत शक्ति के साथ 2 डी एलसीएम
- बड़े आकार का गैन्ट्री टाइप एलसीएम
- पंचिंग मशीन के साथ एलसीएम संयोजन
- पूरी तरह से स्वचालित कोइल्ड शीट फाइबर लेजर
- लेजर वाले उत्पाद प्रकार
- 15 किलोवाट से अधिक लेजर शक्ति वाली लेजर कटिंग मशीनें

ग. इस जांच में प्रभावी रूप से अलग-अलग तकनीकी विशेषाताओं, विनिर्देशनों और अंतिम प्रयोग तथा औसत सीआईएफ कीमत वाले तीन भिन्न-भिन्न पीयूसी हैं। प्राधिकारी द्वारा सभी मापदंडों के लिए अलग जांच की जानी चाहिए।

घ. एसएलटीएल के पास लेजर कटिंग मशीन पर पाटनरोधी शुल्क के लिए आवेदन करने की योग्यता नहीं है। एसएलटीएल अप्रत्यक्ष रूप से वह प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है जिसे वह सीधे प्राप्त नहीं कर सकता है। यह तथ्य कि कुछ प्रकार की औद्योगिक लेजर मशीन को पीयूसी में शामिल नहीं किया गया है। दर्शाता है कि उत्पाद एक श्रेणी नहीं है। एडीए और एडी नियमावली उत्पाद किस्मवार योग्यता आकलन को प्रतिबंधित नहीं करती है।

ड. पीयूसी का दायर व्यापक है जो वास्तविक क्षति के प्रतिनिधि आकलन को अनुमति नहीं देता है। *ईसी - नार्वे से फार्म साल्मन* में पैनल की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है। इसलिए एलसीएम, एलएमएम और एमडब्ल्यूएम के लिए क्षति की अलग-अलग जांच करनी होगी। एलएलटीएल केवल एलसीएम के लिए वास्तविक क्षति दर्शाने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह निर्विवाद है कि एलएमएम और एमडब्ल्यूएम के आयातों से एलसीएम के घरेलू उत्पादकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

च. प्राधिकारी से याचिकाकर्ता द्वारा आयातित मशीनों के पीसीएन की जांच करने का अनुरोध किया गया है। यदि समान पीसीएन आयातित हुई है तो इसका अर्थ यह है कि उसे घरेलू उद्योग ने उत्पादित नहीं किया है और इसलिए उसे पीयूसी के दायरे से बाहर रखना चाहिए।

छ. घरेलू उद्योग को उसके द्वारा आयातित मशीनों के पूरे ब्यौरे बताने चाहिए। जांच के दायरे से घरेलू उद्योग द्वारा आयातित उत्पादों को बाहर रखना चाहिए, क्योंकि कलपुर्जों का आयात उन कलपुर्जों के निर्माण में घरेलू उद्योग की अक्षमता का सुबूत है।

ज. सीमी नाक्ड डाउन (''एसकेडी'') और कंपलीटली नॉक्ड डाउन (''सीकेडी'') के रूप में माने गये मशीनों की प्रकारों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सीकेडी को शामिल करने से ऐसी वस्तुओं की जांच के परिणामस्वरूप वे घटक भी शामिल हुए हैं जो वर्तमान कार्यवाही का हिस्सा नहीं हैं। ।

झ. वर्तमान जांच में तीन मशीनें शामिल हैं, परंतु वे अलग-अलग उत्पाद हैं और अंतिम प्रयोग तथा उद्योग भिन्न-भिन्न हैं।

- मशीन के प्रत्येक प्रकार की कीमत अन्य उत्पादों से काफी अलग है।
- उत्पादित मशीनों एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं । अत: एक प्रकार मशीन का उत्पादक दूसरे प्रकार के मशीन का उत्पादन नहीं करता है।
- प्रत्येक मशीन का कार्य दूसरे मशीन से अलग है। अत: उत्पाद एक-दूसरे से तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।
- मशीन के प्रयोग का प्रयोक्ता उद्योग और प्रयोक्ता अलग-अलग हैं।

ञ. *ईसी- साल्मन, ईसी-फास्टनर और हुआवेई टेक्नोलॉजीज* के निर्णय लागू नहीं होते हैं, क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति पीयूसी की प्रकृति की तुलना में काफी अलग है। तीन विभिन्न मशीनों में समान बात लेजर की है जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि केवल लेजर घटक के कारण लेजर मशीन के बीच समानता नहीं स्थापित की जा सकती है।

ट. पीयूसी औद्योगिक लेजर मशीन तथा अन्य लेजर मशीन है। तथापि, घरेलू उद्योग ने स्वयं अन्य प्रकार की लेजर मशीनों को पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया है। जैसे लेजन एन्ग्रेविंग मशीन, लेजर बाइडिंग मशीन, लेजर ड्रिलिंग मशीन और लेजर क्लीनिंग मशीन ।

ठ. लेजर कटिंग मशीन, लेजर मार्किंग मशीन और लेजर वेल्डिंग मशीन को एक साथ विनिर्मित नहीं किया जाता है। भारत में सभी ज्ञात उत्पादक लेजन कटिंग मशीनों के सभी तीन प्रकारों के उत्पादन में शामिल नहीं हैं।

ड. तीन लेजर मशीनों के बीच आयात कीमत के दृष्टि से काफी अंतर है। तीन उत्पादकों के बीच अंतर तैयार रूप या असंयोजित रूप से उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार अलग-अलग उत्पादों को शामिल करने का कोई भी संभव औचित्य पीयूसी पर लागू नहीं होता है।

ढ. जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित पीसीएन 500वाट से अधिक की लेजर पावर वाली मशीन दर्शाते हैं। प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध है कि क्या 500

वाट से कम की लेजर पावर मशीनों जो जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। 500 वाट से कम की मशीनों के 500 वाट से अधिक मशीनों की तुलना में अलग प्रयोग होते हैं।

ग.2 घरेलू उद्योग की ओर से किये गये अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

i. वर्तमान जांच में पीयूसी ''औद्योगिक लेजर मशीनें' पूरी तरह संयोजित, एसकेडी, सीकेडी रूप में हैं जिन्हें कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग प्रचालनों में प्रयोग किया जाता है।

ii. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि एलएमएम (लेजर मेर्किंग मशीन), एलडब्ल्यूएम (लेजर वेल्डिंग मशीन) एलसीएम (लेजर कटिंग मशीन) को शामिल करने से पीयूसी व्यापक हो जाएगा। पाटनरोधी करार या नियमावली ऐसे दिशानिर्देश नहीं बताते कि किस प्रकार या किस तरीके से पीयूसी को परिभाषित किया जाना चाहिए।

iii. कानून या नियमावली में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि पीयूसी के दायरे के भीतर उत्पाद प्रकार आंतरिक रूप से समान होने चाहिए। किसी भी तरह एलसीएम, एलएमएम और एमडब्ल्यूएम अंतर्राष्ट्रीय रूप से समान और एक उत्पाद हैं। ये सभी मशीनें मौलिक रूप से लेजर प्रणालियां हैं।

iv. औद्योगिक लेजर मशीन में प्राथमिक रूप से एक लेजर होती है जो लेजर शक्ति उत्पन्न करती है। लेजर में एक लेजर स्रोत और एक लेजर शीर्ष होता है। लेजर स्रोत लेजर बीम बनाता है जबकि शीर्ष कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग जैसे विशिष्ट प्रचालनों के लिए डिजाइन किया जाता है। विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए वांछित लेजर शक्ति के आधार पर विभिन्न लेजर शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

v. किसी मशीन के अतिरिक्त घटक जैसे बेड और कंट्रोलर, प्राथमिक उत्पाद जो लेजर है, की सहायता के लिए होते हैं। बेड का आकार प्रयोग पर आधारित है। कटिंग मशीनों के लिए बड़े बेड और मार्किंग मशीन के लिए छोटे बेड होते हैं। वेल्डिंग मशीनों में दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। इन अंतरों के बावजूद जो अंतिम प्रयोग के लिए आवश्यक हैं, इन मशीनों को असमान नहीं समझा जा सकता है। सभी ''औद्योगिक लेजर मशीनों'' को एक उत्पाद और आंतरिक रूप से एक समान माना जाता है।

vi प्राधिकारी ने इन कोडों 84561100, 84569090, 84622920, 84798999, 85152190, 85158090, और 90132000 की पहचान की है जिनके अंतर्गत पीओआई के दौरान 95 प्रतिशत आयात हुए हैं। इसके अलावा, ऐसे अन्य अनेक कोड हैं जिनके अंतर्गत पीयूसी की कम मात्रा का आयात किया जा रहा है। इस प्रकार, प्राधिकारी

को प्रस्तावित शुल्क तालिका में ऐसे सभी एचएस कोडों को शामिल करना चाहिए जिनके अंतर्गत आयात किये गये हैं।

vii. घरेलू उद्योग द्वारा नहीं उत्पादित कतिपय उत्पाद प्रकारों को निम्नलिखित कारणों की वजह से पीयूसी से बाहर नहीं करना चाहिए:

क. चूंकि संबद्ध वस्तु आमतौर पर आदेश पर बनाई जाती है। इसलिए यदि घरेलू उद्योग को प्रस्ताव नहीं दिया जाता या जरूरत नहीं बताई जाती है तो उत्पाद की आपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है। इस प्रकार जांच के लिए प्राधिकारी को यह विचार करना चाहिए कि (क) क्या घरेलू उद्योग से सामग्री के लिए संपर्क भी किया गया था, (ख) क्या घरेलू उद्योग को जरूरत को बारे में बताया भी गया था, (ग) घरेलू उद्योग को उसके प्रचालन इतिहास में विनिर्माण और बिक्री की गई थी।

ख. क्या उत्पाद प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और बेचे गये उत्पाद से प्रतिस्थापनीय है।

ग. पीओआई के दौरान उत्पाद प्रकार मांग में नहीं है, क्योंकि संबद्ध वस्तु को सामान्यत: आर्डर पर बनाया जाता है। यदि अधिक जटिल या उच्च रेंज के उत्पाद प्रकार का उत्पादन किया जाता है तो उसका अर्थ है कि कम जटिल या कम रेंज के उत्पाद प्रकार के उत्पादन की क्षमता भी मौजूद है।

viii.प्रतिवादी उत्पाद विशेष के प्रकार की पहचान किये बिना पीयूसी के दायरे से उत्पाद प्रकार को बाहर रखने का निराधार अनुरोध कर रहा है।

ix. घटकों (लेजर के लिए बेड और नियंत्रण) पर विभिन्न क्षति मापदंडों संबंधी सूचना तैयार करने के लिए कभी भी विचार नहीं किया गया था। इसलिए घटकों को बाहर रखने से क्षति मापदंडों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

x. मशीनों के विभिन्न प्रकारों के बीच प्राथमिक अंतर लेजर हेड का है। कटिंग हेड को केवल हटा देने से उपभोक्ता विभिन्न प्रयोजनों के लिए मशीनों का प्रयोग कर सकता है।

xi. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग उसके द्वारा आयातित पीसीएन का उत्पादन नहीं करता है, किसी भी आयातित मशीन को आगे प्रसंस्करण के बिना नहीं बेचा गया है। आयातित मशीनें को यथा स्थिति में नहीं बेचा जा सकता है और उन्हें प्रसंस्कृत किया जाता है ताकि बाजार में बेचा जा सके।

xii. सेमी नाक्ड डाउन (एसकेडी) और कंपलीटली नाक्ड डाउन (सीकेडी) शब्द विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा जारी सुमेलीकृत प्रणाली के व्याख्या के सामान्य नियमों के नियम 2(क) से लिये गये हैं। शब्द ''एसकेडी/सीकेडी रूप'' किसी वस्तु के संबंध में दर्शाते हैं कि वह अधूरी या तैयार नहीं है, परंतु पूर्ण वस्तु की सभी अनिवार्य विशेषातएं

रखती है। एक मात्र घटक के आयात करने से विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का उसके एसकेडी/सीकेडी रूप में आयात का होना नहीं माना जा सकता है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को ''औद्योगिक लेजर मशीनों, पूर्णत: संयोजित, एसकेडी या सीकेडी रूप में, कटिंग, मार्किंग या वेडिंग प्रचालनों के लिए प्रयुक्त'' के तौर पर परिभाषित किया गया है। यह बताया गया था कि पीयूसी के दायरे में लेजर कटिंग मशीनें (एलसीएम), लेजर मार्किंग मशीनें (एलएमएम) और लेजर वेल्डिंग मशीनें (एलडब्ल्यूएम) शामिल हैं। यह भी बताया गया था कि इन मशीनों का प्रयोग धातु/गैर-धातु सतहों पर कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और पीयूसी के विशिष्ट अंतिम उपयोग के आधार पर पीयूसी में प्रयुक्त लेजर की शक्ति 3 वाट से 40 किलावाट की रेंज में हो सकती है। कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग से इतर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त सभी लेजर औद्योगिक मशीनें पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

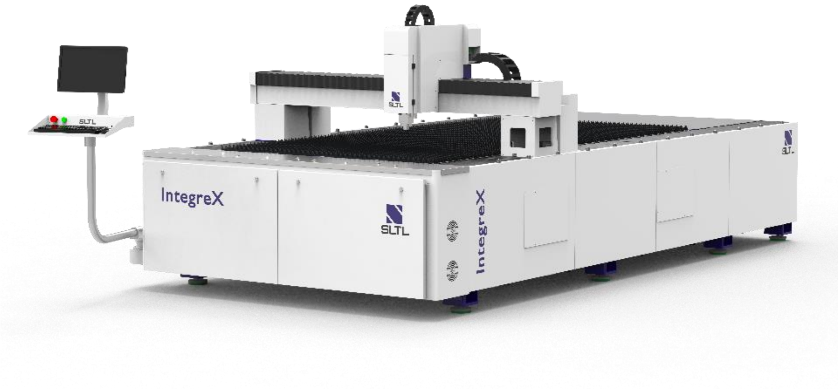

लेजर कटिंग मशीन

लेजर मार्किंग मशीन

लेजर वेल्डिंग मशीन

8. लेजन कटिंग, वेल्डिंग या मार्किंग मशीनें अनिवार्य रूप से वे मशीनें हैं जिनका लेजर स्रोत मूल उत्पाद के रूप में होता है और जो कटिंग, वेल्डिंग, मार्किंग या किसी अन्य प्रचालन के लिए अपेक्षित लेजर को डालने का कार्य करती हैं। लेजर स्रोत को इस प्रकार नियंत्रित (लेजर घनत्व अर्थात चमक और एक्सपोजर समय की मात्रा के संबंध में) की वह वेल्डिंग, कटिंग, मार्किंग या कोई अन्य प्रचालन का कार्य निष्पादित कर सके। इसके अलावा, लेजर लाइट की मात्रा विभिन्न प्रकार की लेजर शक्ति के प्रयोग द्वारा नियंत्रित होती है। लाइट की मात्रा अंततः उस सामग्री की मात्रा से संगत होती है जिसे वेल्ड, मार्क या काटा जा सकता है। उस वस्तु जिस पर कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग का कार्य किया जाना अपेक्षित है, के आधार पर विभिन्न प्रकार के लेजर स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न लेजर स्रोत केवल लेजर लाइट की मात्रा और स्रोत द्वारा पड़ने वाली लेजर लाइट के तरीके के अनुसार अलग होते हैं। उत्पादक आमतौर पर उन उत्पादकों से लेजर खरीदते हैं जो लेजर बनाने के विशेषज्ञ हों। चूंकि वस्तु विभिन्न सामग्रियों जैसे प्लॉस्टिक, लकड़ी, ग्लास, कपड़े या धातु की हो सकती है इसलिए काटने, वेल्ड या मार्क करने के लिए जरूरी लाइट की मात्रा अलग-अलग होगी। तदनुसार, मशीनों को वस्तु के विभिन्न आकारों और प्रकार के हिसाब से अनेक कार्यों में उत्पादित किया जाता

है। इसके अलावा, वस्तु के आकार में अंतर हो सकता है। वस्तु के आकार के अनुसार विभिन्न बेड आकार की उत्पाद की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा, मशीन दो तरह से निष्पादन कर सकती है या तो मशीन वस्तु के हिसाब से चलेगी या वस्तु मशीन के अनुसार गति करेगी। इस प्रकार, विभिन्न प्रकार की लेजर मशीनें एक उत्पाद के अलावा कुछ नहीं हैं जो अनिवार्य रूप से नियंत्रित ढंग से लेजर लाइट डालने का कार्य करता है। इसके अलावा, यह इस प्रकार से लाइट डालता है कि वह विभिन्न प्रकार के और किस्म की वस्तुओं पर कटिंग, वेल्डिंग और मार्किंग के वांछित परिणाम उत्पादित कर सके। इसके मद्देनजर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि विभिन्न प्रकार लेजर मशीनें एक वस्तु हैं।

9. केवल यह तथ्य कि मशीन वेल्डिंग, कटिंग या मार्किंग का कार्य कर सकती है। उन्हें अलग-अलग उत्पाद नहीं बनाता है। यह विभिन्न अंतिम प्रयोग उस तरीके का परिणाम है जिस प्रकार से मशीन द्वारा लेजर लाइट डाली जाती है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की मशीनें उत्पादित लेजर शक्ति की मात्रा या बेड प्रकार और आकार किये अनुसार भी अलग-अलग नहीं होती हैं। तथापि, ये अंतर इन उत्पादों को अलग-अलग उत्पाद नहीं बनता है।

10. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

> *"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

11. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के बारे में किये गये अनुरोधों की जांच गई है और नीचे समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान मामले में पीयूसी के दायरे के संबंध में अनेक मुद्दे उठाये हैं। यह दलील दी गई है कि पीयूसी का दायरा काफी व्यापक है और विभिन्न प्रकार की लेजर मशीनों को शामिल करता है जिनकी काफी अलग-अलग लागत, कीमत और अंतिम उपयोग हैं। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक उत्पाद प्रकारों को इन आधारों पर पीयूसी के दायरे से बाहर रखने की मांग की है कि घरेलू उद्योग वांछित उत्पाद प्रकार में उत्पाद का उत्पाद और आपूर्ति नहीं करता है या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किये गये उत्पाद की गुणवत्ता अलग है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच घरेलू उद्योग के परिषर में मौके पर सत्यापन और पक्षकारों से संगत सूचना मांग कर की गई है।

12. प्राधिकारी ने कतिपय ग्रेड/विनिर्देशन के उत्पादों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने के प्रयोजनार्थ कतिपय व्यापक सिद्धांतों को अपनाया है। एक ऐसा सिद्धांत यह है कि क्या हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताये गये विनिर्देशन, ग्रेड, उत्पादन प्रक्रिया/ उत्पादन प्रौद्योगिकी, भौतिक और तकनीकी विशेषताओं की दृष्टि से ऐसे अलग उत्पाद में परिणति होती हैं जिसके द्वारा इस उत्पाद के अलग होने को स्पष्ट और उचित ढंग से सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत यह है कि क्या घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद के उत्पादन या इन ग्रेडों के विनिर्माता के रूप में उत्पाद प्रोफाइल/ब्रोसर के जरिये यह

दावा किया, क्या घरेलू उद्योग ने पूरी पीओआई के दौरान या पीओआई से पहले या पूर्व में ऐसी अलग मदों को विनिर्मित/आपूर्तित किया है और क्या घरेलू उद्योग के पास उत्पाद प्रदान करने की क्षमता है। तीसरा क्या घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित उत्पाद अपवर्जन के लिए प्रस्तावित/विचारित उत्पाद से तुलनीय है और ऐसे मामले में क्या घरेलू उद्योग द्वारा कोई साक्षात्मक वैज्ञानिक साहित्य या कोई अन्य तकनीकी साक्ष्य सिद्ध किया गया है।

क. क्या प्रत्येक मशीन अलग-अलग देखा जाना चाहिए

13. यह नोट किया गया है कि वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद औद्योगिक लेजर मशीन है। पाटन और क्षति विश्लेषण समग्र रूप से औद्योगिक लेजर मशीन के लिए किया गया है। औद्योगिक लेजर मशीन के विभिन्न प्रकार भौतिक, उत्पाद प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र और उपकरण, कार्य और प्रयोग आदि सहित अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। विभिन्न उत्पाद प्रकार औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त लेजर प्रणालियां हैं। यद्यपि विभिन्न औद्योगिक मशीनों के लिए अलग-अलग विशिष्ट अंतिम प्रयोग होते हैं, तथापि यह देखा गया है कि उनमें अनिवार्य रूप से समान मौलिक लेजर प्रणाली होती है और वे समान कार्य निष्पादित करते हैं अर्थात एक लेजर स्रोत के रूप में कार्य करना। लेजर स्रोत अपने प्रयोग के तरीके के आधार पर कटिंग, वेल्डिंग या मार्किंग का कार्य निष्पादित करता है। उत्पाद को अपेक्षित लेजर ऊर्जा की मात्रा के आधार पर लेजर स्रोतों के विभिन्न प्रकारों द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि अन्य घटकों (जैसे बेड आकार) का प्रयोग उस वस्तु के अनुसार किया जाता है जिस पर मशीन को प्रचालन करना है। विभिन्न श्रेणियां/प्रकार इसलिए विशिष्ट अंतिम उपयोग अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किये जाते हैं। चूंकि यह एक पूंजीगत समान और उपभोक्ता निर्मित उत्पाद है। इसलिए औद्योगिक लेजर मशीनों के डिजाइन को अंतिम उपयोग अपेक्षाओं के अनुसार डिजाइन किया जाता है। अत: विभिन्न प्रकार की औद्योगिक लेजर मशीनें एक वस्तु हैं और ऐसे उत्पाद प्रकारों को बाहर रखना उचित नहीं होगा। यदि घरेलू उद्योग के पास भारत में आयाति किये जा रहे उत्पाद के समान वस्तु के विनिर्माण उत्पादन करने की क्षमता है।

14. औद्योगिक लेजर मशीनों को बेड आकार, लेजर स्रोत और शक्ति के अनुसार वर्णित विभिन्न आकारों और क्षमताओं में विनिर्मित किया जाता है। घरेलू उत्पादक तथा विदेशी उत्पादक अलग-अलग बेड आकार, लेजर स्रोत, शक्ति और विभिन्न अतिरिक्त विशेषताओं वाली औद्योगिक लेजर मशीनों के अलग-अलग प्रकार बनाते हैं। विभिन्न क्षमताओं वाली इन मशीनों का प्रयोग कटिंग, वेल्डिंग और मार्किंग प्रचालनों के लिए होता है। संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा उत्पादित मशीनें और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मशीनें तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

ख. ऐसे उत्पाद प्रकारों को शामिल करना जो यचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित नहीं थे

15. चूंकि यह उत्पाद एक उपभोक्ता निर्मित उत्पाद है। इसलिए घरेलू उद्योग ने उपभोक्ता की जरूरतों के अनुसार मशीनों की आपूर्ति की है। ऐसे अनेक प्रकार/आकार/आयाम हो सकते हैं जिन्हें चीन द्वारा

निर्मित किया जा सकता है और भारत को निर्यातित नहीं किया गया है। यदि पीयूसी के ऐसे प्रकार या रूप और समान वस्तु के साथ वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा होती है और उससे घरेलू उत्पादक को क्षति हो सकती है तो उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जा सकता है। यह नोट किया जाता है कि यह उत्पाद एक उपभोक्ता निर्मित उत्पाद है। घरेलू उद्योग सभी प्रकार की मशीनों का उत्पादन करता है जिन्हें आयातित किया जा सकता है। इसी प्रकार आयातित की गई सभी प्रकार की मशीनों को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। अत: केवल एक विशेष उत्पाद प्रकार का उत्पादन नहीं करने के आधार पर अपवर्जन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

16. विशिष्ट उत्पाद प्रकार को बाहर रखने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के दावे की नीचे जांच की गई है:

i. डबल हेडेड एलसीएम: घरेलू उद्योग ने मल्टी फंक्शनल मशीनों जैसे कटिंग और वेल्डिंग दोनों करने वाली मशीनों, थ्री-इन-वन मशीनों, डबल हेडड एमसीएम आदि के बिक्री के साक्ष्य प्रदान किये हैं। अत: उन्हें उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

ii. 10एमटी से अधिक भार वाली मशीनें, रोबोटिक आर्म वाली मशीनें, मास्टर और सेलीटर, पावर एमटी फायर एमडब्ल्यूएम :घरेलू उद्योग ने इन उत्पादों की अपनी बिक्री के साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं और इसलिए उत्पादों को बाहर नहीं रखा जा सकता है।

iii. प्रोटेक्टिव फिल्म एलसीएम- प्रोटेक्टिव फिल्म एलसीएम इन मशीनों के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा विशेषता के अलावा कुछ और नहीं है। वास्तविक सत्यापन के दौरान यह देखा गया था कि घरेलू उद्योग प्रोटेक्टिव फिल्म वाली एलसीएम का उत्पादन कर सकता है। अत: इसे बाहर नहीं रखा जा सकता है।

iv. 500 वाट से कम पॉवर रेंज वाली एलसीएम - घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि वे 20 वाट के कम स्तर से 6000 वाट के अधिक स्तर तक लेजर पॉवर वाली मशीनों का जांच अवधि में विनिर्माण और बिक्री करते हैं और उन्हें20 , 000वाट की मशीन की आपूर्ति के आर्डर भी मिल हैं। अत: इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

v. 15केवी से अधिक लेजर स्रोत शक्ति वाली 2डी एलसीएम - आयात आंकड़ों से यह देखा गया है कि 10, 000वाट से अधिक लेजर पॉवर वाली मशीनों का कोई आयात नहीं हुआ है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने ऐसी मशीन का आर्डर दिखाया जिसकी लेजर पॉवर 20, 000वाट है। अत: हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

vi 2डी या 3डी एक्सेस वाली मशीनें और बड़े आकार के गैंट्री प्रकार के एलसीएम - घरेलू उद्योग ने इन ग्रेडों के विनिर्माता के रूप में अपने उत्पाद ब्रोसर के जरिये दावा किया है। इसी प्रकार हैंडहेल्ड मशीनों, बीवेल एलसीएम, 3 चक ट्यूब एलसीएम, हैवी ट्यूब एलसीएम एलसीएम, 3+1 चक एलसीएम, शीट + ट्यूब एलसीएम, एलसीएम

ऑटोस्टली लोडर, ऑटोमेशन सहित मशीन, प्रोक्टेटिव सेल्म एलसीएम, फुली ऑटोमेटिक कोइल्ड शीट फाइबर लेजर जैसी मशीनों के प्रकार को घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और आपूर्ति किया जाता है कि जैसा कि उनके ब्रोसर से स्पष्ट है।

vii. पंचिंग मशीन के साथ एलसीएम संयोजन -यदि उत्पाद प्रकार को औद्योगिक लेजर मशीन के रूप में आयात किया गया है तो उसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत कवर किया गया है। चूंकि ये मशीनें समान वस्तु के साथ वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में हैं और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती है और इसलिए इन मशीनों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया है।

viii. इन मशीनों का प्रयोग धातु/गैर-धातु सतहों पर कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग के लिए किया जाता है। पीयूसी के विशिष्ट अंतिम प्रयोग के आधार पर पीयूसी में प्रयुक्त लेजर की शक्ति 3 वाट से 40 किलोवाट की रेंज में हो सकती है। कटिंग, मार्किंग या वेल्डिंग से इतर प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी लेजर औद्योगिक मशीनें पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।

ix. विशिष्ट बेड आकार की मशीनें: अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने विशिष्ट बेड आकार वाली मशीनों को बाहर रखने का इस आधार पर तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग विशिष्ट आकार के बेड का विनिर्माण और विशिष्ट लेजर शक्ति की मशीन का उत्पादन नहीं करता है। यह नोट किया जाता है कि बेड का आकार फैब्रिकेशन की प्रक्रिया से बनाया जाता है। घरेलू उद्योग के लिए सभी आयामों के बेड आकार का विनिर्माण करना आवश्यक नहीं है। घरेलू उद्योग ने 24वर्गमीटर के बेड आकार वाली मशीन का विनिर्माण किया है। चूंकि बेड आकार के विनिर्माण की प्रक्रिया फैब्रिकेशन है। इसलिए विभिन्न बेड आकार आसानी से बनाये जा सकते हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताई गई बेड आकार में भिन्नता के परिणामस्वरूप भौतिक विशेषताओं और रासायनिक संघटन या प्रौद्योगिकी के अनुसार अलग उत्पाद नहीं बनता है।

ग. घटकों को बाहर रखना या शामिल करना

17. इस तर्क के संबंध में कि क्या घटकों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया जाये या बाहर रखा जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि घटकों को जांच के दायरे से बाहर रखा जाता है।

घ. एसकेडी और सीकेडी मशीनों का अर्थ

18. एसकेडी और सीकेडी के अर्थ के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि ये अच्छी तरह समझे गये शब्द हैं। एसकेडी का अर्थ ऐसी लेजर मशीन होगा जो पूर्णत: एसेंबल्ड नहीं है, परंतु उसे नहीं फिट किये गय सभी अनिवार्य घटकों के साथ एक लेजर मशीन के रूप में खरीदा गया है और मशीन प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। इस प्रयोजनार्थ सीकेडी का अर्थ अधूरे या नहीं तैयार रूप में कोई वस्तु होगा और उसमें पूर्ण वस्तु की अनिवार्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार एक मात्रा घटक का अर्थ एसकेडी या सीकेडी रूप में

पीयूसी का आयात नहीं होगा। तथापि, यदि सभी घटकों का व्यवहार इसी प्रकार से किया जाए कि उसमें केवल भारत में संयोजन प्रचालन अपेक्षित हो तो ऐसे सौदों को सीकेडी स्थिति में सौदें माना जाएगा और यदि ऐसे सौदें एकल खेप में नहीं भी होते हैं तो भी वे पीयूसी के दायरे के भीतर आएंगे।

19. उक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी जांच शुरूआत अधिसूचना में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के दायरे से को संशोधित नहीं करने के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।

ड. वह सीमा शुल्क वर्गीकरण जिसमें उत्पाद का आयात किया जा रहा है

20. प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों की जांच की है और यह पाया कि सीमा शुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत कोई समर्पित वर्गीकरण नहीं है। इस उत्पाद को एचएस कोडों 84561100, 84569090, 84622920, 84798999, 85152190, 85158090, और 90132000 के अंतर्गत आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

21. रिकार्ड में सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद चीन से आयातित विचाराधीन उत्पाद से तुलनीय है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद और आयातित उत्पाद, भौतिक और तकनीकी विशेषाताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पादन विनिर्देशन, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से समान हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किये गये उत्पाद का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

22. इस प्रकार प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद एडी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

23. प्राधिकारी ने दिनांक 29 सितंबर, 2022 की जांच शुरूआत अधिसूचना में पीयूसी के विभिन्न प्रकारों की उचित तुलना के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) विनिर्दिष्ट की है। प्राधिकारी ने प्रस्तावित पीसीएन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की और उसके बाद पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए 14 नवंबर, 2022 को हितबद्ध पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श के समय अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से लिखित में उनके अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध:

i. मशीन के आकार के साथ-साथ विशिष्ट वाट/किलोवाट एक अनिवार्य मापदंड होता है और उसे पीसीएन मापदंड के रूप में माना जाना चाहिए।

ii. फाइबर लेजर के उद्गम और आवरण (कवर) को भी पीसीएन मापदंड माना जाना चाहिए।

iii. प्रौद्योगिकी आधार को पीसीएन मापदंड माना जाना चाहिए।

iv. लेजर स्रोत के प्रकार को एक पीसीएन मापदंड के रूप में माना जाना चाहिए।

25. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध:

i. उत्पाद में कुछ अंतर की केवल मौजूदगी अपने आप में पीसीएन बनाने में उसे शामिल करने को उचित नहीं ठहराती है।

ii. आयात आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता नहीं चलता है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित मापदंडों का आयात आंकड़ों में कहीं भी उल्लेख है।

iii. अनेक उत्पादकों के उत्पाद साहित्यों का विश्लेषण यह नहीं दर्शाता है कि प्राधिकारी उत्पाद कैटालॉग से इन मापदंडों का सत्यापन कर सकते हैं।

26. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न प्रकारों के बीच उचित तुलना करने के लिए 13दिसंबर, 2022 को निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया है:

मापदंड	**मूल्य**	**पीसीएन कोड**
मशीन की श्रेणी/प्रकार	लेजर कटिंग मशीन (एलसीएम)	सी
	लेजर मार्किंग मशीन (एलएमएम)	एम
	लेजर वेल्डिंग मशीन (एमडब्ल्यूएम)	डब्ल्यू
लेजर शक्ति	लेजर की शक्ति वाट में (डब्ल्यू) जिसे 'एल' के पूर्व शब्द के साथ 5अंकीय रूप में व्यक्त किया गया है।	एल00100, एल00150, एल01000, आदि
बेड आकार	3000 एमएम x 1500 एमएम	बी1
	4000 एमएम x 2000 एमएम	बी 2
	6000 एमएम x 2000 एमएम	बी 3

	6000 एमएम x 2500 एमएम	बी 4
	8000 एमएम x 2500 एमएम	बी 5
	12000 एमएम x 2500 एमएम	बी 6
	अन्य (प्रतिवादी द्वारा परिभाषित किया जाना है)	बी 7, बी 8, आदि
लेजर स्रोत का मॉडल	आईएफए	सी1
	आईपीजी	सी 2
	मैक्स	सी 3
	रेकस	सी 4
	अन्य (प्रतिवादी द्वारा परिभाषित किया जाना है)	सी 5, सी 6, आदि
लेजर कटिंग हेड का प्रकार	सीओ2 लेजर	एक्स
	फाइबर लेजर	वाई
एक्सेस की संख्या	2डी	2डी
	3डी	3डी

घ. घरेलू उद्योग का दायरा एवं स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

27. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

i. व्यापार सूचना 2018/14 के अनुसार समर्थकों ने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं। अत: एडी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार समर्थन अस्वीकार किया जाना ऐसी सूचना के अभाव में प्राधिकारी इस बात की जांच नहीं पाएंगे कि क्या उन्हें क्षति हो रही है और कारणात्मक संबंध मौजूद है।

ii. आवेदन में बताये गये उत्पादकों के अलावा भारत में समान वस्तु निम्न के द्वारा भी उत्पादित की जाती है।)i) मंसूरी वेल्डार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड, (ii) मेसर्स रुआनमी टेक्नोलॉजी (जॉय लेजर ब्रांड), (iii) मेसर्स धनलक्ष्मी लेजर टेक्नोलॉजी, (iv) डॉल्फिन लेजर मशीन प्राइवेट लिमिटेड, (v) स्टारलेस सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड, और (vi) मैसर्स सनी मशीनरी 13 उत्पादकों में से केवल एक क्षति का दावा करने के लिए आगे आया है।

iii. भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा 25-20प्रतिशत होगा और यह ''प्रमुख हिस्सा बनेगा। डॉल्फिन लेजर मशीन (4 मशीनें(के अलावा किसी भी उत्पादक ने चीन जन. गण. पीयूसी का आयात नहीं किया है। उनका आयात भी घरेलू उद्योग से कम है। इसलिए उनमें से सभी के उत्पादन पर स्थिति संबंधी निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए।

iv. अन्य भारतीय उत्पादकों का पीयूसी के कुल उत्पादन का 90 प्रतिशत तक हिस्सा हो सकता है।

v. कुल भारतीय उत्पादन में एसएलटीएल का हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत हो सकता है और ये प्रमुख हिस्से के रूप में मुश्किल से पात्र है।

vi प्रकाश लेजर और मेसर कटिंग सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में उत्पाद के अन्य उत्पादक हैं। यद्यपि मेसर्स एक समर्थक रूप में पंजीकृत हैं, परंतु उनके उत्पादन पर कुल उत्पादन के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया गया था।

vii. प्राधिकारी से इन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के लगातार आयात के कारण सत्यापित करने अनुरोध किया जाता है।

viii. इस बात में कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या योग्यता और आर्थिक मापदंडों के विश्लेषण के लिए एसईजेड इकाई के उत्पादन को शामिल किया गया है। यह स्थापित है कि एसईजेड को नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का घटक नहीं माना जा सकता है।

ix. आवेदक को केवल उसके एमएसएमई होने के कारण घरेलू उद्योग के निर्धारण के मापदंड से छूट नहीं देनी चाहिए। घरेलू उद्योग को इस दावे को वैध करार देने के लिए एमएसएमई प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए और उस कानून को बताना चाहिए जो ऐसी छूट देता है।

x. घरेलू उद्योग के पास भारत में कुल उत्पादन का केवल 23 प्रतिशत हिस्सा है। उत्पादन में घरेलू उद्योग की वृद्धि अन्य घरेलू उत्पादकों की 50प्रतिशत + वृद्धि की तुलना में केवल 35 प्रतिशत है।

xi. प्राधिकारी को बाजार की गति और आयातित वस्तुओं के प्रभाव को समझने के लिए सभी घरेलू उत्पादकों की सूचना की जांच करनी चाहिए। चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर की एडी जांच पर भी भरोसा किया गया है।

xii. 8ज्ञात उत्पादकों की रिकार्ड में सूचना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है।

घ2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

28. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

i. वर्तमान आवेदन सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (एसएलटीएल) द्वारा दायर किया गया है और मेसर कटिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लास्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और प्रोटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है। यह समूचा उद्योग एमएसएमई क्षेत्र का है। कुछ एमएसएमई कंपनियों का कारोबार 10 करोड़ रूपये या उससे कम है।

ii. प्राधिकारी ने (i) फ्रंट एक्सेल बीम और स्टेयरिंग नकल (ii) पेनिसिलिन और (iii) रबड़ केमिकल के आयातों के आयातों से संबंधित जांच में अलग स्थिति निर्धारित की है। तथापि, ये पीयूसी के दायरे के भीतर विभिन्न उत्पाद प्रकारों के बजाय उसी जांच में विभिन्न पीयूसी से संबंधित नहीं है। वर्तमान जांच में एकल पीयूसी शामिल हैं। प्राधिकारी के लिए अलग स्थिति निर्धारण करने हेतु कोई कानून या प्रथा नहीं है।

iii. (i) मंसूरी वेल्डार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड, (ii) मेसर्स रुआनमी टेक्नोलॉजी (जॉय लेजर ब्रांड), (iii) मेसर्स धनलक्ष्मी लेजर टेक्नोलॉजी, (iv) डॉल्फिन लेजर मशीन प्राइवेट लिमिटेड और (v) स्टारलेस सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड द्वारा पीयूसी के उत्पादन पर घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित करने हेतु विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे भारत में उत्पाद के केवल पुन: बिक्रेता हैं। इसके अलावा, आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि डॉल्फिन लेजर मशीन प्राइवेट लिमिटेड और स्टारलेस सिस्टम्स ने जांच अवधि के दौरान चीन से संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात किया है।

iv. जांच की शुरूआत और राजपत्र अधिसूचना के बावजूद किसी भी कथित उत्पादक ने रुचि नहीं दिखाई है। इसके अतिरिक्त, आयातक कथित उत्पादकों के उत्पादन का कोई अनुमान बताने में विफल रहे हैं।

v. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उल्लिखित सोलर सेल और मॉड्यूल के अंतिम जांच परिणाम विपरीत हैं। घरेलू उद्योग के अनुसार एसईजेड या ईओयू को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने को कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यदि प्राधिकारी ने एसईजेड इकाई में संबद्ध वस्तु के उत्पादन को बाहर रखा है तो भी घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त स्थिति है।

vi घरेलू उद्योग ने पीओआई में संबद्ध देश से 18 मशीनों का आयात किया है। घरेलू उद्योग के आयातों का हिस्सा पीओआई में संबद्ध आयातों का केवल 0.3प्रतिशत है और मामूली है। इन आयातित 18 मशीनों में से 9 को पीओआई में प्रसंस्करण के बाद बेच दिया गया था। अत: घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में आयातित मशीनों का हिस्सा केवल 3.6 प्रतिशत है।

vii. घरेलू उद्योग ने अन्य उत्पादकों से प्राधिकारी की स्थिति के लिए सीधे समर्थन पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग के पास समर्थन पत्र नहीं है, क्योंकि उसमें गोपनीय सूचना है।

viii. उत्पादन का अनुमान बाजार सूचना पर आधारित अनुमान है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग की स्थिति के निर्धारण के लिए प्राधिकारी के पास प्रस्तुत पत्र के अनुसार समर्थकों की वास्तविक उत्पादन मात्रा का अनुमान बदल सकते हैं।

ix. प्राधिकारी ने पहले घरेलू उत्पादकों पर व्यापार सूचना 14/2018 के अनुसार विस्तृत सूचना की अपेक्षा किये बिना समर्थकों के रूप में विचार किया है। एमएसएमई व्यापार सूचना 14/2018 के अनुसार विस्तृत सूचना प्रदान करने को बोझिल समझती है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध की जांच और निम्नानुसार समाधान किया गया है:

एडी नियमावली के नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

च. भारत में अन्य उत्पादकों की काफी संख्या की मौजूदगी का आरोप

30. अधिक घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभिज्ञात इन अन्य घरेलू उत्पादकों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त ई-मेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजा था। ई-मेल के उत्तर में केवल एक कंपनी ने अपनी क्षमता, उत्पादन, उनकी घरेलू बिक्री के प्रतिशत और चीन जन. गण. आयात के प्रतिशत के अनुमानित आंकड़ों को प्रदान करते हुए उत्तर दिया था । कंपनी ने यह भी बताया कि वे औद्योगिक लेजर मशीनों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का समर्थन करते हैं। तथापि, कंपनी ने बताया है कि वे अपने उत्पादन का 60 प्रतिशत आयात करते हैं। उनके अपने उत्पादन की तुलना में आयातों के अधिक हिस्से के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि कंपनी को नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ पात्र घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, उनका उत्पादन उनकी क्षमता से काफी अधिक है जो यह भी दर्शाता है कि उनके सूचित उत्पादन में उनके द्वारा किये गये आयात शामिल हैं। कंपनी की वार्षिक

रिपोर्ट पीओआई के दौरान कंपनी का कुल कारोबार 1.9 करोड़ रूपये के रूप में दर्शाती है जो उनकी बिक्री मात्राओं को न्यायोचित नहीं ठहराता है। प्राधिकारी मानते हैं कि कंपनी द्वारा किये गये आयात और घरेलू बाजार में बेचे गये आयात पहले ही आयात मात्राओं और निर्धारित मांग में शामिल हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उक्त कंपनी के आंकड़ों पर विचार नहीं किया है।

छ. समर्थन पत्र का व्यापार सूचना 13/2018 के अनुपालन में नहीं होना

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि समर्थकों के पत्रों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये व्यापार सूचनायें2018/13 और व्यापार सूचना 12018/4 द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का पालन नहीं करते है। प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि व्यापार सूचनायें2018/13 और व्यापार सूचना 1 2018/4घरेलू उत्पादकों को कतिपय सूचना देने के लिए कहते हैं परंतु केवल यह तथ्य कि सूचना प्रदान किये बिना एडी उपायों को लागू करने का समर्थन करने वाले कोई पक्षकार यह मानने के लिए अपर्याप्त है कि पक्षकार ने उपाय का समर्थन नहीं किया है। ऐसी कोई व्याख्या नियमों का उल्लंघन होगी। इसके अलावा, प्राधिकारी ने व्यापार सूचना 2021/4 दिनांक 16 जून, 2021 द्वारा समर्थकों को क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों से संबंधित सूचना देने के बाद समर्थन प्रकट करने की अनुमति दी है। वर्तमान मामले में समर्थकों ने पहले ही यह सूचना दे दी है। अत: प्राधिकारी ने इन कंपनियों द्वारा दिये गये समर्थन पर विचार किया है।

ज. निर्धारित स्थिति एसईजेड का उत्पादन शामिल करना

32. एसईजेड अधिनियम - 2005 के अनुसार ''घरेलू टैरिफ क्षेत्र'' का अर्थ संपूर्ण भारत (प्रादेशिक जल और महाद्वीपीय क्षेत्र सहित) है, परंतु इसमें विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र शामिल नहीं हैं। इसलिए एसईजेड इकाईयों को डीटीए क्षेत्र से बाहर माना जाता है। अत: एसईजेड इकाईयों के उत्पादन पर स्थिति के प्रयोजनार्थ कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण में विचार नहीं किया गया है।

झ. आवेदक द्वारा किये गये आयात

33. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। याचिकाकर्ता ने यह बताया है कि आयातित मशीनों में से *** मशीनें आगे प्रसंस्कृत की गईं और उसके बाद घरेलू बाजार में बेच दी गईं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा किये गये आयात की मात्रा मामूली है (भारत में कुल आयातों के संबंध में *** प्रतिशत और भारत में कुल मांग के संबंध में *** प्रतिशत और कुल घरेलू बिक्रियों का *** प्रतिशत), उसे बिक्री के बाद प्रसंस्कृत किया गया। उत्पादन याचिकाकर्ता का मुख्य कार्यकलाप बना रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा किये गये आयात इतनी मात्रा में नहीं हैं कि वे उस पात्र घरेलू उत्पाद बनने से अपात्र ठहरा दें।

34. यह आवेदन मेसर्स सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी को लास्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कटिंग सिस्टम

इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से समर्थन पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें उनकी क्षमता उत्पादन और घरेलू बिक्री घोषित की गई है। आवेदक ने बाजार आसूचना के अनुसार अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन मात्रा प्रस्तुत की है।

35. भारत में कुल उत्पादन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अन्य सूचना नहीं दी गई है। अत: प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त सूचना पर भरोसा किया, जहां उसे किसी घरेलू उत्पादक ने उपलब्ध नहीं कराया हे। यह देखा गया है कि आवेदक का उत्पादन भारत के समान वस्तु के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदक का समर्थकों के साथ भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का 60-50 प्रतिशत हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ता का अकेले का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 5-400 प्रतिशत है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में आयातक से पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के साथ पठित नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

36. यथोक्त रिकार्ड की सामग्री की जांच करने और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने पर प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किये हैं।

i. याचिकाकर्ता ने आयात आंकड़ों का स्रोत और उसे अलग करने की पद्धति नहीं बतायी है। आंकड़ों का स्रोत नहीं बताना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ऑल इंडिया लैमिनेटड फैब्रिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट के आदेश पर भरोसा किया गया है।

ii. आवेदक ने डीजीसीआई एंड एस आंकड़े प्रदान नहीं किये हैं। प्राधिकारी ने उनकी मांग नहीं की है। आवेदक को जांच सूची में डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों की अनिवार्य अपेक्षा से छूट की अनुमति दी गई है।

iii. तीन समर्थकों सहित अन्य उत्पादकों के आर्थिक मापदंडों संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई है।

iv. अन्य कंपनियों द्वारा प्रस्तुत कोई समर्थन पत्र एनसीवी याचिका के साथ परिचालित नहीं किया गया है। प्रतिवादी को जानकारी नहीं है कि क्या ये समर्थक व्यापार सूचना के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

v. घरेलू उद्योग ने आयातों और संपूर्ण क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातक या निर्यातक से अपने संबंध की घोषणा प्रदान नहीं की है। उन्होंने केवल पीओआई और संबद्ध देश की आयात सूचना प्रदान की है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आयातों की मात्रा भी गोपनीय चिन्हित की गई है।

vi घरेलू उद्योग ने अन्य घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के किसी स्रोत का प्रकटन नहीं किया है और उनके उत्पादन आंकड़ों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं संलग्न हैं। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु के समस्त घरेलू उत्पादन की सूचना देने में विफल रहा है।

vii. घरेलू उद्योग के हिस्से का कोई ब्यौरा रेंज में नहीं दिया गया है। घरेलू उद्योग ने रुझानों में सभी वर्षों के के लिए प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया है जिसका कोई अर्थ नहीं है।

viii. घरेलू उद्योग ने पीसीएन वार निर्यात कीमत के संबंध में कोई ब्यौरा नहीं दिया है या क्षति और लागत निर्धारण सूचना के संबंध में पीसीएन वार ब्यौरा नहीं दिया है।

ix. आरओसीईई और लाभ/हानि की सूचना को गोपनीय बताया गया है जबकि कम कीमत पर बिक्री और क्षति मार्जिन से संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

38. गोपनीयता के संबंध में, घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये है:

i. बिस्ट्रोनिक लेजर लिमिटेड, बिस्ट्रोनिक लेजर एजी, जिनान बोडोर सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड, शेन्ज़ेन डीएनई लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड व्यापार सूचना 10/2028 का अनुपालन करने में विफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निष्पादन मापदंडों के रुझान नहीं बताये हैं। गोपनीयता के नियम के घोर उल्लंघन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पत्र के बावजूद इन पक्षकारों ने निष्पादन मापदंडों को संशोधित नहीं किया है।

ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई गोपनीयता संबंधी टिप्पणियों को अस्वीकृति करना चाहिए, क्योंकि ये देरी से दी गई हैं। जांच शुरूआत अधिसूचना के अनुसार प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणी करने अवसर दिया है। परंतु वे ऐसा करने में विफल रहे हैं।

iii. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/20 18की अपेक्षा का अनुपालन किया है। रुझानों में सूचना प्राधिकारी की प्रक्रिया के अनुसार गोपनीय सूचना का पर्याप्त एनसीवी है।

iv. विभिन्न हितबद्ध पक्षकार व्यापार कार्यकलाप, विचाराधीन उत्पाद विनिर्देशन और प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली के विपणन चैनल संबंधी विभिन्न प्रश्नों का पूरा उत्तर देने में विफल रहे हैं।

v. सूचना के सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होने के बावजूद हितबद्ध पक्षकारों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों, कारपोरेट पते, अधिनिगमन की तारीख, उत्पाद सूची आदि के गोपनीय होने का दावा किया है।

vi अनेक प्रश्नों के लिए हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार स्वामित्व की सूचना का बहाना बनाकर पूरी गोपनीयता का दावा किया है। तथापि, ऐसा दावा उनके दावों का समर्थन नहीं करता है।

vii. हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावे उनके अपने उत्तर से असंगत हैं। इन दावों को व्यापार स्वामित्व की सूचना के संरक्षण के उद्देश्य से रखा गया था, परंतु बजाय इसके घरेलू उद्योग को समान अनुरोध करने से रोका गया है।

viii. घरेलू उद्योग ने बाजार क्षेत्र शोध पर भरोसा किया है, क्योंकि उन्हें डीजीसीआई एंड एस आयात आंकड़ों से उनके एकत्र का प्राधिकार नहीं था। जांच सूची प्राधिकारी के लिए है और न कि हितबद्ध पक्षकारों के लिए।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

39. आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान किये गये विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक निम्नानुसार जांच की गई है:

40. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

> *"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7) ,नियम 12 के उपनियम (2) ,नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 1 7के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*
>
> *(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट*

प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

41. प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय हो (उदाहरण के लिए उसके प्रकट के कारण प्रतिस्पर्धियों को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ मिल जाएगा या उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति जिससे सूचना ली गई है पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), या जिसे किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान किया जाता है, को सही कारण बताने पर प्राधिकारी द्वारा गोपनीय माना जाएगा। ऐसी सूचना का उसे प्रस्तुत करने वाली पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

42. प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उनसे संतुष्ट होने पर पर्‌ाधिकारी ने गोपनीयता के दावों की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को निरीक्षण हेतु सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा है।

43. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उसके द्वारा किये गये आयातों से संबंधित सूचना का प्रकटन नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस सूचना को प्राधिकारी को प्रस्तुत प्रपत्र IVक में प्रकट किया गया है जिसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर किया गया है।

ञ. नियातकों के गोपनीयता के दावे

44. प्रतिवादी विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अत्यधिक गोपनीयता के दावे से संबंधित घरेलू उद्योग की दलीलों के बारे में यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने प्रतिवादी विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किये गये गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है।

ट. आयात को प्रकट नहीं करना

45. आवेदन में प्रस्तुत आयात आंकड़ों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार आसूचना स्रोतों से प्राप्त आयात आंकड़ों को शेयर नहीं किया जा सकता है। आवेदन में प्रदत्त आंकड़े इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के साथ पठित नियम (2)5 के प्रावधानों के अनुसार हैं, जिनमें आवदेन प्रपत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है। अत: आयात आंकड़ों संबंधी आवेदक के गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के साथ आयात आंकड़ों को हर तरह से शेयर किया है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने लेनदेन के अनुसार डीजी सिस्टम आयात डेटा को अपनाया है

और वर्तमान तथ्यों का खुलासा प्राधिकरण द्वारा मांगे गए आयात डेटा के आधार पर किया गया है। अन्य इच्छुक पक्ष आयात डेटा पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

ठ. याचिकाकर्ता द्वारा अगोपनीय सूचना का प्रकटन करने के लिए अपनाई गई पद्धति

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता के लिए व्यापार सूचना 10/2028 के अनुसार सूचना का प्रकटन करना अपेक्षित है। याचिकाकर्ता ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर किये गये अगोपनीय आवदेन में सूचना के प्रकटन संबंधी व्यापार सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किये गये गोपनीयता के दावों की जांच की है और संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे का स्वीकार किया है।

ड. समर्थन पत्र

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लास्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कटिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्राधिकारी को समर्थन पत्र प्रस्तुत किये हैं और उत्पादन तथा बिक्रियों संबंधी सूचना दी है। यह तथ्य कि इन उत्पादकों ने जांच में भागीदारी और समर्थन दिया था, हितबद्ध पक्षकारों को ज्ञात था, क्योंकि उन्हें पहले ही प्राधिकारी द्वारा जारी हितबद्ध पक्षकारों की पंजीकृत सूची में शामिल किया गया था। इन समर्थन पत्रों में उत्पादन और बिक्रियों संबंधी सूचना दी गई है। एकल कंपनी की विशिष्ट सूचना होने के कारण यह गोपनीय प्रकृति की है और उसका प्रकटन नहीं किया जा सकता है। यदि इन उत्पादकों ने अगोपनीय अंश में पत्र को परिचालित कर दिया होता तो संपूर्ण आंकड़े गोपनीय हो गये होते। अत: यह नहीं का जा सकता है कि पत्र को शेयर नहीं करने से जांच में बाधा आई है।

च. विविध अनुरोध

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं:

i. घरेलू उद्योग ने गैर निदर्शित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारित औसत शुल्क के रूप में पाटनरोधी शुल्क की उच्चतर दर की संभावना में सुधार के लिए सैंपलिंग का अनुरोध किया है। मैनुअल में समय-सीमा के अनुसार कोई सैंपलिंग अधिसूचित नहीं की गई।

ii. यदि सैंपलिंग को अपनाया भी जाता है तो गैर सैंपल कंपनियों के लिए अलग मार्जिन वांछनीय है। अत: सैंपलिंग अनावश्यक हो जाएगी जब प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर किया गया हो और डेस्क सत्यापन किया गया हो, तो अलग दर प्रदान नहीं करने का कोई वैध कारण नहीं है।

iii. ऐसी संभावना नहीं है कि सर्वाधिक निर्यात मात्रा वाले सैंपल उत्पादक/निर्यातक ने सभी संभावित पीसीएन या बिल्कुल मिलते-जुलते पीसीएन की प्रतिनिधि मात्राओं का निर्यात किया हो। अत: निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सभी अन्य गैर सैंपल उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अप्रतिनिधि होगा।

iv. सैंपलिंग का विवेकाधिकार अनुच्छेद 6.10 के अंतर्गत प्राधिकारी में निहित है और याचिकाकर्ता उसे प्रभावित या जांच में सैंपलिंग का प्रस्ताव नहीं कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो तो सैंपलिंग केवल संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों और आयातकों के परामर्श से और उनकी सहमति से की जानी चाहिए। जांच के अंतिम स्तर पर सैंपलिंग शुरू करना डब्ल्यूटीओ कानूनों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

v. सैंपलिंग अनावश्यक है। सैंपलिंग के संबंध में प्रतिवादी निर्यातकों के साथ कोई सलाह परामर्श नहीं किया गया है। निर्यातकों ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में समस्त सूचना दी है। इस प्रकार वर्तमान जांच में सैंपलिंग अतर्कसंगत है।

vi यद्यपि याचिकाकर्ता ने बताया है कि भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों की कोई ज्ञात एसोसिएशन नहीं है। फिर भी इंडियन मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमटीएमए) से प्रदत्त समर्थन पत्र की संगतता प्रश्ना करने योग्य है।

vii. प्रति वर्ष लगभग 40-50 प्रतिशत लेजर मशीनों के आयात के आईएमटीएमए के दावे के बावजूद याचिका के उसके सदस्यों द्वारा समर्थन का अभाव या घरेलू उद्योग के दावे के समर्थन में अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत करना पत्र की विश्वसनीयता के बारे में संदेह उत्पन्न करता है।

viii. आईएमटीएमए द्वारा तैयार औद्योगिक लेजर मशीनों के बड़े पैमाने पर आयात संबंधी विस्तृत विश्लेषण के एनसीवी को जांच के लिए रिकार्ड में रखा जाना चाहिए।

ix. पाटनरोधी शुल्क लागू होने पर भी आयातक और प्रयोक्ता गुणवत्ता संबंधी कारणों की वजह से चीन की मशीनों का आयात करना पसंद करेंगे।

x. याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई मशीनों में गुणवत्ता संबंधी गंभीर समस्यायें हैं। उपभोक्ताओं ने दो मामले दायरे किये हैं। यद्यपि उन मामलों को अस्वीकार कर दिया गया, परंतु उन मामलों को मशीनों की गुणवत्ता संबंधित याची की शिकायत से संबंधित कारणों की वजह से अस्वीकार नहीं किया गया।

xi. याचिकाकर्ता की मशीनों की अस्वीकृति की दर अधिक है जबकि चीन के उत्पादकों की यह दर नगण्य है। प्राधिकार को अस्वीकृति दर और अस्वीकृति के कारणों की जांच करनी चाहिए। उपयुक्तता, गति, सटीकता, निष्पादन, मशीन की आयु और बार-बार खराबी संबंधी शिकायतों को याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विरुद्ध दर्ज कराया गया है।

चीन के उत्पादकों के पास उत्पादन का बड़ा पैमाना है और वे अपेक्षित औद्योगिक मानकों को पूरा करते हैं।

xii. याचिकाकर्ताओं ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के किसी साक्ष्य के बिना दस्तावेजों के सृजन का आरोप लगाया है। दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में याचिकाकर्ताओं का आरोप अनुपयुक्त है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

49. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं:

i. नीचे उल्लिखित हितबद्ध पक्षकार उनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर का एनसीवी प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। अत: प्राधिकारी को इन्हें असहयोगी मानना चाहिए:

क. वुहान रेकस फाइबर टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड
ख. जियाताई इंटरनेशनल कंपनी (इंडिया)
ग. विला सीएनसी इंडिया प्रा. लिमिटेड
घ. वी एम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी
ड. एस एंड टी इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड
च. प्रीमियर यूनाइटेड प्रा. लिमिटेड
छ. एसएमटी इनोवेटिव
ज. दक्ष इंटरप्राइजेज
झ. साहिल टेक्नोक्रेट्स
ञ. उपनल सीएनसी प्रा .लिमिटेड
ट. श्री राम इंटरप्राइजेज
ठ. मीरा लेजर सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड

ii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सैंपलिंग अनुरोध, प्रारंभिक अनुरोधों और याचिका संबंधी टिप्पणियों के उत्तर के संबंध में किये गये अनुरोध को एनसीवी प्रस्तुत नहीं करने के कारण नजरअंदाज करना चाहिए।

iii. संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग का स्तर काफी व्यापक है। काफी संख्या में भागीदारों के बावजूद वे संचयी रूप से केवल लगभग 13 प्रतिशत हैं। यह दर्शाता है कि प्रमुख निर्यातक वर्तमान जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं।

iv. अनेक आयातक जो भारतीय बाजार में व्यापारी का कार्य कर रहे हैं, ने वर्तमान जांच में सहयोग किया है। परंतु पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताने में असमर्थ रहे हैं।

v. घरेलू उद्योग द्वारा दायर उत्तर आयात आंकड़ों से विधिवत रूप से साक्षांकित पाया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ें केवल पीयूसी से संबंधित हैं। भारत से एनआरएससी की जांच में यूएसआईटीसी ने आवेदक द्वारा प्रस्ततु आयात आंकड़ों के आधार पर क्षति जांच शुरू की थी।

vi वर्तमान जांच में 8 समूह कंपनियों ने भागीदारी की है। एनसीवी, ईक्यूआर से घरेलू उद्योग ने यह पहचान की है कि 15 से अधिक निर्यात बिक्री चैनल हैं।

vii. वर्तमान जांच में पीसीएन एक विस्तृत पीसीएन है। पीसीएन की सही पहचान एक प्रमुख कार्य है। इस प्रकार सही पहचान काफी समय लगने वाला और बड़ा कार्य है। इसके अलावा, कोई ऐसा पीसीएन बताकर पाटन मार्जिन के निर्धारण में खराबी लाना काफी आसान है जो पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को न्यूनतम करता हो।

viii. वर्तमान जांच में सैंपलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि संबद्ध देश से 20 उत्पादकों/निर्यातकों का सत्यापन जिसमें पीसीएन शामिल है, काफी मुश्किल होगा।

ix. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि 8 महीने पहले ही बीत गये हैं। इस स्तर पर सैंपलिंग करना काफी देरी से होगा। तथापि, एडीडी नियमावली के नियम 17 (3) में ऐसे किसी समय को परिभाषित नहीं किया गया है जब सैंपलिंग शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा, नियम 17 से अंतिम जांच परिणाम निर्धारित हैं। अत: सैंपलिंग अंतिम जांच परिणाम से संबंधित है।

x. चीन का लेजर मशीन क्षेत्र नाटकीय रूप से बढ़ रहा है। उत्तर से यह देखा जा सकता है कि 4 कंपनियों ने क्षति अवधि में भारत को निर्यात शुरू किया है और 3 कंपनियों ने जांच अवधि में शुरू किया है। इनमें से एक ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया है।

xi. हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत कतिपय आयातकों ने प्रारंभिक अनुरोध किये हैं और बाद में मौखिक सुनवाई के लिखित अनुरोध किये हैं, परंतु आयातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

xii. सुप्रीम टेक्नोलॉजी एंड चाइना चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किये हैं। तथापि, वे पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची में शामिल नहीं है।

xiii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की खराब गुणवत्ता के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग 2 दशकों से अधिक से बाजार में है। यदि गुणवत्ता संबंधी गंभीर समस्याएं होती तो घरेलू उद्योग बाजार से समाप्त हो गया होता। इसके अलावा, पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग ने यूएसए और यूके को निर्यात किये हैं।

xiv. घरेलू उद्योग की मशीनों की उच्च अस्वीकृति दर के संबंध में आयातकों ने दावे किये हैं। तथापि, वे केवल दो अस्वीकृतियों के साक्ष्य देने में सक्षम रहे हैं जिनमें से एक उनके खुद के दुरुपयोग से हुआ और दूसरे में घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं को विधिवत रूप से क्षतिपूर्ति कर दी है।

xv. प्रतिवादियों ने ऐसी कोई एक घटना भी नहीं बताई है, जहां घरेलू उद्योग साक्ष्य देने में विफल रहा हो या जहां प्राधिकारी साक्ष्य की उचित जांच करने में विफल रहे हों। केवल साक्ष्यांकित सबूत के बाद प्राधिकारी ने जांच शुरू की है।

xvi. घरेलू उद्योग पिछले 8 वर्षों के लिए आयात आंकड़े प्रदान किये हैं ताकि ये दर्शाया जा सके कि चीन के आयातों ने भारतीय बाजार पर कैसे कब्जा किया है। ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है जो केवल तीन वर्षों के लिए संबद्ध आयातों की मात्रा की प्राधिकारी की जांच को सीमित करता हो। इसके अलावा, घरेलू उद्योग कभी भी 8 वर्ष की क्षति अवधि का दावा नहीं किया है।

xvii. आवेदन प्रपत्र की अपेक्षा भारत में ज्ञात उत्पादकों की सूचना देना है। घरेलू उद्योग ने अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सूचना प्रदान की है।

xviii. भारत में संबद्ध वस्तु की कोई समर्पित एसोसिएशन नहीं है इंडियन मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमटीएमए) एक समावेशी एसोसिएशन है जिसमें अन्य उत्पादों के उत्पादक भी शामिल हैं। किसी समावेशी एसोसिएशन के लिए मामले के समर्थन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

xix. प्रतिवादी ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग ने 2017 में क्षमता विस्तार किया है। घरेलू उद्योग ने अपनी आय का 10 प्रतिशत आरएनडी के लिए रखा है। तथापि, यह न तो असामान्य है न ही क्षति का कारण है। लेजर मशीनरी उद्योग जैसे किसी उद्योग में आरएनडी में ऐसा निवेश मानक है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

50. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए स्थिति बताने का कोई मजबूत साक्ष्य नहीं दिया है और जांचकर्ता प्राधिकारी ने तथ्यों की उचित जांच नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने पर्याप्त सूचना दी थी जो वर्तमान पाटनरोधी जांच की शुरूआत की अपेक्षित स्थितियों को पूरा करती है। जांच इस बात से संतुष्ट होने के बाद शुरू की गई थी कि नियमावली के अंतर्गत यथा अपेक्षित पर्याप्त साक्ष्य जांच को उचित ठहराने के लिए उपलब्ध हैं।

51. निर्यातकों की सैंपलिंग के संबंध में प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में सैंपलिंग नहीं की है।

52. इंडियन मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमटीएमए) द्वारा समर्थन के तर्क के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि आईएमटीएमए विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित एसोसिएशन नहीं है। इस एसोसिएशन में 450 से अधिक सदस्य हैं। आईएमटीएमए भारतीय मशीन टूल विनिर्माताओं की एक एसोसिएशन है और इसलिए इसमें अन्य प्रकार के उत्पादों के उत्पादक भी काफी संख्या में शामिल हैं। सभी सदस्य विचाराधीन उत्पाद उत्पादक नहीं हैं। आईएमटीएमए ने एक एसोसिएशन के रूप में विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का समर्थन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि आईएमटीएमए के सभी सदस्य विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक नहीं हैं तब भी वह अभ्यावेदन करने की हकदार है।

53. विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता संबंधी तर्कों के बारे में यह नोट किया गया है कि विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति अवधि के दौरान अस्वीकृति के दो मामले बताये हैं। जबकि घरेलू उद्योग ने 800 से अधिक मशीनें बेची है। इसके अलावा, दो मामलों में से घरेलू उद्योग ने बताया है कि एक मामला उपभोक्ता या प्रयोक्ता द्वारा मशीन के अनुचित प्रयोग के कारण हुआ था। इस तथ्य कि गुणवत्ता अलग-अलग हो सकती है, का अर्थ यह नहीं है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तुयें नहीं हैं।

54. जहां तक (क) वुहान रेकस फाबर टेक्नोलॉजी प्रा0 लिमिटेड (ख) जियातई इंटरनेशनल कंपनी (इंडिया) (ग) विला सीएनएसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (घ) वी एम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी (ड.) एसएंडटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (च) प्रीमियर यूनाइटेड प्राइवेट लिमिटेड (छ) एसएमटी इनोवेटिव (ज) दक्ष इंटरप्राइजिज (झ) साहिल टेक्नोक्राफ्टस (ञ (उपनाल प्राइवेट लिमिटेड (ट) श्री राम इंटरप्राइजिज द्वारा सहयोग के स्तर का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि इन पक्षकारों ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए। अत:, प्राधिकारी ने उस संदर्भ में वर्तमान जांच में उन्हें असहयोगी माना है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारणb

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

55. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड में ली गई सत्यापित सूचना के आधार पर अलग पाटन मार्जिन परिकल्पित करें।

ii. यहां तक कि यदि सभी चीनी उत्पादकों/निर्यातकों ने सहयोग किया होता तो निर्यात लेन-देनों की संख्या अव्यावहारिक होने के लिए जांच के लिए बहुत अधिक नहीं है। प्रत्येक प्रतिभागी उत्पादक/निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई भार नहीं है क्योंकि किसी ने भी अथवा लगभग किसी ने भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का अनुरोध नहीं किया है।

iii. घरेलू उद्योग ने त्रुटिवश यह दावा किया है कि प्रतिनिधि देश से कीमतें उपलब्ध नहीं हैं। सभी उत्पादों की तकनीकी विशिष्टियां और कीमतें विनिर्माता के ई-कॉमर्स मंच पर प्रदर्शित हैं।

iv. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के संबंध में निर्मित सामान्य मूल्य अविश्वसनीय है क्योंकि पाटन घरेलू उद्योग द्वारा अपनी कमजोर उत्पादन लागत पर विश्ववास करते हुए कृत्रिम रूप से बनाई गई है।

v. बाजार अर्थव्यवस्था न होने के नाते चीनी उत्पादकों की घरेलू कीमतें अथवा लागतें निर्धारित किए जाने की अवधि डब्ल्यूटीओ के अभिगम नयाचार में किए गए प्रावधान के अनुसार 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गई है। चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य संबद्ध सामानों की घरेलू कीमतों और लागतों पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

vi घरेलू उद्योग ने चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किए जाने हेतु चुने गए तीसरे देश के हितबद्ध पक्षकारों को अवगत न कराकर भारतीय पाटनरोधी नियमों के अनुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लंघन किया है।

vii. वाणिज्यिक बीजक और प्रविष्टि के बिल पर ही विश्वास करने के लिए प्राधिकारी की कोई परिपाटी अथवा कानून नहीं है। उत्पाद की सभी छोटी विशेषताएं वाणिज्यिक बीजक अथवा प्रविष्टि के बिल में उल्लिखित नहीं की जा सकती।

viii. प्राधिकारी को यह उल्लेख करते हुए स्पष्ट जांच परिणाम देना चाहिए कि घरेलू उद्योग के वाणिज्यिक बीजकों पर पूरी सूचना पाई गई। विगत जांचों में, जिनमें जटिल पीसीएन शामिल है, प्राधिकारी ने सत्यापन के लिए विभिन्न दस्तावेज़ों पर विचार किया है।

ix. क्रय आदेश, प्रोफार्मा इनवायस, उत्पाद ब्रोसर, वाणिज्यिक बीजक आदि जैसे दस्तावेज वैध दस्तावेज है जिनके आधार पर विगत जांचों में पीसीएन सत्यापित किया गया है।

x. उद्योग की सामान्य परिपाटी यह है कि बिक्री के दौरान उत्पाद ब्रोसर और अन्य विज्ञापन सामग्री का संदर्भ है और सभी ब्यौरे वाणिज्यिक बीजक में उल्लिखित नहीं किए जाते हैं।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

56. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. उत्पादकों अथवा निर्यातकों ने एमईटी उत्तर वाली प्रश्नावली दायर नहीं की। अत:, सामान्य मूल्य उनकी घरेलू बिक्री के आधार पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, इसकी बजाय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार की जानी चाहिए।

ii. प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आंकड़ों की शुद्धता और पर्याप्तता से संतुष्ट होने के बाद निर्यातकों के आंकड़ों के आधार पर ही निर्यात कीमत निर्धारित की जाए।

iii. घरेलू उद्योग ने वह सूचना दी जो उनके पास उपलब्ध थी और उन्हें उपयुक्त प्रतीत हुई। उत्तरदाता यह दावा करने के बाद भी प्रतिनिधि देश ने कीमत का साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहे कि प्रतिनिधि देश में संबद्ध सामानों की कीमत संबंधी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध है।

iv. प्राधिकारी की यह सतत परिपाटी है कि वे, यदि वैकल्पिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो, गैर बाजार अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करे।

v. चीन को अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है। अनुच्छेद 15(घ) के अनुसार केवल अनुच्छेद 15(क)(II) 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त होगा न कि अनुच्छेद 15(क)(I)। अत:, यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकें कि बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तें विद्यमान हैं तो प्राधिकारी चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों पर ही विचार कर सकते हैं।

vi घरेलू उद्योग ने चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु किसी तीसरे देश पर विचार नहीं किया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

58. चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार(पाटनरोधी करार) और एससीएम करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्य पर चीनी मूल के आयातों में शामिल कार्यवाहियों में लागू होगा:

"क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष

कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

59. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii (में निहित प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं। तथापि, अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i (के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ 2.2.1.1 अनुच्छेद के तहत प्रावधानों को बाजार अर्थव्यवस्था के सतर का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दर जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए भारत की पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की आवश्यकता होती है।

60. जांच की शुरुआत के स्तर पर प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कार्यवाही की। जांच शुरु करने पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और अपने बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के निर्धारण के लिए संगत सूचना उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुच्छेद I के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना देने के लिए सभी ज्ञात उत्पादको/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना

उपलब्ध कराने की सलाह दें। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दायर कर इस जांच में सहयोग किया है:

क. हंस ग्रुप

- i. जीडी हानंस युएमिंग लेजर ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- ii. हंस लेजर स्मार्ट इक्युपमेंट कंपनी ग्रुप लिमिटेड
- iii. हंस लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- iv. हंस लेजर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड
- v. हंस एमपी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- vi सुझोऊ सोनगु इंटेलीजेंस इक्युपमेंट कंपनी लिमिटेड

ख. यावेई ग्रुप

- i. जियांग्सु यावेई मशीन टूल कंपनी लिमिटेड
- ii. जियांग्सु यावेई चुआंगकेयुआन लेजर इक्युपमेंट कंपनी लिमिटेड

ग. ट्रम्प्फ

- i. ट्रम्प्फ (चीन) कंपनी लिमिटेड
- ii. जियांग्सु जिनफांगयुआन सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड
- iii. ट्रम्प्फ वेर्कजेउगमासचिनेन एसई+कंपनी लिमिटेड

घ. एचएसजी

- i. एचएसजी लेजर कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण.
- ii. जिनान होंगशी लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चीन जन.गण.

ड. बाइस्ट्रोनिक

- i. बाइस्ट्रोनक लेसर AG
- ii. बाइस्ट्रोनक (तियानजिन) लेजर लिमिटेड
- iii. बाइस्ट्रोनिक शेनजेन लेसर टेक्नॉलजी कंपनी लिमिटेड
- iv. बाइस्ट्रोनक लेसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

च. जिनान बोडोर

- i. जिनान बोडोर सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड
- ii. शेनझेन डीएनई लेजर सीएनसी

छ. शानडोंग ओरी

- i. जिनान ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- ii. शानडोंग ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ज. गवेकी

i. गवेकी टेक कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.

61. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। इस प्रकार, उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा के खंडन के अभाव में प्राधिकारी चीन जन.गण. को वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही पर विचार करते हैं।

छ.5 चीन गण. के लिए सामान्य मूल्य

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों में कीमतों के संबंध में घरेलू उद्योग अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सभी उत्पादों की तकनीकी विशिष्टियां और कीमतें विनिर्माता के ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर प्रदर्शित हैं और इसीलिए प्रतिनिधि देश की कीमतों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए। तथापि, प्रतिनिधि देश के लिए पीसीएन की पहचान करने वाले किसी भी हितद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है। विभिन्न शामिल पीसीएन के तथ्य के मद्देनजर बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत पर विचार करने के लिए वैश्विक व्यापार आंकड़ों का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

63. अत: प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार 'भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत' के अनुसार चीन में संबद्ध आयातों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसका परिकलन घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभ के लिए समायोजन और उपयुक्त वृद्धि की गई है। सामान्य मूल्य उचित तुलना के लिए पीसीएन वार निर्धारित किया गया है। संबंधित उत्पादक निर्यातक द्वारा विभिन्न पीसीएन के निर्यातों की मात्रा के आधार पर भारित औसत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है। चूंकि विभिन्न निर्यातकों ने भिन्न भिन्न उत्पादों की आपूर्ति की है अत: विभिन्न निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य परस्पर तुलनीय नहीं हैं।

छ.6 निर्यातकों की निर्यात कीमत

क. हंस ग्रुप

64. जीडी हंस यूएमिंग लेजर ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हंस लेजर स्मार्ट इक्यूपमेंट कंपनी ग्रुप लिमिटेड, हंस लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, हंस लेजर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हंस एमपी लेजर टेनोलॉजी कंपनी लिमिटेड, और सुझोऊ सोंगु इंटेलीजेंस इक्यूपमेंट कंपनी लिमिटेड (जिसे यहां आगे हंस ग्रुप कहा गया है) ने चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादकों के रूप में प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। ये उत्पादक एक दूसरे से संबद्ध हैं और इसीलिए प्राधिकारी ने भारित औसत पाटन

मार्जिन परिकलित किया है। इन उत्पादकों ने पूरी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। इन उत्पादकों ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा आदि के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और उनके द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए दावों के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने उनके अनुमति दी है। तद्नुसार, इन उत्पादकों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे दर्शाए गए अनुसार निर्धारित की गई है:

ख. यावेई ग्रुप

65. जियांग्सु यावेई मशीन टूल कंपनी लिमिटेड और जियांग्सु यावेई चुआंगकेयुआन लेजर इक्यूपमेंट कंपनी लिमिटेड (जिसे यहां आगे यावेई ग्रुप कहा गया है) ने चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। दोनों उत्पादक एक दूसरे से संबद्ध हैं और इसीलिए प्राधिकारी ने भारित औसत पाटन मार्जिन परिकलित किया है। इन उत्पादकों ने पूरी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। इन उत्पादकों ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा आदि के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और उनके द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए दावों के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने उन्हें अनुमति दी है। तद्नुसार, इन उत्पादकों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए अनुसार की गई है:

ग. ट्रम्प्फ (चीन) कंपनी लिमिटेड

66. ट्रम्पफ (चीन) कंपनी लिमिटेड, जियांग्सू जिनफैंगयुआन सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड और ट्रम्पफ वेर्कजेगमास्चिनेन एसई + कंपनी लिमिटेड (जिसे यहां आगे ट्रम्पफ ग्रुप कहा गया है (ने विषय वस्तु के निर्माता के रूप में प्रश्नावली का जवाब दाखिल किया है। सबसे पहले, दोनों उत्पादक एक-दूसरे से संबंधित हैं और इसलिए, प्राधिकरण ने भारित औसत डंपिंग मार्जिन की गणना की है। निर्माताओं ने संपूर्ण प्रश्नावली का उत्तर दाखिल कर दिया है। निर्माता ने समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा आदि के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन किया है और उनके द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए दावों के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकरण ने उन्हें अनुमति दे दी है। तदनुसार, पूर्व-कारखाना स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

घ. एचएसजी ग्रुप

67. एचएसजी लेजर कंपनी लिमिटेड और जिनान होंगशी लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड) जिसे यहां आगे एचएसजी ग्रुप कहा गया है) ने चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। दोनों उत्पादक एक दूसरे से संबद्ध हैं और इसीलिए प्राधिकारी ने भारित औसत पाटन मार्जिन परिकलित किया है। इने उत्पादकों ने पूरी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। इन उत्पादकों ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा आदि के निमित्त समायोजनों का दावा किया है, जिसे स्वीकार

किया गया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और उनके द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए दावों के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने उन्हें अनुमति दी है। तद्नुसार, इन उत्पादकों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जो निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है

ङ. बाइस्ट्रोनिक ग्रुप

68. बाइस्ट्रोनिक (तियानजिन) लेजर लिमिटेड, बाइस्ट्रोनिक लेजर एजी, और बाइस्ट्रोनिक (शेन्ज़ेन) लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, और बाइस्ट्रोनिक लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद " बाइस्ट्रोनिक ग्रुप" के रूप में संदर्भित) ने निर्माता के रूप में प्रश्नावली का जवाब दाखिल किया है। विषय वस्तु. तीन उत्पादक और बाइस्ट्रोनिक लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (व्यापारी) एक-दूसरे से संबंधित हैं और इसलिए, प्राधिकरण ने भारित औसत डंपिंग मार्जिन की गणना की है। इन निर्माताओं ने संपूर्ण प्रश्नावली का उत्तर दाखिल कर दिया है। इन उत्पादकों ने समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन किया है और उनके द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए दावों के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकरण ने उन्हें अनुमति दे दी है। तदनुसार, इन उत्पादकों के लिए पूर्व-कारखाना स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

च. जियान बोडोर ग्रुप

69. जिनान बोडोर सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड, और एक आयातक बोडोर लेजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "जिनान बोडोर ग्रुप" के रूप में संदर्भित) ने विषय वस्तु के निर्माता के रूप में प्रश्नावली का जवाब दाखिल किया है। निर्माता ने संपूर्ण प्रश्नावली का उत्तर दाखिल कर दिया है। निर्माता ने समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने डेस्क सत्यापन किया है और उनके द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए दावों के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकरण ने उन्हें अनुमति दे दी है। तदनुसार, इस उत्पादक के लिए पूर्व-कारखाना स्तर पर शुद्ध निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

छ. शानडोंग ओरी

70. जिनान ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और शानडोंग ओरी लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (जिसे आगे यहां “शानडांग ओरी” कहा गया है) ने चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। दोनों उत्पादक एक दूसरे से संबद्ध हैं और इसीलिए प्राधिकारी ने भारित औसत पाटन मार्जिन परिकलित किया है। इन उत्पादकों ने पूरी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। इन उत्पादकों ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभारों और ऋण लागत

के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और उनके द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए दावों के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने उन्हें अनुमति दी है। तद्नुसार, इन उत्पादकों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जो निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है।

ज. गवेकी

71. गवेकी टेक कंपनी लिमिटेड ने चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादक के रूप में प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। उत्पादक ने पूरी प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, बैंक प्रभारों और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने किए गए दावों डेस्क सत्यापन और जांच की है। किए गए दावों के संबंध में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने उन्हें अनुमति दी है। तद्नुसार, इस उत्पादक के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है जो निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है।

छ.7 पाटन मार्जिन का निर्धारण

72. पीसीएन-वार निर्मित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के आधार पर प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नलिखितानुसार है:

एस.एन.	समूह	निर्माता/निर्यातक	सीएनवी ($/यूनिट)	ईपी ($/यूनिट)	डीएम ($/यूनिट)	डीएम %	डीएम रेंज (%)
1	हंस ग्रुप	जीडी हंस युमिंग लेजर ग्रुप कंपनी लिमिटेड हंस लेजर स्मार्ट इक्विपमेंट कंपनी ग्रुप लिमिटेड हंस लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड हंस लेजर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड हंस एमपी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
2	यावी ग्रुप	जियांग्सू यावेई मशीन-टूल कंपनी लिमिटेड जियांग्सू यावेई चुआंगकेयुआन लेजर उपकरण कं, लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
3	ट्रम्पफ समूह	ट्रम्पफ (चीन) कंपनी लिमिटेड जिआंगसु जिनफैंगयुआन सीएनसी मशीन कं, लिमिटेड	***	***	***	***	(30-40)
4	एचएसजी समूह	एचएसजी लेजर कंपनी लिमिटेड जिनान होंग्शी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60
5	बिस्ट्रोनिक ग्रुप	बिस्ट्रोनिक लेजर एजी बिस्ट्रोनिक (तियानजिन) लेजर लिमिटेड बिस्ट्रोनिक (शेन्ज़ेन) लेजर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
6	जिनान बोडोर समूह	जिनान बोडोर सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	130-140
7	शेडोंग ओरी	जिनान ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड शेडोंग ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	100-110
8	गवेकी	गवेकी टेक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	110-120
9	अवशिष्ट	कॉलम क्रमांक 1 से 8 के अलावा अन्य	***	***	***	***	160-170

ज. क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

73. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और कृत्रिम रूप से क्षति दर्शाने के लिए 8 वर्ष की अवधि की क्षति का मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी को क्षति विश्लेषण 3 वर्ष तक सीमित करना चाहिए।

ii. प्राधिकारी का पृथक समान वस्तु के रूप में एक समान वस्तु अथवा प्रत्येक वस्तु पर विचार करने का विवेकाधिकार है। प्रत्येक समान वस्तु के लिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की भी पहचान करनी चाहिए। एनआईपी भी प्रत्येक समान वस्तु के लिए परिकलित की जानी चाहिए।

iii. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से संघटकों को अलग करने का अनुरोध किया, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उसे हटाने से क्षति पर कोई प्रभाव पड़ा है।

iv. घरेलू उद्योग की एसईजेड यूनिट ने विनिर्माण में वृद्धि पर उन निर्यातों को घरेलू बिक्री न मानकर विचार किया जाना चाहिए।

v. याचिकाकर्ता द्वारा आयातों को क्षति विश्लेषण करते समय कुल आयातों से समायोजित किया जाना चाहिए।

vi प्राधिकारी यह जांच करनी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा क्षमता निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति उपयुक्त है और यह पद्धति हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रकट की जानी चाहिए।

vii. आयात मात्रा में वृद्धि का कारण इसलिए है क्योंकि उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है।

viii. यद्यपि जांच की अवधि में मांग बढ़ी, तथापि याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से में गिरावट आई, जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से में वृद्धि हुई।

ix. यह तथ्य कि एक समर्थक मैसर कटिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 20 19में दूसरी विनिर्माण यूनिट खोली, यह दर्शाता है कि आयात बाजार का स्थान बदलने के लिए नहीं थे।

x. प्राधिकारी को कीमत कटौती के दावे को रद्द करना चाहिए क्योंकि कीमत कटौती के आंकड़े पूरी क्षति अवधि के लिए नहीं दिए गए हैं।

xi. याचिकाकर्ता पहुंच मूल्य के प्रभाव के बिना अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने/घटाने में सक्षम था। वर्ष दर वर्ष विश्लेषण कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास का अभाव दर्शाता है। साथ ही, कोई कीमत न्यूनीकरण नहीं है क्योंकि बिक्री लागत निवल बिक्री वसूली से अधिक कम हुई है।

xii. प्राधिकारी को निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मूल्यांकन की जा रही क्षति के लिए कम कीमत पर बिक्री पर विचार नहीं करना चाहिए।

xiii. उत्पादकता और रोजगार के कारण कोई क्षति नहीं है क्योंकि वे वृद्धि दर्शाते हैं।

xiv. यद्यपि आवेदक ने यह दावा किया है कि उनकी घरेलू बिक्री भारत में मांग की तुलना में बहुत ही कम है, अत: उनका उत्पादन और बिक्री आयातों के बावजूद बढ़ी है। क्षति की अवधि के दौरान हानियों में गिरावट आवेदक का सुधरा हुआ निष्पादन दर्शाती है।

xv. साथ ही, यदि जांच की अवधि की पहली तिमाही कोविड लॉकडाउन को देखते हुए जांच की अवधि से अलग की जाए तो निष्पादन और सुधार दर्शाएगा। याचिकाकर्ता की पीबीडीआईटी में नकारात्मक स्थिति से सुधार हुआ है।

xvi. घरेलू उद्योग को क्षति गैर-प्रतिस्पधी उत्पादों, बाजार स्थितियों, आरएंडडी पर अधिक खर्चे के कारण है।

xvii. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आवेदक की लाभप्रदत्ता जांच की अवधि में उच्चतम थी। सामान्य रूप में दावा किए गए अनुसार कम लाभप्रदत्ता 2017 में किए गए क्षमता विस्तार, आरएंडडी पर अधिक खर्च, प्रभार में अत्यधिक परिसपत्तियों के कारण हो सकती है।

xviii. मालसूची में वृद्धि को बिक्री के अनुपात के रूप में जांचा जाना होता है, जैसा कि ब्रिज स्टोन मामले में सेस्टैट द्वारा माना गया है। मालसूची पूरी हो सकती है क्योंकि मशीनों को उचित रूप में रखा जाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण मालसूची सुपुर्दगी में विलंब के कारण भी हो सकती है।

xix. इसके अतिरिक्त, मालसूची का अस्थाई संचयन कोविड-19, मजबूरी और क्षति के साक्ष्य के बजाए विद्यमान वैश्विक मंदी के कारण हो सकता है।

xx. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े आयातों में 87 सूचकांक वृद्धि दर्शाते हैं जिसे अन्य उत्पादकों द्वारा घरेलू बिक्री में पर्याप्त 74 सूचकांक वृद्धि से देखा जा सकता है।

xxi. कोविड-19, यूक्रेन-रूस युद्ध, मजबूरी, मुद्रा ह्रास (रुपए-अमरीकी डॉलर में अंतर), आंतरिक समस्याओं और कंपनी के उत्पाद के लिए कम मांग जैसे अन्य कारकों से क्षति हुई है।

xxii. मात्रा और कीमत कटौती तथा याचिकाकर्ता के आर्थिक निष्पादन के सह-संबंध की जांच कर कारणात्मक संपर्क विश्लेषण नहीं किया गया है।

xxiii. याचिका यह दर्शाती है कि नियोजित औसत पूंजी और अचल परिसंपत्तियों में गिरावट आई है, जबकि संस्थापित क्षमता स्थिर है। प्राधिकारी को इस विसंगति की जांच करनी चाहिए।

xxiv. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय पर विचार करना वैश्विक मंदी के युग में विशेष रूप से बढ़ी है। प्राधिकारी 12-15 प्रतिशत की रेंज में आरओसीई पर विचार करें। ब्रिज स्टोन टॉयर मैन्युफैक्चरिंग और अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा योसुंग कारपोरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट के आदेशों पर विश्वास किया जाता है। यूरोपीय संघ द्वारा अपनाई गई परिपाटी भी उल्लिखित की जाती है।

xxv. यदि अन्य घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई होती तो उन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया होता।

xxvi. लास्ट्रोनिक्स का उत्पादन आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 4 गुना बढ़ा है।

xxvii. लाभप्रदता में पिछले दो वर्षों में सुधार हुआ है। यदि लाभप्रदता प्रभावित हुई होती तो घरेलू उद्योग और संबद्ध देश से आयातों की लाभप्रदता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।

xxviii. घरेलू उद्योग की मांग सूची प्रवृत्ति घरेलू बिक्री संचलन की प्रवृत्ति के अनुसार है।

xxix. यह आवश्यक नहीं है कि उत्पाद समरूप होने की आवश्यकता हो परंतु उत्पाद क्षेत्र समान वस्तु के समान होना चाहिए और क्षति का मूल्यांकन समान वस्तु के आधार पर किया जाना चाहिए। वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने समान उत्पाद विश्लेषण नहीं किया है। इस प्रकार, एकल क्षति निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद से युक्त प्रत्येक अलग उत्पाद के लिए अलग क्षति निर्धारण के लिए बाध्य है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

74. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग पक्षकार ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. हुई क्षति केवल घरेलू उद्योग तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य भारतीय उत्पादकों को भी प्रभावित करती है। चीनी आयातों में उछाल 2017-18 में क्षति की अवधि के आधार वर्ष से पूर्व आरंभ हुई।

ii. संबद्ध आयातों में आधार वर्ष और पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से वृद्धि हुई है।

iii. संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि और जांच की अवधि में बढ़ा है जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूर्व वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घटा है।

iv. घरेलू उद्योग अपने निपटान और भारत में मांग पर क्षमता के संबंध में अपना उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री बढ़ाने में अक्षम रहा है।

v. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां, मद हानियां, नकारात्मक पीबीआईटी और नकारात्मक आय हो रही है।

vi आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची बढ़ी है।

vii. घरेलू उद्योग ने प्रमुख क्षति मानदंडों पर नकारात्मक वृद्धि देखी है।

viii. पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता में काफी गिरावट आई है।

ix. संबंद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री, कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण हो रहा है।

x. घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लाभ हीरा प्रसंस्करण उपस्कारों, विशेष प्रयोजन की मशीन और आरएफ आब्जर्वर्स के कारण है। ये मशीने अच्छा लाभ कमा रही हैं और वर्तमान जांच में एनपीयूसी है।

xi. न तो कोई कानून न ही प्राधिकारी की विगत परिपाटी यह दर्शाती है कि विचाराधीन उत्पाद का बिखरा हुआ विश्लेषण करने के लिए प्राधिकारी का कोई विवेकाधिकार है; पाटनरोधी करार और पाटनरोधी नियमावली में विचाराधीन उत्पाद की अनुकूल जांच की आवश्यकता होती है। आयातकों द्वारा विश्वास की गई जांचों में विचाराधीन 'उत्पाद' के विरुद्ध बहुत से 'विचाराधीन उत्पाद' शामिल होते हैं।

xii. बढ़े हुए संबद्ध आयात मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण नहीं हैं बल्कि पाटन के कारण हैं। घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल क्षति की अवधि और जांच की अवधि तक सीमित नहीं है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि से पूर्व क्षति हुई है।

xiii. अकेले घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग के 18 प्रतिशत की पूर्ति करने की क्षमता है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मात्र 3 प्रतिशत है। भारतीय उद्योग मांग के भारी हिस्से की पूर्ति कर सकता है और उपयुक्त समय में क्षमताएं बढ़ा सकता है।

xiv. पाटन का विश्लेषण जांच की अवधि आयातों के संबंध में ही किया गया है। अत:, उसी अवधि के लिए ही कीमत कटौती की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

xv. निरमा लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय अंतरिम समीक्षा तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के संबंध में कार्य करता है। अंतरिम समीक्षा जांच मूल जांच के विपरीत नकारात्मक क्षति मार्जिन पर भी शुल्क बढ़ाए जाने की अनुमति देती है।

xvi. आयातकों ने ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग (थाइलैंड) बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट के निर्णय का गलत विश्लेषण किया है। सेस्टैट ने यह नहीं कहा कि मलसूची का मूल्यांकन पूर्णत: घरेलू बिक्री प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने केवल यह उल्लेख किया कि केवल बढ़ी हुई मालसूची अधिक घरेलू बिक्री से जोड़ी जा सकती है जिस पर प्राधिकारी ने उस जांच में विचार नहीं किया।

xvii. घरेलू उद्योग की पीबीडीआईटी में 2020-21 में सुधार हुआ परंतु जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। पीबीडीआईटी इतनी कम थी कि नियोजित पूंजी पर आय, जांच की अवधि में नकारात्मक थी। अन्य आर्थिक मानदंड क्षति की मौजूदगी दर्शाते हैं।

xviii. मात्रा और कीमत मानदंडों की वर्ष-दर-वर्ष जांच प्रत्येक बाजार में सीधे सह-संबंध में होने की आवश्यकता नहीं है। यह कारण और प्रभाव में विलंब दर्शाने के लिए कुछ बाजारों के लिए विशिष्ट है।

xix. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार लाभ में गिरावट क्षति दर्शाती है। वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हो रही हैं और इस प्रकार, यह असंगत है कि हानियों में वृद्धि हुई अथवा गिरावट आई।

xx. घरेलू उद्योग ने भारित औसत आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन परिकलित किया है। यद्यपि, कीमत कटौती औसत आधार पर परिकलित की गई थी, तथापि भारित औसत आधार पर परिकलन से भिन्न परिणाम नहीं आएंगे।

xxi. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया आयात बहुत कम है। अत: उन आयातों को अलग करने से क्षति जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xxii. प्राधिकारी कुल आयात सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक आंकड़ों पर विचार करेंगे। चीनी आयातों में वृद्धि, जो अन्य भारतीय उत्पादकों के लिए देखी जा सकती है, निरर्थक है क्योंकि उनका एक साथ मात्र 4 प्रतिशत बाजार हिस्सा है और भारी रूप से कम उपयोग वाली क्षमताओं में प्रचालन करते हैं।

xxiii. घरेलू उद्योग की एसईजेड यूनिट से बिक्री क्षति जांच के प्रयोजन के लिए पूरी तरह से अलग की गई है।

xxiv. अन्य हितबद्ध पक्षकार प्राधिकारी से सभी स्थितियों में 22 प्रतिशत आय की अनुमति देने की परिपाटी बदलने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि एग्जिमकोर्प इंडिया प्राइवेट

लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, सेस्टैट प्राधिकारी की परिपाटी में हस्तक्षेप करने से इंकार करता है।

xxv. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को पीसीएन-वार निर्यात कीमत संबंधी सूचना दायर की है। घरेलू उद्योग को पीसीएन-वार क्षति संबंधी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

xxvi. घरेलू उद्योग की आरओसीई और लाभ/हानि संबंधी सूचना व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार आवेदन-पत्र के प्रपत्र IV-क में प्रवृत्तियों के रूप में दी गई है।

xxvii. उत्तरदाता अन्य कारकों की पहचान करने में विफल रहे हैं जिनसे संबद्ध आयातों को छोड़कर घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

xxviii. यह तर्क देते हुए कि अन्य उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हो रही है, आधारहीन है क्योंकि संबद्ध आयात भारतीय मांग के 80 प्रतिशत से अधिक हैं।

xxix. यहां तक कि यदि आधार वर्ष में नियोजित औसत पूंजी पूरी क्षति अवधि में वही रही होती तो यह तथ्य रहता है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि में नकारात्मक आय कम रहा है।

xxx. यूक्रेन-रूस संघर्ष फरवरी, 2022 में अर्थात् जांच की अवधि की समाप्ति से एक माह पूर्व शुरु हुआ। उत्तरदाता घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान करने वाले कारक के रूप में किसी सुदूर वैश्विक घटना को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

75. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोध *यथा तथ्यत:* हल हो जाते हैं। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित रूप में हल किया जाता है।

ढ. प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक रूप से अलग-अलग क्षति विश्लेषण का दावा

76. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एलसीएम, एलडब्ल्यूएम और एलएमएम के लिए उन्हें भिन्न उत्पाद मानते हुए पृथक क्षति विश्लेषण किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर पहले ही यह जांच कर लिए जाने पर कि सभी तीनों उत्पाद किस्में एकल विचाराधीन उत्पाद हैं, अत: तीनों तरह की मशीनों के लिए अलग से क्षति की जांच करना उपयुक्त नहीं होगा। कानून के तहत अथवा न्याय व्यवस्था में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि सभी सब-सेट/किस्में अथवा विचाराधीन उत्पाद के सब-सेट उसी विचाराधीन उत्पाद और उसी जांच के तहत शामिल किए जाने के लिए उनके लिए समरूप होने चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान जांच में इस जांच के क्षेत्र में शामिल सभी मदें एक उत्पाद हैं। इस प्रकार, पृथक क्षति विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ण. क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए आय की पर्याप्तता

77. जहां तक एनआईपी के निर्धारण की पद्धति के संबंध में आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में संगत दिशा-निर्देश पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में सुनिर्धारित हैं। प्राधिकारी ने नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत आय की सतत रूप से अनुमति दी है और वही वर्तमान मामले में भी अपनाया गया है।

त. अन्य कारकों के कारण क्षति का दावा

78. जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति अन्य कारणों से है और घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्टों में विवरण के अनुसार कोई क्षति नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नीचे किया गया क्षति विश्लेषण स्वत: स्पष्ट है। यह भी देखा जाता है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता वित्तीय विवरणों के अनुसार एक बहु-उत्पाद और निष्पादन वाली कंपनी है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि उनके द्वारा सूचीबद्ध अन्य कारकों से कैसे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

79. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में *"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..."* घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तत्वों, यथा - उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग का मूल्यांकन

80. प्राधिकारी ने सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री की मात्रा और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत निर्धारित की है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
आवेदक की घरेलू बिक्री	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*83*	*109*	*124*
समर्थक की बिक्री	सं.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*71*	*86*	*143*
अन्य उत्पादकों की बिक्री	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*135*	*164*
संबद्ध देश से आयात	सं.	3,327	3,624	3,808	6,027
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*114*	*181*
अन्य देशों से आयात	सं.	567	541	466	752
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*95*	*82*	*133*
कुल	सं.	4,265	4,501	4,708	7,299
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*106*	*110*	*171*

81. यह देखा गया जाता कि पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि में मांग में वृद्धि है। यह देखा जाता है कि मांग आधार वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। तथापि आवेदक की बिक्री आधार वर्ष की तुलना में केवल 24 प्रतिशत बढ़ी है और आयात 80 प्रतिशत से अधिक तक बढ़े हैं। पूर्ण दृष्टि से जबकि मांग 3000 मशीनों से अधिक बढ़ी, आयात 27 00तक बढ़े, घरेलू उद्योग की बिक्री ***बढ़ी, जबकि भारतीय उद्योग की बिक्री समग्र रूप से केवल *** मशीनों तक बढ़ी।

ख. संबद्ध देश की आयात मात्रा और हिस्सा

82. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध मे, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है, सारभूत स्थिति निम्नलिखित

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
चीन जन.गण.	सं.	3,327	3,624	3,808	6,027
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*109*	*114*	*181*
अन्य देश	सं.	567	541	466	752
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*95*	*82*	*133*
कुल आयात	सं.	3,894	4,165	4,274	6,779
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*107*	*110*	*174*
भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात					
	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*114*	*97*	*125*
भारतीय खपत	%	80%	82%	83%	84%
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*103*	*104*	*105*

83. यह देखा जाता है कि -

क. संबद्ध देश से आयातों की मात्रा पूरी क्षति अवधि में और जांच की अवधि में बढ़ी है। संबद्ध आयात जांच की अवधि में भारत में संबद्ध सामानों के उन आयातों का 90 प्रतिशत है।

ख. संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष तथा पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन और भारतीय खपत के संबंध में बढ़े हैं।

ग. संबद्ध आयात देश में उत्पाद के लिए मांग में काफी अधिक अनुपात में हैं।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

84. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का न्यूनीकरण करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती।

85. तद्नुसार, प्राधिकारी ने कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच की है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत ओर बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत कटौती

86. प्राधिकारी ने पीसीएन स्तर पर कीमत कटौती परिकलित की है और उसके बाद समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए कीमत कटौती निर्धारित की है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आंकड़ों में उत्पाद विवरण पूरे आयात आंकड़ों में पीसीएन की पूरी पहचान करने की अनुमति नहीं देता। अत:, पूरी आयात मात्रा के लिए कीमत कटौती का परिकलन करना संभव नहीं था। चूंकि चीन जन.गण. से भारी संख्या में उत्पादकों ने भाग लिया है और पीसीएन वार सूचना दी है, अत: प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से उत्तरदाता उत्पादकों के आंकड़ों के आधार पर कीमत कटौती परिकलित की है।

विवरण	पहुंच कीमत	बिक्री कीमत	कीमत कटौती	कीमत कटौती %	कीमत कटौती (रेंज)
यूएसडी/ मशीन	***	***	***	***	40-50

87. यह देखा जाता है कि कीमत कटौती काफी और सकारात्मक है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

88. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव उन कीमतों का काफी मात्रा तक ह्रास करना है अथवा वह कीमत वृद्धि रोकते हैं जो अन्यथा सामान्य अवधि में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच नीचे की गई है:

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बिक्री लागत	लाख रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*103*	*93*	*92*
बिक्री कीमत	लाख रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूची*	*100*	*95*	*96*	*83*
पहुंच कीमत	लाख रु./सं.	10.67	11.18	9.22	11.48
प्रवृत्ति	*सूची*	*100*	*105*	*86*	*108*

89. यह देखा जाता है कि जबकि क्षति की अवधि में और कीमतों दोनों में गिरावट आई है, बिक्री कीमत में गिरावट लागतों में गिरावट से कहीं अधिक थी। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से निरंतर काफी कम रही हैं। यद्यपि घरेलू उद्योग की लागत और कीमत की भारित औसत आधार पर आयात कीमत से तुलना शामिल पीसीएन की व्यापक रेंज पर विचार करते हुए उपयुक्त नहीं होगा। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि पीसीएन-वार कटौती 50-40 प्रतिशत तक सकारात्मक है, यह दर्शाता है कि आयातों से घरेलू उद्योग लागतों में गिरावट से अधिक अपनी कीमत कम करने के लिए मजबूर हुआ है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

90. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तद्नुसार घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

i. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

91. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री का विश्लेषण किया है।

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
संस्थापित क्षमता	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*100*	*100*
उत्पादन मात्रा	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*86*	*106*	*124*
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*87*	*106*	*135*
घरेलू बिक्री	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*83*	*109*	*124*

92. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि में और जांच की अवधि में स्थिर रही है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री मांग में वृद्धि के साथ बढ़ी है। तथापि, उत्पादन और बिक्री की मात्रा भारत में क्षमता और मांग की तुलना में काफी कम है। घरेलू उद्योग में क्षमता भारत में उत्पाद के लिए मांग से काफी कम है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पूरी क्षति अवधि में कम रहा है।

ii. बाजार हिस्सा

93. प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*78*	*99*	*72*
समर्थक की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*68*	*78*	*83*
अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*100*	*122*	*96*
समग्र रूप से भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*86*	*106*	*82*
चीन से आयात	%	78%	81%	81%	83%
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*103*	*104*	*106*
अन्य देशों से आयात	%	13%	12%	10%	10%
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*90*	*74*	*77*

94. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की अवधि में कम हुआ है, जबकि संबद्ध देश का बाजार हिस्सा बढ़ा है और कुल मांग के 80 प्रतिशत से अधिक है। अन्य देशों, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि में कम है।

iii. मालसूची

95. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
औसत मालसूची	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*142*	*158*	*154*

96. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में मालसूची क्षति की अवधि में बढ़ी है। जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यह उत्पाद ग्राहक द्वारा बनाया गया उत्पाद है और मालसूची में वृद्धि उस संदर्भ में देखी जानी चाहिए। भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया था कि कुछ मानक मशीनें बिना ऑर्डर के विनिर्मित की जाती हैं और घरेलू उद्योग द्वारा 'बिक्री के लिए तैयार रूप से उपलब्ध' के रूप में पेश की जाती हैं। अत:, यह नहीं कहा जा सकता कि पूरा उत्पादन ऑर्डरों के लिए है। घरेलू उद्योग दोनों का उत्पादन ऑर्डरों पर और मानी गई सामान्य बाजार आवश्यकताओं के लिए करता है। बढ़ी हुई मालसूची स्टॉक में पड़ी मशीनें हैं जो ऑर्डर प्राप्त होने के बाद बेची जानी होती हैं।

iv. लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर लाभ

97. घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच लाभप्रदता, लाभ, नकद लाभ और पीबीआईटी और निवेश पर आय के संबंध में की गई है।

विवरण	**यूओएम**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
बिक्री लागत	लाख रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*103*	*93*	*92*
बिक्री कीमत	लाख रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*95*	*96*	*83*
पीबीटी (कर पूर्व लाभ)	लाख रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-233*	*-47*	*-248*
पीबीआईटी (ब्याज और कर पूर्व लाभ)	लाख रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-370*	*47*	*-453*
नकद लाभ	लाख रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-459*	*48*	*-526*
आरओसीई	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*-390*	*49*	*-700*

98. यह देखा जाता है कि:

क. घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि में हानियां हो रही हैं।

ख. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानियां, नकारात्मक पीबीआईटी, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है।

ग. वर्ष 2020-21 को छोड़कर पूरी जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर रिटर्न नकारात्मक था।

99. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया कि घरेलू उद्योग के वित्तीय परिणाम यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग लाभ में है। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग कई अन्य प्रकार की मशीनों का उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग ने उन मशीनों को लाभ पर बेचा है जिससे कंपनी स्तर पर समग्र लाभ हुआ है। घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया कि उन उत्पादों में कोई वास्तविक पाटन नहीं हो रहा था।

100. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अकेले कच्ची सामग्री के कारण लागतें बिक्री कीमत का बहुत अधिक अनुपात हैं। विचाराधीन उत्पाद का प्रतिकूल निष्पादन और अन्य उत्पादों का बेहतर निष्पादन खुद ही कच्ची सामग्री लागतों में बिक्री के अनुपात से सिद्ध है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

101. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की गई थी।

विवरण	यूओएम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*83*	*104*	*108*
वेतन एवं मजदूरी	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*78*	*88*	*95*
प्रतिदिन उत्पादकता	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	86	106	124
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	100	103	102	115

102. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या क्षति की अवधि में बढ़ी है। प्रतिदिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में इस अवधि में सुधार आया है। प्रदत्त मजदूरी में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है परंतु पूर्व वर्ष की तुलना में वह बढ़ी है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये मानदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का प्रभाव नहीं दर्शाते। यह भी देखा जाता है कि वेतन और मजदूरी बिक्री कीमत का वास्तविक भाग नहीं बनते।

vi. वृद्धि

103. उत्पादन, क्षमता, घरेलू बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभ, नकद लाभ, बाजार हिस्सा और निवेश पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नलिखित तालिका में दिए गए अनुसार है:-

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	POI
उत्पादन	%	-14.15%	23.30%	17.05%
घरेलू बिक्रियां	%	-17.24%	31.55%	13.57%
प्रति यूनिट लाभ/हानि लाख रु.	%	-132.75%	79.90%	-429.34%
मालसूची	%	41.67%	11.76%	0.00%
पीबीआईटी लाख रु.	%	-206.03%	116.82%	-1187.78%
नकद लाभ	%	-279.68%	113.88%	-1335.58%
आरओसीई	%	-11.21%	16.99%	-29.01%

104. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि के दौरान अधिकतर क्षति मानदंडों में नकारात्मक थी।

vii. पाटन की मात्रा

105. पाटन की मात्रा उस सीमा तक एक संकेतक है जहां तक पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि समग्र रूप से संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और काफी है।

viii. नियोजित पूंजी जुटाने की क्षमता

106. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में वित्तीय हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है जिससे पूंजी निवेश जुटाने में उसकी क्षमता कमजोर हुई है।

ज.3.4. क्षति विश्लेषण

107. घरेलू उद्योग के निष्पादन और संबद्ध सामानों के आयातों की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में बढ़ी है। चीनी आयातों का भारतीय खपत में काफी अधिक हिस्सा है। संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं। कीमत कटौती से बाजार में कीमतों पर ह्रासमान प्रभाव पड़े हैं, जैसा कि लागत गिरावट से अधिक घरेलू उद्योग में गिरावट से देखा जा सकता है। घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री पूरी क्षति अवधि में कम रहा है। घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग ने समग्र रूप से बाजार हिस्सा खोया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पाद के लिए मांग में समग्र रूप से धारित हिस्सा पूरी क्षति अवधि में बहुत कम रहा है जबकि चीनी आयातों का हिस्सा

काफी अधिक है। भारतीय उद्योग धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। घरेलू उद्योग को पूरी क्षति अवधि में वित्तीय हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है।

झ. कारणात्मक संपर्क

108. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा ऐसे किन्हीं ज्ञात कारकों की जांच करनी होती है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं। ताकि इन अन्य कारकों की वजह से हुई क्षति को पाटित आयातों के लिए उत्तरदायी न ठहराया जा सके। इस संबंध में जो कारक संगत हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचलन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन एवं घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या नियमावली के तहत सूचीबद्ध कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण हो सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

109. चीन जन.गण. से आयात जांच की अवधि में भारत में संबद्ध सामानों की कुल आयातों का 88 प्रतिशत है। अन्य देशों से आयात या तो उच्चतर कीमतों पर हैं अथवा बहुत कम मात्रा में हैं। अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले नहीं माने जा सकते हैं।

ख. मांग में संकुचलन और/ अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

110. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचलन नहीं है। इसके विपरीत संबद्ध सामानों के लिए समग्र मांग ने क्षति अवधि के दौरान काफी वृद्धि दर्शाई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उपलब्ध मांग की मात्रा तक अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ है।

ग. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच ने प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाया है अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

112. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है कि प्रौद्योगिकी में विकास से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

113. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए अलग से घरेलू प्रचालनों के लिए क्षति के आंकड़ों पर विचार किया है। अत:, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

114. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। अत: घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ञ. क्षति मार्जिन की मात्रा

115. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़े अपनाकर और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग एकाउंटेट द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना और आंकड़ों से निर्धारित की है। क्षति मार्जिन परिकलित करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए एनआईपी पर विचार किया गया है। एनआईपी निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में कच्ची सामग्री और यूटिलिटियों के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा अनावर्ती खर्चों को उत्पादन लागत से अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर उपयुक्त आय (22 प्रतिशत की दर से कर-पूर्व) (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपतियां और औसत कार्यशील पूंजी) की नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किए गए अनुसार एनआईपी निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी और वह अपनाई जा रही है।

116. उपर्युक्तानुसार निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। क्षति मार्जिन का निर्धारण पीसीएन से पीसीएन विश्लेषण करके आयातों के पहुंच कीमत के साथ एनआईपी की तुलना करके किया गया है:

एस.एन.	**समूह**	**निर्माता/निर्यातक**	**सीएनवी ($/यूनिट)**	**ईपी ($/यूनिट)**	**डीएम ($/यूनिट)**	**डीएम %**	**डीएम रेंज (%)**
1	हंस ग्रुप	जीडी हंस युमिंग लेजर ग्रुप कंपनी लिमिटेड हंस लेजर स्मार्ट इक्विपमेंट कंपनी ग्रुप लिमिटेड हंस लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड हंस लेजर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड हंस एमपी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	**20-30**
2	यावी ग्रुप	जियांग्सू यावेई मशीन-टूल कंपनी लिमिटेड जियांग्सू यावेई चुआंगकेयुआन लेजर उपकरण कं, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
3	ट्रम्पफ समूह	ट्रम्पफ (चीन) कंपनी लिमिटेड जिआंगसु जिनफैंगयुआन सीएनसी मशीन कं, लिमिटेड	***	***	***	***	(40-50)

4	एचएसजी समूह	एचएसजी लेजर कंपनी लिमिटेड जिनान होंग्शी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
5	बिस्ट्रोनिक ग्रुप	बिस्ट्रोनिक लेजर एजी	***	***	***	***	30-40
		बिस्ट्रोनिक (तियानजिन) लेजर लिमिटेड					
		बिस्ट्रोनिक (शेन्ज़ेन) लेजर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड					20-30
6	जिनान बोडोर समूह	जिनान बोडोर सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	130-140
7	शेडोंग ओरी	जिनान ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	70-80
		शेडोंग ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड					80-90
8	गवेकी	गवेकी टेक कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	110-120
9	अवशिष्ट	कॉलम क्रमांक 1 से 8 के अलावा अन्य	***	***	***	***	130-140

117. यह देखा गया है कि एक सहयोगी उत्पादक को छोड़कर सहयोगी उत्पादकों तथा अन्य सभी उत्पादकों के संबंध में क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।

ट. प्रकटन पश्चान अनुरोध

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

118. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

i. प्राधिकारी ने इस आधार पर किए गए अपवर्जन के अनुरोधों को अस्वीकार किया है कि घरेलू उद्योग एक विशेष उत्पाद का उत्पादन करता है । घरेलू उद्योग को दर्शाना होगा कि क्या विशिष्ट उत्पाद प्रकार जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए गए और बेचे गए हैं । केवल इसी उत्पाद प्रकार के उत्पादन की क्षमता होना उसे शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

ii. क्या सीकेडी रूप में आयातित किसी मशीन को केवल इसलिए शामिल किया जाएगा कि उस खेप में वह सभी कलपुर्जे शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद को अनिवार्य विशेषता प्रदान करते हैं और यदि ऐसा है तो विचाराधीन उत्पाद को कौन सा हिस्सा अनिवार्य विशेषता प्रदान करता है ।

iii. समर्थन पत्रों को प्रस्तुत करने की तारीख प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट की जानी चाहिए। उन्हें तब अस्वीकार करना चाहिए, यदि विलंब से अर्थात 11 जनवरी, 2023 के बाद (ईक्यूआर प्रस्तुत करने की समय सीमा) किया गया था । आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण ने कहा कि अन्य समर्थक यानी प्रोटेक एंड लास्ट्रोनिक्स और मेसर्स कटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने उत्पादन, क्षमता और घरेलू बिक्री का विवरण प्रदान किया है। हालाँकि, इच्छुक पक्षों के साथ साझा की गई याचिका में ऐसा कोई विवरण मौजूद नहीं है।

iv. उत्तरदाता अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार समझते हैं कि चूंकि अन्य निर्माता बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने वर्तमान जांच का समर्थन नहीं किया है और न ही आगे आए हैं। चार अन्य निर्माताओं ने न तो इस पहल का समर्थन किया है और न ही इसका विरोध किया है।

v. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा आयात मामूली हैं, प्राधिकारी को प्रत्येक मशीन प्रकार अर्थात कटिंग, मेकिंग और वेल्डिंग के लिए आयातों पर विचार करना चाहिए और न कि सभी तीनों मशीनों को एक श्रेणी में जोड़ना चाहिए ।

vi. प्राधिकारी से उस स्थिति में पीसीएन की तुलना के लिए पद्धति के प्रकटन का अनुरोध है, यदि किसी विशेष पीसीएन वाली कोई मशीन घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं होती थी ।

vii. ट्रम्प और जियांगशु एक दूसरे से संबंधित उत्पादक हैं, उन्हें अलग-अलग के बजाय एक ही भारित औसत पाटन मार्जिन प्रदान किया जाना चाहिए ।

viii. पीसीएन वार कटौती कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण संबंधी निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए संगत नहीं है । कीमतह्रास/न्यूनीकरण के लिए अलग विश्लेषण की जरूरत है और उसे केवल कीमत कटौती के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

ix. संबद्ध आयातों में कीमत ह्रास या न्यूनीकरण प्रभाव नहीं है । आवेदक पहुंच मूल्य के प्रभाव के बिना अपनी कीमत में वृद्धि/कमी करने में समर्थ था ।

x. आर्थिक प्रभाव को निवल आय के बजाए प्रयोक्ताओं के निवल लाभों के संबंध में विश्लेषित किया जाना चाहिए ।

xi. एचएसजी लेजर कं.लि. जिनयान होंगशी लेजर टेक्नोलॉजी कं. लि. और ग्वाइके टेक कं. लि. ने के नाम सही किए जाने की आवश्यकता है ।

xii. घरेलू उद्योग अपने कच्चे माल को चीन पीआर से आयात करता है और सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पादन लागत चीन पीआर के उत्पादकों की उत्पादन लागत से महत्वपूर्ण अंतर पर नहीं है। प्रत्येक पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य और डंपिंग मार्जिन का अनुमान उत्तरदाताओं द्वारा प्रकटीकरण टिप्पणियों के साथ संलग्न बाजार खुफिया जानकारी से प्राप्त 3 प्रमुख घटकों के कच्चे माल की कीमत के आधार पर लगाया गया है। अनुमानित डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है। प्राधिकरण को सामान्य मूल्य और डंपिंग मार्जिन निर्धारण की फिर से जांच करनी चाहिए।

xiii. अत्यधिक उच्च डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और अनुचित पीसीएन से पीसीएन तुलना के आधार पर निर्धारित उच्च सामान्य मूल्य और एनआईपी के कारण है। पीसीएन तुलना पद्धति पर प्रकटीकरण की कमी ने उत्तरदाताओं को इसकी उपयुक्तता पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान करने से रोका है।

xiv. उत्तरदाताओं ने फिर से प्राधिकरण से आवेदक के डेटा के साथ-साथ अन्य भारतीय उत्पादकों के डेटा पर विचार करने का अनुरोध किया है। इससे चोट का सटीक आकलन सुनिश्चित हो सकेगा. यह प्राधिकरण द्वारा अतीत में किया गया है जैसा कि *चीन पीआर, इंडोनेशिया,*

मलेशिया और थाईलैंड से पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर की एंटी-डंपिंग जांच में देखा जा सकता है।

xv. घरेलू उद्योग की ''प्रति यूनिट बिक्री लागत'', ''प्रति यूनिट निवल बिक्री वसूली'' और ''प्रति यूनिट लाभ/हानि'' जैसे महत्वपूर्ण मानदंडों में काफी संशोधन किए जाने के कारण प्रकट किए जाने चाहिए ।

xvi. चूंकि विचाराधीन उत्पाद एक पूंजीगत सामान है अत: लगाए गए शुल्क का स्वरूप विचाराधीन की सभी सूचियों को एक समान प्रभावित करने के लिए यथामूल्य होना चाहिए ।

xvii. घरेलू उद्योग में भारत में मांग की पूर्ति करने की क्षमता नहीं है, अत: शुल्क की सिफारिश केवल 2 वर्षों के लिए की जानी चाहिए ।

xviii. शेनझेन डीएनई, जिनान बोडोर ग्रुप का आधार नहीं है जैसा कि प्रकटन में उल्लेख किया गया है । वे बायोट्रोनिक ग्रुप के संबद्ध व्यापारी हैं । अनुरोध है कि अंतिम जांच परिणाम में इसे ठीक किया जाए ।

xix. 20000वॉट के लेजर पावर वाली मशीन के ऑर्डर दर्शाने वाले घरेलू उद्योग के संबंध में तथ्य प्रकटन में पहली बार प्रकट किए गए हैं और कोई साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था ।

xx. प्राधिकारी द्वारा की गई पीसीएन वार तुलना गलत है ।

xxi. समर्थक ''मेसर्स कटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड '' और ''प्रोटेक एंड लेस्ट्रोनिक्स'' की याचिका में कोई उत्पादन ब्यौरे अथवा समर्थन पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

xxii. सामान्य मूल्य के परिकलन में प्राधिकारी ने बायस्ट्रोनिक ग्रुप के परिकलन में बायस्ट्रोनिक शेनझेन डीएनई के निर्यात ब्यौरे छोड़ दिए है, ग्रुप से निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य में 20 प्रतिशत तक कमी आई ।

xxiii. उस कानून सहित घरेलू उद्योग द्वारा एमएसएमई प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए जिसमें यह उल्लेख हो कि पाटनरोधी नियमों और विनियमों को एमएसएमई के लिए छोड दिया जाना चाहिए ।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

119. घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रकटन पश्चात टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:-

i. घरेलू उद्योग ने प्रतिभागी निर्यातकों की सत्यापन रिपोर्ट का गैर-गोपनीय रूपांतर, निर्यातकों के बीच किए गए पत्राचार और आरंभिक प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के बाद निर्यातकों द्वारा दायर की गई किसी सूचना को प्रकटन करने का अनुरोध किया है ।

ii. संबद्ध देश से उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा सूचित मात्रा और मूल्य लेन देनवार आयात आंकड़ों में सूचित मात्रा और मूल्य से मेल खाना आवश्यक है ।

iii. यदि उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा सूचित मात्रा और मूल्य लेनदेनवार आयात आंकड़ों से मेल नहीं खाते तो ऐसे निर्यातक को असहयोगी माना जाना चाहिए और उनका उत्तर रद्द किया जाना चाहए।

iv. निम्नलिखित पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना जाना चाहिए क्योंकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दायर करने में विफल रहे हैं: (i) जियाताई इंटरनेशनल कंपनी (भारत), (ii) विला सीएनसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (iii) वी एम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, (iv) एस एंड टी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, (v) प्रीमियर यूनाइटेड प्रा. लिमिटेड, (vi) एसएमटी इनोवेटिव, (vii) दक्ष एंटरप्राइजेज, (viii) साहिल टेक्नोक्रेट्स, (ix) उपनल सीएनसी प्राइवेट लिमिटेड, (x) श्री राम एंटरप्राइजेज, (xi) मीरा लेजर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, (xii) वुहान रेकस फाइबर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड।

v. पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में रिकॉर्ड में उपलब्ध विश्वसनीय और निर्धारक सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दी गई है। इस जांच में कोई प्रयोक्ता प्रतिभातगिता नहीं है और आयातकों ने कोई निर्धारित सूचना नहीं दी है।

vi पाटनरोधी शुल्क लगाने से अंतिम प्रयोक्ताओं अथवा निचले स्तर के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि विचाराशीन उत्पाद एक पूंजीगत सामान है और शुल्क का कोई भी प्रभाव विचाराधीन उत्पाद से पूरे जीवन काल पर व्यापक होगा।

vii. शुल्क के यथा मूल्य की ऐसे सिफारिश की जानी चाहिए जैसे: (क) उत्पाद में ऐसे मॉडल और किस्में शामिल हैं जिनमें संबद्ध लागतों और कीमतों में काफी अंतर हो, (ख) उत्पाद एक पूंजीगत सामान है और विशिष्टियों/अपेक्षाओं के अनुसार विनिर्मित किया जाता है, (ग) किसी प्रवंचना से बचने के लिए।

viii. प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश 5 वर्ष की अवधि के लिए की जानी चाहिए क्योंकिआवेदक और अन्य उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र से हैं और उन्हें वसूली की आवश्यकता है क्योंकि भारतीय उद्योग को लंबे समय से पाटन से क्षति हो रही है।

ट.3 प्राधिकारी की जांच

120. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृति की हैं जिनकी जांच परिणामों के संगत पैराओं में पहले ही उपयुक्त रूप से जांच कर दी गई है और उन्हें पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है। प्रकटन विवरण में उठाए गए मुद्दों, जिनकी पहले जांच की गई है, पर अब विचार नहीं किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों /अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की निम्नलिखित रूप में जांच की गई है।

121. हितबद्ध पक्षकारों के गलत नामों के संबंध में अनुरोध विधिवत रूप से अंतिम जांच परिणाम में शामिल कर दिए गए हैं।

122. घरेलू उद्योग की वैबसाइट पर सामानों की सभी किस्मों के उत्पादन संबंधी कोई सूचना न होने और उत्पादन करने की क्षमता के आधार पर सामानों को शामिल किए जाने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद व्यापक रूप से ऑर्डर के आधार पर उत्पादित किया जाता है। ऐसे उत्पाद हो सकते हैं जिन्हें घरेलू उद्योग उत्पादित कर सकता है परंतु ऑर्डर न होने के कारण उनका उत्पादन नहीं करता। विचाराधीन उत्पाद विभिन्न आकारों, लेजर पावर, बैड साइज आदि की व्यापक रेंज में आता है। यह संभव हो सकता है कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद विशेषताओं में कुछ छोटे अंतरों के साथ आयातित उत्पाद के साथ मशीन का उत्पादन किया हो। इच्छुक पार्टियों ने यह नहीं दिखाया है कि किसी पार्टी ने घरेलू उद्योग पर ऑर्डर दिया है और घरेलू उद्योग ने तकनीकी अक्षमता का दावा करते हुए आपूर्ति पर खेद व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में जहां उत्पाद कई प्रकारों/ रूपो/ किस्मों में उत्पादित किया जाता हो और बेचा जाता हो वहां प्राधिकारी उस पर विचार नहीं करते कि घरेलू उद्योग को उत्पाद के प्रत्येक प्रकार/रूप/स्थिति का उत्पादन करना चाहिए और उसकी आपूर्ति करनी चाहिए थी। प्राधिकरण का मानना है कि घरेलू उद्योग के पास ऐसे सामान का उत्पादन करने की क्षमता और क्षमता होनी चाहिए। वस्तुत: प्राधिकारी ने नेमी रूप से क्षतिमार्जिन निर्धारित किया है जहां प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के सभी रूप देश में आयात नहीं किए गए थे और इसी प्रकार उत्पादों के सभी रूपों का उत्पादन नहीं किया गया था तथा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं की गई थी। वास्तव में प्राधिकरण ने ऐसे मामलों में क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए अपनी पद्धति को अधिसूचित किया है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में क्षति मार्जिन लगभग समान उत्पाद प्रकार पर विचार करके और विशेषताओं में अंतर के लिए समायोजन करके निर्धारित किया जाएगा। अत: जांच की अवधि के दौरान विशेष उत्पाद किस्म का उत्पादन न किए जाने के आधार पर ही, उसे हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, विशेष रूप से वर्तमान जैसे मामले में जिसमें पूंजीगत सामान की मद शामिल है। मामले के तथ्यों और शामिल उत्पाद की प्रकृति के आधार पर इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग अपेक्षित उत्पाद का उत्पादन करने में सक्षम है।

123. शुल्क के स्वरूप और अवधि के बारे में तर्क के संबंध में इस पर मामले के तथ्यों के आधार पर वियधवत विचार किया गया है। प्राधिकारी ने उन मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए विगत में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग लंबे समय से अस्तित्व में रहा है। बाजार में भारी संख्या में उत्पादक हैं। घरेलू बाजार में आयातित उत्पाद का हिस्सा बहुत अधिक है। मामले के तथ्य भारतीय उद्योग की पूरी वसूली की अनुमति देने के लिए 5 वर्षों के लिए शुल्क की सिफारिश का औचित्य बनाते हैं।

124. यह तर्क दिया गया है कि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग 20000W की लेजर शक्ति वाली मशीन का उत्पादन कर सकता है, प्रकटीकरण विवरण में पहली बार खुलासा किया गया है। अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियों के अनुसार, जिसमें यह कहा गया था कि घरेलू उद्योग 20000 वाट की लेजर शक्ति वाली मशीनें प्रदान नहीं कर सकता है, घरेलू उद्योग ने अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में वांछित लेजर के साथ मशीन का उत्पादन करने की अपनी क्षमता का प्रमाण प्रदान किया था। शक्ति। प्रकटीकरण वक्तव्य में सभी पक्षों को इस तथ्य का खुलासा किया गया है और टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। हालाँकि, इच्छुक पार्टियों ने इस पर विवाद करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया है।

125. जहां तक ग्वैक टैक कं. लि. द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्तरदाता ने अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित अवधाराणओं और इन परिस्थितियों में खंडन करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं।

126. जहां तक समर्थन पत्र जमा करने की तारीख का संबंध है, समर्थन पत्र जांच शुरू होने से पहले प्राप्त हुए थे और उनके नामों पर जांच शुरू होने की अधिसूचना में ही विचार किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि अन्य समर्थकों के उत्पादन और बिक्री के बारे में जानकारी इच्छुक पार्टियों को नहीं बताई गई थी। प्राधिकरण ने आरंभिक अधिसूचना में ही भाग लेने वाले उत्पादकों के नाम और प्रकटीकरण विवरण में उनकी घरेलू बिक्री की प्रवृत्ति का खुलासा किया है।

127. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकरण को अन्य उत्पादकों के प्रदर्शन की भी जांच करनी चाहिए, न कि उन अन्य उत्पादकों की जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है। डब्ल्यूटीओ के निर्णयों और नियमों के आधार पर, खंडित उद्योग के मामले में कुल भारतीय उत्पादन में 25% हिस्सेदारी को "प्रमुख अनुपात" माना जा सकता है। वर्तमान मामले में आवेदक एंटी-डंपिंग नियमों के अनुसार खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करता है। प्राधिकरण समर्थकों के प्रदर्शन के रुझान की भी जांच कर सकता है। हालाँकि, वर्तमान जांच में समर्थकों ने केवल क्षमता, उत्पादन और बिक्री के संबंध में जानकारी प्रदान की है। यह देखा गया है कि समर्थक भी महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं के साथ काम कर रहे हैं।

128. जहां तक न्यूनीकरण/ह्रास के लिए विचार की गई पद्धति पर टिप्पणियों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शामिल पीसीएन की भारी संख्या पर विचार करते हुए यह अत्यधिक भ्रामक होगा, यदि तुलना औसत आधार पर की जाती है । लेनदेन वार, पीसीएन वार आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है । यह तथ्य कि घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हुई हैं और आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, यह दर्शाता है कि आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण अथवा ह्रास कर रहे हैं ।

129. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित नहीं किए जाने वाले पीसीएन के लिए सामान्य मूल्य की गणना पर तर्क का संबंध है, यह नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने जहां भी आवश्यक हो, उचित समायोजन के साथ घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित निकटतम पीसीएन के सामान्य मूल्य की गणना करने में उचित परिश्रम किया है।

130. जहां तक पीसीएन वार तुलना का संबंध है, प्राधिकारी ने सतत परिपाटी के अनुसार तुलना की है । जहां घरेलू उद्योग ने सटीक पीसीएन की आपूर्ति की है, वर्तमान निर्धारण के लिए उसी पर विचार किया गया है। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां आयात मात्रा में कुछ पीसीएन शामिल हैं जो जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए गए हैं, इन पीसीएन के लिए गैर-हानिकारक मूल्य या सामान्य मूल्य की गणना उचित समायोजन के साथ निकटतम पीसीएन के आधार पर की गई है।

131. यह तर्क दिया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति में अंतर है और एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के बाद यह और भी बदतर हो जाएगा। यह भी देखा गया है कि मांग के विपरीत, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों, अन्य देशों से आयात और संबद्ध देशों से गैर-डंपित आयात पूरी मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि क्षमताओं को कुछ हद तक तुरंत और काफी हद तक अल्पावधि में बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकरण नोट करता है कि देश में मांग-आपूर्ति का अंतर घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयात से निवारण पाने से नहीं रोकता है। जैसा कि डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी के मामले में सीईएसटीएटी द्वारा आयोजित किया गया था, मांग-आपूर्ति अंतर डंपिंग को उचित नहीं ठहराता है। विदेशी उत्पादक हमेशा बिना डंप कीमत पर उत्पाद बेचकर भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद भी देश में आयात पर रोक नहीं लगी है.

132. यह तर्क दिया गया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि उपभोक्ता एमएसएमई में हैं। हालाँकि, प्राधिकारी का मानना है कि यह तर्क एक चीनी निर्यातक/भारतीय व्यापारी द्वारा उठाया गया है। उपभोक्ताओं ने ऐसा कोई तर्क नहीं दिया है, न ही कोई उपभोक्ता संघ ऐसी किसी दलील के साथ आगे आया है। साथ ही, यह ध्यान दिया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद में घरेलू उत्पादक एमएसएमई में हैं। इसके अलावा, जहां तक खरीदारों का सवाल है, भले ही वे एमएसएमई हों, विचाराधीन उत्पाद एक पूंजीगत सामान वस्तु है और इसलिए लागत उत्पाद के लंबे जीवन में अवशोषित हो जाएगी।

ठ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ठ1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

133. जनहित के विरुद्ध होने वाले शुल्क लगाए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i. जिन प्रयोक्ताओं ने चीनी मशीनों का आयात किया उन्हें पूर्ण मूल्यह्रास के कारण तब तक उन्हें आयात नहीं करने होंगे जब तक मशीन को बदलने की आवश्यकता न हो। अत: विद्यमान प्रयोक्ता निकट भविष्य में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रभावित नहीं होंगे। प्रयोक्ताओं से प्रतिभागिता का अभाव इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

ii. याचिकाकर्ताओं की पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा रद्द की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने 30 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क उस समय माना जब दावा किया गया पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन क्रमश: 18 190-0प्रतिशत और 90-100 प्रतिशत है जिससे पारंपरिक रूप से पाटनरोधी शुल्क 60 प्रतिशत होगा। संबद्ध सामानों का प्रयोक्ताओं का सबसे बड़ा अनुपात एमएसएमई है जो याचिकाकर्ता द्वारा माने गए बड़े औद्योगिक प्रयोक्ता के विपरीत सबसे अधिक प्रभावित होगा।

iii. 30प्रतिशत- 60प्रतिशत का लेजर कटिंग मशीन के लिए 13 प्रतिशत - 27 प्रतिशत और लेजर मार्किंग मशीन तथा लेजर वैल्डिंग मशीन के लिए 6 प्रतिशत-13 प्रतिशत का प्रभाव होगा। विचाराधीन उत्पाद की बढ़ी हुई लागत प्रयोक्ता के लाभ को प्रभावित करेगी। इससे छोटे पैमाने के प्रयोक्ता व्यापार योजनाएं छोड़ने के लिए मजबूर होंगे जिससे कंपनी पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रयोक्ता उद्योग की प्रतिस्पर्धा गंभीर रूप से प्रभावित होगी। आयातक और अंतिम प्रयोक्ता क्रमश: 2000 और 5000 लोगों को सीधे ही रोजगार देते हैं। पाटनरोधी शुल्क से सृजित रोजगार प्रभावित होगा।

iv. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से मांग-आपूर्ति का अंतराल खराब होगा और सरकार के मेक इन इंडिया उद्देश्य के लिए हानिकारक होगा।

v. अनुबंध 2.4 में राजस्व आंकड़ों के रूप में किया गया प्रदर्शन अविश्वसनीय है जिस पर परिकलन कम किए गए हैं और इसकी युक्तिसंगतता स्पष्ट नहीं है। लेजर मशीनों की बहुतायत अंतिम प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन विशिष्ट प्रयोक्ता उद्योग के आधार पर किया जाना है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच में दायर की गई प्रयोक्ता प्रश्नावली का संदर्भ लें।

vi पूरा लेजर मशीन बाजार अगले वर्षों में बढ़ने के लिए प्रस्तावित किया गया है और 'व्यापारिक क्षेत्र को अनुरूप बनाने' के कर-पूर्व के तहत घरेलू उद्योग भारतीय बाजार को लेने का प्रयास कर रहा है। घरेलू उद्योग, उद्योग मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है और चीनी, जापानी और जर्मन लेजर मशीनें वैश्विक रूप से बेहतर मानी जाती हैं। अत: वे कीमत लाभ लेने के लिए वैकल्पिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। घरेलू उद्योग अंतिम उपभोक्ताओं को बिना लाभ के पेशकश करता है और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की कटौती करने की मांग कर रहा है। पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध है।

vii. यहां तक कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है और संबद्ध आयात बंद होते हैं तो याचिकाकर्ता उत्पादन की मात्रा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके पास तकनीकी विशेषज्ञता और जानकारी नहीं है।

viii. घरेलू उद्योग का यह दावा कि पाटनरोधी शुल्क के कारण लागत में वृद्धि 15 वर्षों की एयूएल अवधि में फैल जाएगी, विरोधाभासी है। घरेलू उद्योग केवल यह उल्लेख नहीं करता कि उपभोक्ता अत्यधिक कीमत संवेदी हैं बल्कि यह भी दावा करता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ता पर समग्र प्रभाव नहीं होगा। यदि अंतिम उपभोक्ता कीमत संवेदी नहीं है तो फिर यह कारण कि प्रयोक्ता उद्योग आयात को प्राथमिकता देता है, इस तथ्य के कारण है कि उसके पास गुणात्मक रूप से बेहतर विचाराधीन उत्पाद है।

ix. यह उत्पाद लाख से करोड़ों तक है क्योंकि यह उत्पाद पूंजी संवेदी है। यदि पाटनरोधी शुल्क 60 प्रतिशत का लगाया जाता है तो यह विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के

लिए प्रयोक्ता/आयातकों के लिए महंगा होगा। पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव अत्यधिक होगा।

x. बिक्री के बाद सेवा और अतिरिक्त हिस्से पुर्जों की आपूर्ति के संबंध में प्रयोक्ताओं अथवा आयातक उद्योग द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त कई आयातक देश के विभिन्न भागों में हैं जो बिक्री के बाद सहायता और प्रयोक्ता के उद्योग की अपेक्षाओं को पूरा करने की बेहतर स्थिति में हैं। याचिकाकर्ता की बिक्री के बाद सेवा निरर्थक है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा समर्थित मशीनें कमजोर गुणवत्त/निष्पादन मानकों से प्रभावित होती है।

xi. इस प्रभाव से घरेलू उत्पादकों की अल्पाधिकारिक प्रवृत्तियां सशक्त होने की संभावना होगी, जो आयातकों और प्रयोक्ता उद्योग के लिए हानिकारक हो सकती हैं।

xii. शुल्क लगाए जाने से आयातक और प्रयोक्ता कम होंगे जो कि पहले से ही कम मार्जिन में हैं जिससे बाजार में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

xiii. तीसरे देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात भी अन्यथा बहुत महंगे हैं और छोटे पैमाने के प्रयोक्ताओं के लिए वहन करने योग्य नहीं होंगे।

xiv. एकल उत्पादकों के हित कुल मिलाकर जनहित के बराबर नहीं हो सकते। जहां केवल एक घरेलू उद्योग है और विभिन्न आयातकों ने भाग नहीं लिया है, वहां उनके पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव के दावे पर विचार किया जाना चाहिए।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

134. शुल्क लगाए जाने के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा शुल्क जनहित के विरुद्ध होने के किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क लगाये जाना उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कुल मिलाकर जनता के हित में है। क्षमता का उस समय विस्तार होगा जब भारत में उचित प्रतिस्पर्धा बनाए रखी जाए। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि यहां तक कि तीसरे देशों के आयात भारतीय बाजार में उचित रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

ii. प्रयोक्ताओं के विरोध का अभाव यह दर्शाता है कि प्रयोक्ता उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव स्वीकार नहीं करता। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा यह दर्शाती है कि प्रभाव नगण्य है।

iii. घरेलू उद्योग से खरीददारी करना प्रयोक्ताओं के हित में है। बिक्री के बाद सहायता और अतिरिक्त हिस्से पुर्जे की आपूर्ति मशीन के आसान कार्यकरण के लिए अनिवार्य है। भारत में स्थापित होने के नाते, घरेलू उद्योग प्रयोक्ता उद्योग को समय पर सेवा प्रदान करेगा।

iv. भारतीय उद्योग में केवल एमएसएम उद्योग है, जो बड़ी चीनी कंपनियों से अनुचित कीमत वाले आयातों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कुछ सहयोगी उत्पादक/निर्यातक बड़े यूरोपीय कारपोरेशनों की सहायक कंपनियां हैं। घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादक दोनों को निरंतर हानियों का अनुभव हो रहा है। इन हानिप्रद प्रचालनों को बनाए रखना अधिक समय तक भारतीय उद्योग के लिए व्यावहार्य नहीं है। बिना सरकारी सहायता के ये कंपनियां जल्दी बंद होने के लिए मजबूर हो सकती हैं।

v. संबद्ध सामानों की प्रौद्योगिकी का अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे चिकित्सा और रक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग हैं। घरेलू उद्योग इन क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के संबंध में अनुसंधान में लगा हुआ है। अत: यह देश के सर्वोत्तम हित में है कि घरेलू उद्योग इन क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में लगा रहे हैं।

vi भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से कम नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्क अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा उस अनुचित कीमत भेदभाव का समाधान है, जो भारत में उद्योग के लिए क्षतिकारक है। अत:, पाटनरोधी शुल्क लगाना उद्योग का संरक्षण नहीं है बल्कि इसके बजाए कीमत सही करने का साधन है।

vii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य एक संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा किसी व्यापार विकृति को समाप्त कर और भारतीय उद्योग को उचित प्रतिस्पर्धा के लिए एक अवसर प्रदान करके उचित व्यापारिक क्षेत्र स्थापित करना है।

viii. संबद्ध सामानों का उत्पादन चीन जन.गण. को छोड़कर कई देशों द्वारा किया जाता है। उचित प्रतिस्पर्धा बनाए रखने से भारतीय बाजार में समान स्तर पर चीनी आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तीसरे देशों के उत्पादकों को भी मदद मिलेगी। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि निचले स्तर के उद्योगों को शुल्क लगाए जाने के कारण संबद्ध सामानों की किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ix. भारतीय उद्योग बाजार सिद्धांत पर तीसरे देश के बाजारों में उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम है। भारतीय उद्योग के पास वैश्विक रूप से प्रसिद्ध होने और यूरोपीय, कोरियाई और जापानी उत्पादकों की क्षमता के बराबर समान स्तर साझा करने की क्षमता है। भारतीय उद्योग को तीसरे देश के आयातों से क्षति नहीं हो रही है।

x. संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उचित बाजार प्रतिस्पर्धा बनेगी। भारतीय उत्पादक चीनी आयातों के साथ बाजार शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे, बढ़ती हुई मांग के साथ पर्याप्त आय अर्जित करने और हानियों से लौटना उनकी उत्पाद क्षमता का विस्तार करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा तथा उत्पादन क्षमता का विस्तार मांग आपूर्ति अंतराल को पूरा करेगा तथा 'मेक इन इंडिया' का लक्ष्य सुकर बनाएगा।

xi. केवल भारतीय उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है और किसी भी आयातक ने वह निर्धारित नहीं की है जोकि आर्थिक हित की प्रश्नावली के तहत एक आवश्यकता थी।

xii. यहां तक कि 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली कंपनियां एमएसएमई मानी जाती हैं। घरेलू उद्योग ने 50 करोड़ रु. का एक उपयुक्त औसत लिया है और तद्नुसार प्रभाव की मात्रा बताई है।

xiii. प्रयोक्ता उद्योग के राजस्व पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का परिकलन आर्थिक प्रभाव का सही मीट्रिक बताता है। यह प्रभाव स्थिर उपाय पर परिकलित किया जाना चाहिए और इसीलिए राजस्व निवल लाभ के विपरीत अधिक उपयुक्त होगा जो कि प्रभावी और कई कारकों पर निर्भर है।

xiv. प्राधिकारी को चाहिए कि वे आयातकों द्वारा देरी से दायर किए गए पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण को रद्द करें क्योंकि वे आर्थिक हित की प्रश्नावली में देने में विफल रहे हैं। यहां तक कि यदि वह दायर की गई है तो उसे रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि वे घरेलू उद्योग को उसके गैर-गोपनीय रूपांतर परिचालित करने में विफल रहे।

xv. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा बनेगी जो भारतीय उद्योग को उनकी घरेलू बिक्री, राजस्व और आय में वृद्धि करने में सहायता करेगा। इससे भारतीय उत्पादक उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे और भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र से बाहर आ सकता है।

xvi. चीनी उत्पादकों ने अनुचित पाटन का सहारा लेकर भारतीय बाजार ले लिया है। भारतीय बाजार में उचित बाजार परिपाटियों की मौजूदगी से भारतीय उद्योग बाजार ले पाएगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्य रूप से पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन: स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। भारत में संबद्ध सामानों के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करना ही भारतीय उद्योग के ढांचे पर विचार करते हुए अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि, घरेलू उद्योग भारतीय उद्योग में सबसे बड़ी कंपनी है, फिर भी वे एमएसएमई कंपनी है। घरेलू उद्योग के अलावा संबद्ध सामानों के अन्य सभी उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र में आते हैं। यदि संबद्ध सामानों का उत्पादन और बिक्री उनके लिए गैर-अर्थक्षम हो जाती है तो वे अपने प्रचालन बंद करने के लिए मजबूर होंगे। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से किसी भी तरह संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसीलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

136. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव शामिल था। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त किए गए उत्पाद की परस्पर बदलने की क्षमता, स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, उन कारकों जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से होने वाली नई स्थिति में समायोजन बढ़ने अथवा विलंब होने की संभावना है, के संबंध में सूचना मांगी।

137. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली में मांगी गई सूचना दी है। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा भी दी है। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से दो उत्पादकों/निर्यातकों ने आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर दिए हैं, यथा - एचएसजी लेजर कंपनी लिमिटेड और जिनान होंगशी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। तथापि, निर्यातकों ने अंतिम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव नहीं बताया है। जांच प्रक्रिया के दौरान यह जांच करने के लिए कदम उठाए गए थे कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध होगा, इसके लिए प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के प्रयोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार किया है।

138. किसी भी प्रयोक्ता, ओईएम अथवा प्रयोक्ता एसोसिएशन ने वर्तमान जांच का विरोध नहीं किया है। न ही इन पक्षकारों ने यह दावा किया है कि कुल मिलाकर जनता पर अथवा उनके प्रचालनों पर भी प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव होगा। प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद, एंटी-डंपिंग न लगाने का अनुरोध करने वाले कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, अभ्यावेदन की सामग्री बहुत समान है और संभावित प्रभाव पर कोई डेटा प्रदान नहीं किया गया है। जैसाकि ऊपर नोट किया गया है, किसी भी आयातक अथवा उपभोक्ता ने उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव दर्शाने के लिए कोई सत्यापनीय सूचना नहीं दी है। इस संबंध में प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी स्थिति में संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और उपभोक्ता को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

139. यह नोट किया जाता है कि ये उत्पाद स्वतंत्र श्रेणी में है और इसीलिए, विभिन्न देशों से स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से किसी भी तरह चीन से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसके लिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। अत:, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से न तो उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित होगी और न ही एकाधिकार बनेगा।

140. यह तर्क दिया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति अंतराल है और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद वह और खराब हो जाएगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग आपूर्ति अंतराल पाटित आयातों से समाधान लेने से घरेलू उद्योग को प्रतिबंधित नहीं करता। जैसा कि डीएसएम इदेमित्सु लिमिटेड बनाम

निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टैट द्वारा माना गया है, मांग आपूर्ति अंतराल पाटन का औचित्य नहीं बनाते। विदेशी उत्पादक अपाटित कीमतों पर उत्पाद की बिक्री कर हमेशा भारतीय मांग की पूर्ति कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी देश में आयात प्रतिबंधित नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जाता है कि मांग के विरुद्ध घरेलू उद्योग की क्षमता घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों, अन्य देशों से आयातों और संबद्ध देशों से अपाटित आयात पूरी मांग की आपूर्ति करने में सक्षम होंगे। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि क्षमताएं तत्काल किसी सीमा तक और छोटे समय में काफी सीमा तक बढ़ाई जा सकती हैं।

141. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध सामानों के घरेलू उद्योग सहित अन्य सभी उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र के हैं। इस प्रकार, शुल्क लगाए जाने से केवल भारतीय उत्पादकों को अर्थक्षम और प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।

142. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि संबद्ध सामानों की कीमतों ने उपभोक्ताओं को कैसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करते हुए निर्धारित सूचना प्रस्तुत की है कि प्रयोक्ता उद्योग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की लागत बहुत ही कम है और इसका अंतिम प्रयोक्ताओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम उद्योग के कारोबार पर 0.%0003 का प्रभाव निर्धारित किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई मात्रा का विरोध किया है परंतु प्रभाव की मात्रा बताने के लिए कोई सत्यापनीय सूचना नहीं दी है।

ड. निष्कर्ष और सिफारिश

143. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. लेजर कटिंग, वेल्डिंग या मार्किंग मशीनें ऐसी मशीनें हैं जिनमें आधार उत्पाद के रूप में लेजर स्रोत होता है और कटिंग, वेल्डिंग, मार्किंग या किसी अन्य ऑपरेशन के लिए आवश्यक लेजर उत्सर्जित करने का कार्य करता है। केवल यह तथ्य कि मशीन वेल्डिंग, कटिंग या मार्किंग का कार्य कर सकती है, इन्हें अलग-अलग उत्पादों के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है। विभिन्न प्रकार की लेजर मशीनें एक उत्पाद के अलावा और कुछ नहीं हैं जो अनिवार्य रूप से नियंत्रित तरीके से लेजर प्रकाश उत्सर्जित करने का कार्य करती हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद विभिन्न आकारों, लेजर पावर, बिस्तर के आकार आदि की विस्तृत श्रृंखला में आता है। विशिष्ट अंतिम-उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियां/प्रकार विकसित किए गए हैं। चूंकि यह एक पूंजीगत वस्तु और ग्राहक

निर्मित उत्पाद है, इसलिए औद्योगिक लेजर मशीनों का डिज़ाइन अंतिम उपयोग की आवश्यकताओं के अनुसार है। यह संभव हो सकता है कि घरेलू उद्योग ने उत्पाद विशेषताओं में कुछ मामूली अंतर के साथ आयातित उत्पाद के समान मशीन का उत्पादन किया होगा। ऐसी स्थिति में जहां किसी उत्पाद का बड़ी संख्या में प्रकार/रूपों/किस्मों में उत्पादन और बिक्री की जाती है, प्राधिकरण यह नहीं मानता है कि घरेलू उद्योग को उनमें से प्रत्येक का उत्पादन और आपूर्ति करनी चाहिए थी। इसलिए, प्राधिकरण ने इस बात पर विचार किया है कि क्या घरेलू उद्योग के पास ऐसे उत्पाद उपलब्ध कराने की तकनीकी क्षमता है।

ग. घटकों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। हालाँकि, यदि सभी घटकों का लेन-देन इस तरह से किया जाता है कि इसके लिए केवल भारत में असेंबली ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो ऐसा लेन-देन सीकेडी स्थिति में लेन-देन होगा और विचाराधीन उत्पाद के दायरे में होगा।

घ. भारत में विचाराधीन उत्पाद के लगभग 8 उत्पादक हैं और उद्योग एक एमएसएमई खंडित उद्योग है। कुछ एमएसएमई का टर्नओवर 10 करोड़ रुपये या उससे कम है।

ङ. मैसर्स सहजानंद लेजर टेक्नोलॉजी लिमिटेड आवेदन द्वारा दायर किया गया था। लास्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोटेक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कटिंग सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जांच का समर्थन किया था। भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन में समर्थकों के साथ आवेदक की हिस्सेदारी 50-60% है।

च. आवेदक द्वारा किए गए आयात की मात्रा नगण्य है (भारत में कुल आयात के संबंध में 0.26% और भारत में कुल मांग के संबंध में 0.24% और इसकी कुल घरेलू बिक्री का 3.5%)। आवेदक द्वारा किया गया आयात इतनी मात्रा में नहीं है कि उन्हें पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने से वंचित किया जा सके।

छ. चीन पीआर से बड़ी संख्या में निर्यातकों ने भाग लिया। 20 निर्यातकों वाली 9 चीनी कंपनियों के समूह ने भाग लिया और प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया। किसी भी प्रतिक्रिया को अस्वीकार नहीं किया गया है .प्राधिकरण ने नमूनाकरण नहीं किया है और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर डंपिंग मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

ज. विषय वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, विषय देश से विषय वस्तु के लिए डंपिंग मार्जिन निर्धारित किया गया है, और मार्जिन काफी सकारात्मक है। इतने बड़े पैमाने पर डंपिंग के लिए निर्यातकों द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।

झ. यहां तक कि सहयोगी उत्पादकों के मामले में निर्धारित न्यूनतम डंपिंग मार्जिन 30-40% की सीमा में है। इसके अलावा, डंपिंग मार्जिन 100% तक ऊंचा है।

ञ. संबद्ध वस्तुओं के आयात की जांच से पता चलता है कि जांच की अवधि में चीन से डंप किए गए आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। आयात निरपेक्ष रूप से और उत्पादन और खपत दोनों के संबंध में बढ़ा है।

ट. संबद्ध वस्तुओं के आयात की कीमत की जांच से पता चलता है कि आयात की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। डंप किए गए आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में 40-50% की कमी आ रही है।

ठ. आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। कम कीमत वाले आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर मूल्य मंदी का प्रभाव डाला है क्योंकि उन्होंने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया है।

ड. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों की जांच से पता चलता है कि भारत में क्षमता और मांग की तुलना में उत्पादन और बिक्री काफी कम है। जबकि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और यह कुल मांग का 80% से अधिक है।

ढ. घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घाटे से पीड़ित रहा है। जांच अवधि में प्रति यूनिट होने वाला नुकसान सबसे अधिक है।

ण. डंप किए गए आयातों की मात्रा और उनके द्वारा पूरी की जा रही मांग की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, चीन से आयात घरेलू बाजार में मूल्य निर्धारक हैं। घरेलू उद्योग को इसकी कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और उसे नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए, डंप किए गए आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

त. प्राधिकरण ने किसी अन्य कारक पर अन्य पक्षों द्वारा की गई दलीलों की जांच की है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति संबद्ध देश से डंप किए गए आयात के कारण हुई है।

थ. भारत में उत्पाद के किसी भी उपभोक्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। जबकि आयातक व्यापारियों ने भाग लिया है और प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है, कोई उपयोगकर्ता प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि उपयोगकर्ता की भागीदारी की अनुपस्थिति एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव की कमी को दर्शाती है।

द. भारत में मांग के विपरीत, घरेलू उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों की क्षमता और संबद्ध देशों से गैर-डंपित आयात पूरी मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे। मांग और आपूर्ति का अंतर डंपिंग को उचित नहीं ठहराता। विदेशी उत्पादक हमेशा बिना डंप कीमत पर उत्पाद बेचकर भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं।

ध. इच्छुक पार्टियों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि संबद्ध वस्तुओं की कीमतों ने उपभोक्ताओं पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डाला है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह स्थापित करने

वाली मात्रात्मक जानकारी प्रस्तुत की है कि उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रस्तावित एंटीडंपिंग शुल्क का प्रभाव न्यूनतम होगा।

न. प्राधिकरण ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जो इस जांच में सभी इच्छुक पक्षों को भेजी गई थी। संबद्ध देश और घरेलू उद्योग से दो उत्पादकों/निर्यातकों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का जवाब दिया है। किसी भी ग्राहक द्वारा कोई आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा का निर्धारण भी प्रदान किया है।

ऩ. प्राधिकरण का मानना है कि अंतिम उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा।

प. उद्योग की प्रकृति और डंप किए गए आयात के कारण हुई क्षति की डिग्री को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण मानता है कि 5 साल की अवधि के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क आवश्यक है।प्राधिकरण ने किसी भी अन्य कारक पर अन्य पक्षों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की जांच की है जो सी हो सकता है

144. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क और सिफारिश किए गए उपायों के प्रभाव के पहलू के संबंध में सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में जांच शुरु करने और जांच करने पर और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभाव निर्धारित किए जाने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना अपेक्षित है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

145. विचाराधीन उत्पाद एक पूंजीगत सामान है, यह मानते हुए पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन और संग्रहण भार और संख्या आदि जैसे अन्य किसी मानदंड की अपेक्षा सामान के मूल्य के आधार पर होना चाहिए। अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध सामानों की आयात कीमत का सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उपयुक्त होगा।

146. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस नियमावली के नियम 4(घ) के साथ पठित नियम 17(1)(ख) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, पाटन के मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जिससे घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो सके। तद्नुसार, प्राधिकारी चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाए गए अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

147. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

एस.एन.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	सीआईएफ के % के रूप में शुल्क
1	2	3	4	5	6	7
1	84561100, 84569090, 84622920, 84798999, 85152190, 85158090 और 90132000	पूरी तरह एसेंबल की हुई, एसकेडी अथवा सीकेडी रूप, कटिंग, मार्किंग अथवा वेल्डिंग प्रचालनों के लिए प्रयुक्त*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई देश	जीडी हान की युमिंग लेजर ग्रुप कंपनी लिमिटेड हैन्स लेजर स्मार्ट इक्विपमेंट ग्रुप कंपनी लिमिटेड हैन्स लेजर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड हैन्स एमपी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड सूज़ौ सोंगु इंटेलिजेंट इक्विपमेंट कं, लिमिटेड	22.78%
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	जियांग्सू यावेई मशीन-टूल कं, लिमिटेड जियांग्सू यावेई चुआंगकेयुआन लेजर उपकरण कं, लिमिटेड	40.05%
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	TRUMPF (चीन) कंपनी लिमिटेड जिआंगसु जिनफैंगयुआन सीएनसी मशीन कं, लिमिटेड	शून्य
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	एचएसजी लेजर कंपनी लिमिटेड जिनान होंग्शी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	20.82%
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	बिस्ट्रोनिक (तियानजिन) लेजर लिमिटेड बिस्ट्रोनिक लेजर एजी बिस्ट्रोनिक (शेन्ज़ेन) लेजर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड	27.86%
6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	जिनान बोडोर सीएनसी मशीन कंपनी लिमिटेड	77.80%
7	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	जिनान ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड शेडोंग ओरी लेजर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	80.65%

8	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	ग्वेइके टेक कंपनी लिमिटेड	81.52%
10	-वही-	-वही-	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	एसएन 1 से 8 के अलावा कोई भी	135.98%
11	-वही-	-वही-	चीन जन.गण के अलावा कोई अन्य	चीन जन.गण.	कोई	135.98%

** उत्पादक क्षेत्र में लेजर कटिंग मशीन (एलसीएम), लेजर मार्किंग मशीन (एलएमएल), और लेजर वेल्डिंग मशीन (एलडब्ल्यूएम) शामिल हैं।*

ढ. आगे की प्रक्रिया

148. इस अंतिम जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDING

New Delhi, the 27th September, 2023

Case No. ADD (OI) – 07/2022

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Industrial Laser Machines, used for cutting, marking, or welding" originating in or exported from China PR.

F. No. 06/07/2022-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Sahajanand Laser Technology Limited (hereinafter referred to as the "applicant") filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") in accordance with Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the "Act") as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the "Anti-Dumping Rules" or "Rules") for initiation of an anti-dumping investigation and subsequent imposition of anti-dumping duty on the imports of "Industrial Laser Machines, used for cutting, marking, or welding" (hereinafter referred to as the "product under consideration" or the "PUC" or the "subject goods") from China PR (hereinafter referred to as the "subject country"). The application is supported by Lastronics Technology Private Limited, Proteck Machinery Pvt. Ltd. and Messers Cutting System India Private Limited.

2. The Authority on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, issued a public notice vide Notification No. 6/7/2022-DGTR dated 29th September 2022 in the Gazette of India Extraordinary initiating the investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the investigation:
   i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
   ii. The Authority issued a public notice dated 29th September 2022 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning the imports of the subject goods from the subject country.
   iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, the known producers, and exporters from the subject country, known

importers/users and the domestic industry as well, as per the available information. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and to make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

iv. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

v. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

vi. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -
  i. Chongqing Zixu Machine Works
  ii. Foshan Beyond Laser Technology Co. Ltd.
  iii. GD Hans Yueming Laser Group Co. Ltd.
  iv. Glorystar Dongguan Glorystar Laser
  v. Hans Songu Intelligent Equipment Co. Ltd.
  vi. HSG Laser Co. Ltd.
  vii. Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd.
  viii. Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co. Ltd.
  ix. Jinan Acme CNC Equipment Co. Ltd.
  x. Liaocheng Jingwei Laser Equipment Co. Ltd.
  xi. M S Morn Laser Technology Co. Ltd.
  xii. M S Shandong Oree Laser Technology
  xiii. Maven Laser Automation Co. Ltd.
  xiv. Shandong Hongniu Laser Equipment Co. Ltd.
  xv. Shandong Leapion Machinery Co. Ltd.
  xvi. Shenzhen Dapeng Laser Technology Co. Ltd.
  xvii. Shenzhen Lei Kang Machinery Equipment Co. Ltd.
  xviii. Wuhan Optical Valley Laser Equipments Co. Ltd.
  xix. Zhejiang Guangxu Numerical Control Equipment Co.

vii. In response to the above notification, the following producers/exporters have submitted the exporter questionnaire responses:
  A. Han's Group
    i. GD Han's Yueming Laser Group Co., Ltd.
    ii. Han's Laser Smart Equipment Group Co., Ltd.
    iii. Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
    iv. Han's MP Laser Technology Co., Ltd.
    v. Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd.
    vi. Han's Laser Technology Co., Ltd.
  B. Yawei Group

  - i. Jiangsu Yawei Machine-Tool Co., Ltd.
  - ii. Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd.
- C. Trumpf
  - i. Trumpf (China) Co., Ltd.
  - ii. Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd.
  - iii. Trumpf Werkzeugmaschinen SE+ Co. Ltd.
- D. HSG
  - i. HSG Laser Co., Ltd
  - ii. Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd
- E. Bystronic Group
  - i. Bystronic Laser AG
  - ii. Bystronic (Tianjin) Laser Ltd
  - iii. Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd
  - iv. Bystronic Laser India Pvt Ltd
- F. Jinan Bodor Group
  - i. Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd
  - ii. Bodor Laser India Pvt Ltd
- G. Shandong Oree
  - i. Jinan Oree Laser Technology Co., Ltd
  - ii. Shandong Oree Laser Technology Co., Ltd
- H. Gweike
  - i. Gweike Tech Co. Ltd

iii. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules: -

- i. ADK Engineering Solutions
- ii. Agile Machineries Pvt Ltd
- iii. Angel India Cad Cam Pvt Ltd
- iv. Apollo Tyres Limited
- v. Arihant Maxsell Technologies Private Limited
- vi. Arihant Maxsell Technologies Private Limited
- vii. Autogen India Private Limited
- viii. Chirag International
- ix. Divine Techno Engineers
- x. Force Motors Limited
- xi. Global India Automotive Pvt. Ltd.
- xii. Godrej Boyce Mfg. Co Ltd
- xiii. Involute Technologies Pvt Ltd
- xiv. Laser Technologies Pvt Ltd
- xv. Lubi Electronics
- xvi. Mahavir Impex
- xvii. Meera Laser Solutions Private Limited
- xviii. Mikronix Calibration Centre

  - xix. Mtech Laser India Private Limited
  - xx. Narola Gems
  - xxi. Pusan Automation
  - xxii. SAI ARC India Private Limited
  - xxiii. Schneider Electric India Pvt Limited
  - xxiv. Shivam Jewels
  - xxv. Sigma Mechotronics Pvt Ltd
  - xxvi. SPR Technologies
  - xxvii. Star Laser Technology
  - xxviii. Suttatti Enterprises Private Limited
  - xxix. Tata Steel Limited
  - xxx. Truetzschler India Pvt Ltd
  - xxxi. Uflex Limited
  - xxxii. Venus Jewel
  - xxxiii. Z-Agi Agricultural Equipment India Private Limited

iv. In response to the above notification, the following importers/users have submitted the questionnaire responses:

  - i. Angel India Cad Cam Pvt. Ltd.
  - ii. Apex Machinery Technology
  - iii. Electronica Hitech Machine Tools Pvt. Ltd.
  - iv. Laser Technologies Pvt. Ltd.
  - v. Meera Laser Solution Pvt Ltd.
  - vi. Sarika Engineers
  - vii. Sharda Engineers
  - viii. SPR Technologies
  - ix. Trumpf (India) Pvt. Ltd.

v. In response to the above notification, the China Chambers of Commerce for import and export of machinery and electronic products have submitted injury submission:

vi. The Authority specified proposed Product Control Number (PCN) for fair comparison of the PUC in the Initiation Notifications dated 29th September 2022.

vii. The Authority invited comments from the interested parties on the proposed PCN and thereafter held a hearing on 14th November 2022 to finalise PCN methodology. All the parties who presented their views in virtual meeting were requested to file written comments.

viii. After considering the arguments made by the interested parties in virtual meeting and the written comments filed thereafter, the Authority notified final PCN methodology on 13th December 2022.

ix. Interested parties were requested to file the questionnaire response in accordance with the PCN notified upto 28th December 2022. Thereafter, an extension was granted upto 11th January 2023 upon request made.

x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties through e-mail to the interested parties.

xi. The Authority issued Economic Interest Questionnaire to the Chinese Embassy, all the known exporters, importers, and the domestic industry. The Economic Interest Questionnaire was also shared with the Administrative Line Ministry.

xii. The Authority called upon DG Systems to provide transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period. The Authority has relied upon DG Systems data for the computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.

xiii. Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xiv. The information/data submitted by the domestic industry has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of these findings. Information was sought from the domestic industry and the other interested parties to the extent deemed necessary. The Authority has also conducted physical verification of the domestic industry. The Authority has also verified the data of the responding exporters from the subject country through desk verification.

xv. The period of investigation (hereinafter referred to as 'POI') for the purpose of the present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI.

xvi. The Authority held an oral hearing in hybrid mode on 26th May, 2023 to provide an opportunity to all the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions in order to enable the opposing interested parties to file rejoinder thereafter.

xvii. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xviii. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 7th September 2023 and the interested parties were allowed time up to 15th September 2023 to comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this final finding notification.

xix. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided the necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present preliminary findings on the basis of the facts available.

xx. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

xxi. '***' in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxii. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is 1 US $= Rs **75.37.**

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product under consideration (hereinafter also referred to as the "PUC") as defined at the stage of initiation was as follows:

> *3. The product under consideration in the present application is "Industrial Laser Machines, in fully assembled, SKD or CKD form, used for cutting, marking, or welding operations". The scope of the PUC includes Laser Cutting Machines (LCM), Laser Marking Machines (LMM), and Laser Welding machines (LWM).*
>
> *4. These machines are used for cutting, marking, or welding on metal/non-metal surfaces. Depending on the specific end-use application of the PUC, the power of the laser used in the PUC can range from 3 watts to 40 kilowatts. All laser industrial machines used for purposes other cutting, marking, or welding are excluded from the scope of the PUC.*
>
> *5. The product under consideration is classified under chapter 84, 85 and 90 under tariff headings 84561100, 84569090, 8462290, 84798999, 85152190, 85158090 and 90132000. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.*

C.1 Submission made by the interested parties

5. The interested parties have made the following submission with respect to the product under consideration and like article:

   a. Product types which were not produced by the petitioner during the POI should be excluded from the scope of the PUC. Even till date, the petitioner lacks the capability to produce them. It is the consistent practice of the Authority to limit the scope of the PUC to goods actually manufactured by the domestic industry.

   b. The Authority is requested to exclude the following product types from the scope of the PUC since the petitioner lacks the capacity and capability to produce it.
      - Double headed LCMs,
      - Protective film LCMs,
      - LCMs with a power range of less than 500W.
      - 2 D LCM with laser source power more than 15 KW,
      - Large size gantry type LCM,
      - LCM combination with punching machine.
      - Fully automated coiled sheet fiber laser

- Product types with lasers
- Laser cutting machines with laser power more than 15KW.

c. The investigation effectively has three different PUCs with different technical properties, specifications, end-uses, and average CIF price. Separate examination should be done by the Authority for all the parameters.

d. SLTL might not have standing to file the application for anti-dumping duty on laser cutting machine. SLTL is trying to achieve indirectly what it can't directly. The fact that some type of industrial laser machine not included in PUC shows the product is not one category. ADA and AD Rules does not restrict product type-wise standing assessment.

e. The scope of the PUC is broad, which does not allow a representative assessment of material injury. Panel Report in *EC – Farmed Salmon from Norway* is relied on. Hence, separate injury examination has to be undertaken for LCM, LMM, and LWM. SLTL might not be able to show material injury for LCM alone. It is not disputed that the imports of LMM and LWM have no impact on the domestic industry of LCM.

f. The Authority is requested to examine the PCNs of the machines imported by the petitioner. If the same PCNs are imported, it can mean they are not produced by the domestic industry and hence, should be excluded from scope of the PUC.

g. The domestic industry must disclose the complete details of machines it has imported. The scope of the investigation should exclude the products imported by the domestic industry as importing of parts evidence the domestic industry's inability to manufacture those parts.

h. There is no clear definition of the type of machines considered as Semi-Knocked Down ("SKD") and Completely Knocked Down ("CKD"). Inclusion of CKD shall also include components resulting in investigation of goods not part of the current proceeding.

i. The three machines involved in the present investigation, but they are different product as the end use and industry is different:

   - The price of each type of machine is significantly different from other products.
   - The machines are produced independent of each other. A producer of one type of machine does not have to produce the other type of machines.
   - The function of each machine is different from other machines. Therefore, the product is not technically and commercially substitutable with each other.
   - The user industry application of the machines and the users are different.

j. The decisions of *EC- Salmon, EC-Fasteners and Huawei Technologies* are not applicable as the nature of the product under consideration is significantly different in comparison to the nature of the PUC. The common denominator that is laser in 3 different machines is flawed as no commonality can be drawn between the laser machine merely by virtue of laser component.

k. The PUC is the industrial laser machine and other laser machine. However, the domestic industry has not itself included other types of laser machine within the scope of the PUC such as laser engraving machines, laser bending machines, laser drilling machines and laser cleaning machines.

l. Laser cutting machines, laser marking machines and laser wielding machines are not manufactured together. All known producers in India are not involved in the production of all three types of lasers cutting machines.

m. There is a significant difference in terms of import price between the three laser machines. The difference between the three products is not arising out of being in finished form or unassembled form. Thus, none of the possible justifications that permit clubbing of different products as one PUC are applicable.

n. As per the initiation notification, the PCN proposed shows machines with laser power above 500 watts. The Authority is requested to clarify if the machines with laser power less than 500 watts are excluded from the scope of investigation. Machines with less than less than 500 watts have different usage as compared to machine with more than 500 watts.

C.2 Submission made on behalf of the domestic industry

6. The following submissions have been made on behalf of the domestic industry with respect to the product under consideration and like article:

   i. The PUC in the present investigation is "Industrial Laser Machines", in fully assembled, SKD, or CKD form, used for cutting, marking, or welding operations.

   ii. Interested parties have argued that inclusion of LMM (laser making machines), LWM (laser welding machines) and LCM (laser cutting machines) would make the PUC broad. The Anti-dumping Agreement or Rules do not provide any guidelines on how and in which manner a PUC should be defined.

   iii. There is no requirement under the law or rules that the product types within the scope of the PUC must be internally homogenous. In any case, LCM, LMM and LWM are internationally homogenous and one product. All these machines are fundamentally laser systems.

   iv. The Industrial Laser Machine primarily consists of a laser which generates laser power. A laser consists of a laser source and a laser head. The laser source generates the laser beam, while the head is designed for specific operations like cutting, marking, or welding. Different laser strengths are used based on the desired laser power for various applications.

   v. The additional components of a machine, like the bed and controller, are meant to assist the primary product, which is the laser. The size of the bed varies based on the application, with larger beds for cutting machines and smaller beds for marking machines. In welding machines, both options are possible. Despite these variations which are necessary to suit the end application, these machines cannot be considered dislike. All "Industrial Laser Machines" are considered one product and internally homogeneous.

   vi. The Authority has identified these codes 84561100, 84569090, 84622920, 84798999, 85152190, 85158090, and 90132000 under which 95% of imports were made during the POI. Further, there are several other codes under which a minor volume of the PUC is being imported. Thus, the Authority in the proposed duty table must include all the HS codes under which the imports are being made.

vii. Certain product types not produced by the domestic industry should not be excluded from the PUC scope due to the following reasons:
   a. As subject goods are normally made-to-order, supplying of the product would not arise in case the domestic industry is not approached for offer nor made know of the requirement. Hence for examination, the Authority must consider (a) whether the domestic industry was even approached for material, (b) whether the domestic industry was even made known about the requirement, (c) manufacturing and sales by the domestic industry over its operational history.
   b. The product type if substitutable with those manufactured and sold by the domestic industry.
   c. The product type is not in demand during the POI, considering how the subject goods are normally made to order. If production of a more complex or a higher range product type is done, then it per say means that there exists ability to produce less complex or lower range product types.

viii. The respondent is making blank requests for exclusion of product type from the scope of the PUC without identifying the particular product type.

ix. Components (Bed and controlled for the laser) were never considered for preparing the information on various injury parameters. Hence, exclusion of components has no impact on injury parameters.

x. The primary difference between different types of machines is laser head. A mere replacement of a cutting head would allow a consumer to use machines for different purposes.

xi. As regards the contention that the domestic industry did not produce the PCN imported by it, none of the imported machines were sold without further processing. The imported machines could not be sole as it is and they were processed to the form that can be sold in the market.

xii. The term semi-knocked down (SKD) and completely knocked down (CKD)" is from Rule 2(a) of the General Rules for the interpretation of the Harmonized System issued by the World Customs Organization (WCO). The term "SKD/CKD form" refers to an article that is incomplete or unfinished but retains the essential characteristics of the complete article. Importing a standalone component does not qualify as importing the Product Under Consideration (PUC) in its SKD/CKD form.

C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation was defined as "Industrial Laser Machines, in fully assembled, SKD or CKD form, used for cutting, marking, or welding operations. It was stated that the scope of the PUC includes Laser Cutting Machines (LCM), Laser Marking Machines (LMM), and Laser Welding machines (LWM). It was further stated that these machines are used for cutting, marking, or welding on metal/non-metal surfaces, and depending on the specific end-use application of the PUC, the power of the laser used in the PUC can range from 3 watts to 40 kilowatts. All laser industrial machines used for purposes other than, cutting, marking, or welding are excluded from the scope of the PUC.

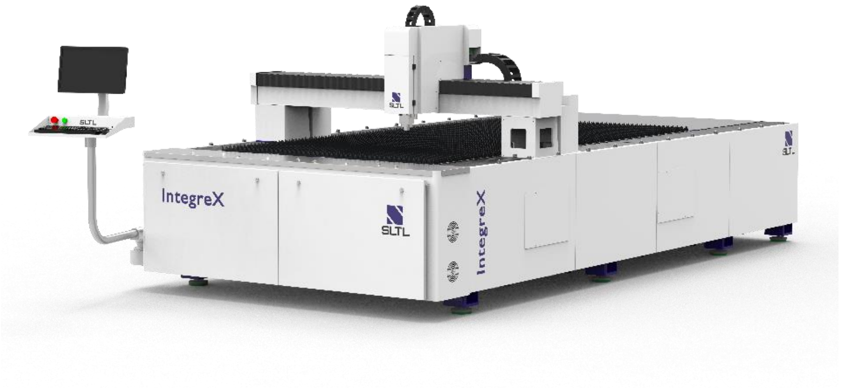
IntegreX
SLTL
IntegreX

Laser Cutting Machine

SLTL
SLTL
SLTL

Laser Marking Machine

Laser Welding Machine

8. Laser cutting, welding, or marking machines are essentially machines which have laser source as the base product and which performs the function of emitting laser required for cutting, welding, marking or any other operations. The laser source is so controlled (in respect of amount of laser density, i.e., brightness and exposure time) that it can perform the function of welding, cutting, marking or any other application. Further, the amount of laser light is controlled by use of different power of laser. The amount of light eventually is relevant to the amount of material that can be welded, marked, or cut. Depending on the object where cutting, marking, or welding operations are required to be performed, different kinds of laser sources are used. Different laser source merely differs in terms of the amount of laser light and the manner in which the laser light will be emitted by the source. Producers normally buy laser from producers who specialise in making lasers. Since the object can be of different kinds of material such as plastic, wood, glass, fabric or metal, the amount of light required to cut, weld or mark would differ. Accordingly, the machines are produced in many sizes to accommodate different size and type of objects. Further, the object may be of varying size. Depending on the size of the object, the product is supplied in different bed sizes. Further, the machine can perform in two ways – either the machine will move on with the object, or the object will move along with the machine. Thus, different kinds of laser machines are nothing but one product which essentially perform the function of emitting laser light in a controlled manner. Further it emits light in such a manner that it can produce the desired result of cutting, welding or marking on different kinds and variety of objects. In view of the same, the Authority concludes that different kinds of laser machines constitute one article.

9. Mere fact that the machine may perform the function of welding, cutting, or marking does not render these as different products. These different end applications are merely an end result of the manner in which the laser light is emitted by the machine. Further, different types of machines merely differ in terms of amount of laser power generated or the bed type and size. These differences however do not render these products as different products.

10. With regard to like articles, Rule 2(d) of the AD Rules provides as under: -

> *"like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation*;

11. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the product under consideration have been examined and addressed hereunder. The interested parties have raised number of issues with regard to the scope of the PUC in the present case. It has been contented that the scope of the PUC is too wide and includes different types of laser machines, which have significantly different cost, price, and end use. Further, interested parties have sought exclusion of many product types from the scope of the PUC on the grounds that the domestic industry does not produce and supply

the product in the desired product type, or, the quality of the product produced and supplied by the domestic industry is different. The arguments of interested parties have been examined by undertaking on the spot verification at the premises of the domestic industry and calling relevant information from the parties.

12. The Authority has adopted certain broad principles for the purpose of exclusion of products of certain grades/specifications from the scope of the PUC. One such principle is whether the specification/grade/production process/production technology pleaded by the interested parties' results in a different product in terms of physical and technical characteristics whereby the distinctiveness of the product can be established with clarity and precision. The second principle is whether the domestic industry claimed through their product production or product profile/broacher as manufacturer of these grades, whether the domestic industry is manufactured/supplied such distinctive items at all during the POI or prior to the POI or in the past and whether the domestic industry capability to provide the product. Thirdly, whether the product supplied by the domestic industry is comparable to the product proposed/considered for exclusion and in such a case whether any evidential scientific literature or any other technical evidence has been established by the domestic industry.

a. Whether each machine should be seen differently

13. It is noted that the product under consideration for the purposes of the present investigation is Industrial Laser Machine. The dumping and injury analysis has been done for Industrial Laser Machine as a whole. Different types of Industrial Laser Machine are comparable in term of essential product characteristics including physical, production technology, manufacturing process, plant & equipment, functions & usage, etc. Different product types are laser systems used for industrial purposes. While different industrial laser machines have different specific end applications, it is however seen that they essentially have same fundamental laser systems and thus perform the same function, i.e., acting as a laser source. The laser source can perform the function of cutting, welding or marking, depending on the way the laser source is used. The product can be produced with varieties of laser sources, depending on the quantum of laser energy required. It is also seen that other components (such as bed size) are used depending on the object on which the machine has to perform the operation. Different categories/types are therefore developed to meet specific end-user requirements. Since it is a capital good and customer made product, the design of the industrial laser machines is as per the end use requirements. Therefore, different types of industrial laser machines constitute one article, and it would not be appropriate to exclude product types, if the domestic industry is manufacturing or has the capability of producing the like article to the product being imported into India.

14. Industrial laser machines are manufactured in various sizes and capacities described in terms of bed size, laser source and power. The domestic producers as well as the foreign producers manufacture different types of industrial laser machines with different bed size, laser source, power, and different additional features. The machines with different

capacities are used for cutting, welding, and marking operations. Machines produced by the producers in the subject country and machines produced by the domestic industry are technically and commercially substitutable.

b. Inclusion of product types which were not produced by the petitioner

15. Since the product is a customer-made product, the domestic industry has supplied machines as per the customer requirements. There may be many types/sizes/ dimensions, which may be manufactured in China and not exported to India. If such types or form of PUC and are in commercial competition with like article and can cause injury to the domestic producer they can be covered by the scope of the product under consideration. It is noted that the product is a customer-made product. The domestic industry produces all types machines, which may not be imported. Similarly, all types of machines imported may not be produced by the domestic industry. Therefore, only on the basis of non-production of particular product type, exclusion cannot be granted.

16. The claim of interested parties with regard to exclusion of specific product types has been examined hereinbelow

    i. Double headed LCMs – The domestic industry has provided evidence of sale of multi-functional machines like machines performing both cutting and wielding operations, 3-in-1 machines, double headed LCM etc. Therefore, the same cannot be excluded from the product scope.
    ii. Machines having weight more than 10 MT, Machine with robotic arm, Master oscillator power amplifier LWM – The domestic industry has provided evidence of its sales of these products and therefore, the products cannot be excluded.
    iii. Protective film LCMs – Protective film LCM is nothing but just an added safety feature to the machines. During the physical verification, it was seen that the domestic industry can produce LCM with protective films. Therefore, the exclusion cannot be provided.
    iv. LCMs with a power range of less than 500 watt - The domestic industry has submitted evidence that they manufacture and sell machines of laser power as low as 20 watt and as high as 6000 watts in the period of investigation itself and has got orders to supply machine of 20,000 watt. Therefore, the contention cannot be accepted.
    v. 2 D LCM with laser source power more than 15 KW - It is seen from the import data that there are no imports of machines having laser power more than 10000 watt. Further the domestic industry has shown order of machine having laser power of 20000 watt. Therefore, the contention of the interested parties cannot be accepted.
    vi. Machines having 2d or 3d axis and large size gantry type LCM - The domestic industry claimed through their product brochure as manufacturer of these grades. Similarly, types of machines such as handheld machines, Bevel LCM, Mini tube LCM, 3 chuck tube LCM, heavy tube LCM, 3+1 chuck tube LCM, sheet + tube LCM, LCM auto sheet loader, machine with automation, protective film LCM, fully automatic coiled sheet fibre laser are manufactured and supplied by the domestic industry as is evident from their brochures.

vii. LCM combination with punching machine - If the product type is imported as an Industrial laser machine, the same is covered under the scope of the product under consideration. Since these machines are in commercial competition with like article and can cause injury to the domestic producer and therefore these machines are covered in the scope of the product under consideration.

viii. The machines are used for cutting, marking, or welding on metal/non-metal surfaces. Depending on the specific end-use application of the PUC, the power of the laser used in the PUC can range from 3 watts to 40 Kilowatts. All laser industrial machines used for purpose other than cutting, marking, or welding are excluded from the scope of the PUC.

ix. Machines of specific bed size: several interested parties have argued exclusions of machines with specific bed sizes to be excluded on the ground that the domestic industry is not manufacturing the bed of particular sizes and machines with particular laser power. It is noted that the size of the bed is prepared through fabrication process. It is not necessary for the domestic industry to manufacture bed size of all dimensions. The domestic industry has manufactured machines with a bed size of 24 sq. mtr. Since the process of manufacturing bed size is fabrication, different bed sizes can easily be made. The difference in bed size pleaded by the interested parties does not results in a different product in terms of physical characteristics and chemical composition or technology.

c. Exclusion or inclusion of components.

17. As regards arguments if components are included or excluded from the scope of product under consideration, it is clarified that components are excluded from the scope of investigation.

d. Meaning of SKD and CKD machines.

18. As regards meaning of SKD and CKD, the Authority considers that the same is a well understood term. SKD shall mean a laser machine which is not fully assembled, but is transacted as a laser machine with all essential components not fitted and the machine is not ready to use. CKD for the purpose shall mean an article in its incomplete or unfinished form and has the essential character of the complete article. Hence, a standalone component shall not amount to import of the PUC in its SKD/ CKD form. However, if all the components are transacted in such a manner that it merely requires assembly operation in India, such transaction would amount to transaction in CKD condition and shall be within the ambit of the PUC, even if such transaction does not take place in single consignment.

19. In view of the above, the Authority concludes not to modify the scope of the product under consideration as defined in the initiation notification.

e. Customs classification in which the product is being imported.

20. The Authority has examined the DG Systems data and found that there is no dedicated classification under the Customs Tariff Act. The product has been imported under HS

codes - 84561100, 84569090, 84622920, 84798999, 85152190, 85158090 and 90132000 codes. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

21. After considering the information on record, the Authority concludes that there is no known difference in the product under consideration exported from subject country and the product produced by the domestic industry. The subject product produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration imported from China. The product supplied by the domestic industry and the imported product are similar in terms of characteristics such as physical & technical, functions & uses, product specifications, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the imported product and the product supplied by the domestic industry interchangeably.

22. Thus, the Authority concludes that the subject product produced by the applicant domestic industry is like article to the product under consideration, in accordance with the AD Rules.

Product Control Number (PCN)

23. The Authority specified proposed Product Control Number (PCN) for the purpose of fair comparison of different types of the PUC, in the Initiation Notification dated 29th September 2022. The Authority invited comments from the interested parties on the proposed PCN and thereafter held deliberations with the interested parties on 14th November 2022 to finalise the PCN methodology. All the parties who presented their views at the time of deliberations were requested to file their submissions in writing.

24. Submission made by the interested parties.
    i. Specific watt/Kw are an essential parameter along with the size of the machine and should be considered as a PCN parameter.
    ii. Origin of fibre laser and Enclosure (cover) should be considered as a PCN parameter.
    iii. Technology base should be considered as a PCN parameter.
    iv. Type of laser source should be considered as a PCN parameter.

25. Submission made by the domestic industry.
    i. Mere existence of some difference in the product in itself does not justify including the same in framing PCN.
    ii. Analysis of import data does not show that the parameters proposed by the other interested parties are mentioned anywhere in the import data.
    iii. Analysis of product literatures of number of producers does not show that the Authority can verify these parameters from those product catalogues.

26. After considering the submissions made by the interested parties, the Authority notified following PCN methodology on 13th December 2022 for the purpose of undertaking fair comparison between different types of products under consideration.

Criteria	Values	PCN Code
Category/ Type of machine	Laser Cutting Machines (LCM)	C
	Laser Marking Machines (LMM)	M
	Laser Welding Machines (LWM)	W
Laser power	Power of the laser in watts (W), expressed in five-digit form with the prefix 'L'	L00100, L00150, L01000, etc.
Bed size	3000mm x 1500mm	B1
	4000mm x 2000mm	B2
	6000mm x 2000mm	B3
	6000mm x 2500mm	B4
	8000mm x 2500mm	B5
	12000mm x 2500mm	B6
	Others (to be defined by respondent)	B7, B8, etc
Model of laser source	IFA	C1
	IPG	C2
	MAX	C3
	Raycus	C4
	Others (to be defined by respondent)	C5, C6, etc.
Type of laser cutting head	CO2 laser	X
	Fibre laser	Y
Number of axes	2D	2D
	3D	3D

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submission made by other interested parties

27. Following submissions have been made by interested parties with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
    i. Supporters have not filed data as per Trade Notice 14/2018. Hence, the support should be rejected in accordance with Rule 6(8) of the AD Rules. In the absence of such information, the Authority will not be able to examine if they are facing injury and the existence of a causal link.
    ii. Apart from those identified in the application, the like article is produced in India by (i) Mansoori Weldarc India Pvt. Ltd., (ii) M/s Ruanmi Technology (Joy Laser brand), (iii) M/s Dhanlaxmi Laser Technology, (iv) Dolphin Laser Machine Pvt. Ltd., (v) Starlase Systems Pvt. Ltd., and (vi) M/s Sunny Machineries. Only 1 of the 13 producers have come forward to claim injury.

iii. Petitioner's share in Indian production would be 20-25% and would not constitute "major proportion". None of the producers except for Dolphin Laser Machine (4 machines) has imported the PUC from China PR. Even their import is lesser than the domestic industry. Hence, production by all of them should be considered for standing determination.

iv. The other Indian producers could account for up to 90% of the total production of the PUC.

v. The share of SLTL in total Indian production can be discerned to be approximately 40% and barely qualify as a major proportion.

vi. Prakash Laser and Messer Cutting Systems India Pvt. Ltd. are other producers of the product in India. Though Messers registered as a supporter, their production was not considered to determine the total production.

vii. The Authority is requested to verify the reason for continuous imports of the PUC by the domestic industry over the years.

viii. There is no clarity on whether production of SEZ unit has been included for analysis of standing and economic parameters. It is settled that SEZ cannot be considered constituent of the domestic industry as per Rule 2(b).

ix. The applicant should not be exempt from the criteria for determining domestic industry merely because they are MSME. The domestic industry should provide MSME certificate to validate the claim and identify the law which provides them such exception.

x. The domestic industry accounts for only 23% of the total production in India. The growth of the domestic industry in production is only 35% as compared to the 50%+ increase in other domestic producers.

xi. The Authority should examine information of all domestic producers to understand the market dynamics and impact of imported goods. Reliance is also placed on AD investigation of Polyester Staple Fiber from China, Indonesia, Malaysia, and Thailand.

xii. The information on record of 8 known producers shows that the domestic industry does not have required standing.

D.2. Submission made by the domestic industry

28. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:

i. The present application is filed by Sahajanand Laser Technology Limited (STLT) supported by Messer Cutting System India Pvt Ltd, Lastronics Technology Private Limited and Protek Machinery Pvt Ltd. The entire industry belongs to MSME sector. Some of the MSME companies have a turnover of Rs 10 Cr or less.

ii. The Authority undertook separate standing determination in the investigation concerning imports of (i) Front Axle Beam and Steering Knuckles, (ii) Penicillin and (iii) Rubber Chemical, however, they were not with respect to various product types within the scope of the PUC but various PUCs within the same investigation. The present investigation involves a single PUC. There is no law or practice of the Authority to permit separate standing determination.

iii. The production of the PUC by (i) Mansoori Weldarc India Pvt. Ltd., (ii) M/s Ruanmi Technology (Joy Laser Brand), (iii) M/s Dhanalaxmi Laser Technology, (iv) Dolphin Laser Machine Pvt. Ltd. and (v) Starlase Systems Pvt. Ltd. need not be considered for determining domestic industry standing as they are only resellers of the product in India. Further, the import data shows that Dolphin Laser Machine and Starlase Systems have imported substantial volume of the subject goods from China during the period of investigation.

iv. Despite the initiation of the investigation and gazette notification, none of the alleged producers have shown interest. Additionally, the importers failed to provide an estimate of production of alleged producers.

v. The final finding of Solar Cells and Modules referred by interested parties is contrary. As per domestic industry, there is no explicit exclusion of SEZs or EOUs from the scope of the domestic industry. Even if the Authority excluded the production of the subject goods in SEZ unit, the domestic industry still has sufficient standing.

vi. The domestic industry had imported 18 machines from the subject country in the POI. The share of imports of the domestic industry is only 0.3% of subject imports during the POI and is insignificant. Out of the 18 machines imported, 9 were sold after processing in the POI. Hence, the share of the imported machines in the domestic sales of the domestic industry is merely 3.6%.

vii. The domestic industry has requested other producers to file support letter to the petition to the Authority directly. The domestic industry is not in possession of the support letter as it contains confidential information.

viii. Volume of production are estimates based on market information. The Authority may substitute the estimates with the actual production volumes of supporters as per the letter filed with the Authority for the purpose of determination of standing of the domestic industry.

ix. The Authority has previously considered domestic producers as supporters without requiring detailed information as per Trade Notice 14/2018. MSMEs find it burdensome to provide detailed information as per Trade Notice 14/2018.

D.3. Examination by the Authority.

29. The submission made by the interested parties and domestic industry with regard to the standing and scope of the domestic industry have been examined and addressed hereunder:

Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:
"*(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers*".

a. Alleged existence of large number of other producers in India.

30. As regards the arguments of other interested parties on existence of more domestic producers, the Authority sent a communication to these other domestic producers identified by the interested parties, via email, on the email ids provided by these other interested parties. In response to the email, only one company, Dolphine Laser Machine responded providing estimated figures of its capacity, production, percentage of their domestic sales and percentage of imports from China PR. The company further stated that they support imposition of anti-dumping duties on Industrial laser machines. However, the company has stated that they import 60% of their production. In view of high share of imports as compared to their own production, the Authority considers that the company cannot be considered eligible domestic producer for the purpose of Rule 2(b). Further their production far exceeded their capacity, which further showed that the production reported includes imports made by them. The annual report of the company shows total turnover of the company as Rs. 1.9 crores during the POI, which does not justify their sales volumes. The Authority considers that imports made by a company and sold in the domestic market is already included in the import volumes and demand determined. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority has not considered the data of the said company.

b. Non-compliance of support letter with trade notice 13/2018.

31. The other interested parties have contended that the letters filed by the supporters should be disregarded, as these do not comply with requirements laid down vide Trade Notices 13/2018 and 14/2018. The Authority considers that while Trade Notices 13/2018 and 14/2018 requires a domestic producer to provide certain information, the mere fact that a party supporting the imposition of AD measures without providing that information is insufficient to hold that the party has not supported the measures. Any such interpretation would be violative of the Rules. Further, the Authority vide Trade Notice 4/2021 dated 16th June, 2021 has allowed supporters to express support after giving information concerning capacity, production, and sales. The supporters in the present case have already supplied such information. Therefore, the Authority has considered the support expressed by these companies.

c. Inclusion of production of SEZ unit in the standing determined.

32. As per SEZ Act-2005 the "Domestic Tariff Area" means the whole of India (including the territorial waters and continental shelf) but does not include the areas of the Special Economic Zones. Hence, the SEZ units are considered to be deemed to be outside DTA area. The production of SEZ units has therefore not been considered in the determination of total Indian production for the purpose of standing.

d. Imports made by the applicant.

33. It has been contended that the applicant has imported the product under consideration from the subject country during the POI. It has been submitted by the petitioner that out of the imported machines, *** machines were further processed and then sold in the domestic market. The Authority notes that the volume of imports made by the petitioner is insignificant (***% in relation to total imports into India and ***% in relation to total

demand in India and ***% of its total domestic sales), were processed after sales. Production has remained the core activity of the petitioner. The imports made by the petitioner are not such in volumes as to disentitle them from being treated as eligible domestic industry.

34. The application has been filed by M/s. Sahajanand laser Technology Limited. The Authority has received support letter from Lastronics Technology Private Limited, Proteck Machinery Pvt Ltd. and Messers Cutting System India Private Limited, wherein their capacity, production, and domestic sales have been declared. The applicant has submitted production volume of the other Indian producers as per market intelligence.

35. No other information has been brought forward by the interested parties on total production in India. Therefore, the Authority has relied on the information provided by the petitioner, wherever the same has not been provided by a domestic producer. It is seen that the production by the applicant constitutes a major proportion of the production of the like article in India. Further, the applicant together with supporters account for 50-60% of the total domestic production of the like article in India. Production of the petitioner alone accounts for 40-50% of Indian production. The applicant has certified that they are not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or an importer in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of anti-dumping rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) read with Rule2(b) of the anti-dumping rules.

36. On examination of the material on record as above, and considering the legal provisions, the Authority hold that the applicant constitutes domestic industry in terms of Rule 2(b) of the anti-dumping rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. ISSUES RELATED TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submission made by the other interested parties

37. Following submissions have been made by other interested parties in regard to confidentiality claimed by them and the domestic industry:
    i. The petitioner has not disclosed source of import data and the method of segregation. Non-disclosure of the source of data is a violation of natural justice principles. The CESTAT order in All India Laminated Fabrics Manufacturers Association v. Designated Authority is relied on.
    ii. The applicant has not provided DGCI&S data. The Authority has also not called for the same. The applicant has been allowed to bypass the mandatory requirements of DGCI&S T data in the checklist.
    iii. No information regarding the economic parameters of other producers, including 3 supporters have been provided.

iv. No support letters allegedly submitted by other companies have been circulated with the NCV petition. The respondent is unaware if these supporters have met the requirements laid under the Trade Notice.
v. The domestic industry has not provided the declaration of the imports and their relationship with the importer or exporter of the subject goods for the whole injury period. They have only provided the import information of the POI and the subject country. The volume of imports submitted by the petitioner has also been marked as confidential.
vi. The domestic industry has not disclosed any source of the production of other domestic producers and no evidence has been attached in support to their production data. The domestic industry has failed to provide information of all the domestic producers of the subject goods.
vii. There is no detail of the share of the domestic industry in ranges. The domestic industry has provided the share in percentage for all the years in trends which has no meaning.
viii. The domestic industry has not provided any details regarding PCN-wise export price neither any PCN-wise details were given regarding the injury and costing information.
ix. ROCE and profit/loss information has been marked as confidential whereas no information has been provided related to price underselling and injury margin.

E.2. Submission made by the domestic industry

38. Following submissions have been made by the domestic industry in regard to confidentiality:
    i. Bystronic Laser Ltd, Bystronic Laser AG, Jinan Bodor CNC Machine Co. Ltd., Shenzhen DNE Laser Science and Technology Co., Ltd have failed to comply with the Trade Notice 10/2018 as they failed to provide performance parameters in trend. Despite the letter filed by the domestic industry regarding gross violation of the confidentiality rule, these parties have failed to revise the performance parameters.
    ii. The comments on the confidentiality made by other interested parties must be rejected as it is at a belated stage. As per initiation notification, the Authority has given the opportunity to other interested parties to make comments, but they failed to provide.
    iii. The domestic industry has complied with the requirement of the Trade Notice 10/2018. The information in trends is sufficient NCV of the confidential information as per the practice of the Authority.
    iv. Various interested parties have failed to fully respond to the various questions regarding business activity, the product under consideration specification and channel of marketing of the questionnaire issued by the Authority.
    v. Despite information being available on the public domain, the interested parties have claimed financial statements, corporate address, date of incorporation, product list, etc. of the company as confidential.
    vi. To the number of questions, the interested parties have claimed complete confidentiality under the pretext of business proprietary information. However, such claim does not support their claims.

vii. The interested parties who made confidentiality claims were inconsistent with their own response. These claims were not intended to protect business proprietary information but rather to prevent the domestic industry from making similar submissions.

viii. The domestic industry has relied on market field research since they were not authorized to collect DGCI&S import data. The checklist is for the Authority and not for interested parties.

E. 3. Examination by the Authority

39. Various submissions have been made by the applicants as well as the other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined below.

40. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

> *"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated Authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated Authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.*
>
> *(2) The designated Authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated Authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*
>
> *(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.*"

41. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by the parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

42. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the applicant and the other interested parties and on being satisfied about the same, the Authority has allowed

the claims on confidentiality. The Authority made available to all the interested parties the non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection.

43. As regards the contention that the domestic industry has not disclosed the information regarding the imports made by it over the injury period, the Authority notes that the information has been disclosed in the proforma IV A submitted to the Authority, which has been shared with the other interested parties.

e. Confidentiality claims of the exporters.

44. With regard to the contentions of the domestic industry concerning the excess confidentiality claimed by the responding foreign producers / exporters, it is noted that the Authority has examined the confidentiality claims made by the responding foreign producers/ exporters and on being satisfied the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted.

f. Non-disclosure of the Import data.

45. As regards import data filed in the application, the Authority notes that import data received from market intelligence sources cannot be shared. The data is being provided in the application in terms of the provisions of Rule 5(2) read with the Trade Notice issued in this regard, specifying the application formats. Hence, the confidentiality claim of the applicant on the import data has been accepted by the Authority. The domestic industry has anyways shared the import data with the Authority. Further, the Authority has adopted transaction wise DG System import data and the present facts has been disclosed on the basis of import data called by the Authority. The other interested parties can offer their comments on the import data

g. Methodology adopted on disclosure of non-confidential information by petitioner

46. The Authority notes that a petitioner is required to disclose the information as per trade notice 10/2018. The petitioner has complied with the requirement of the trade notice on disclosure of information in the non-confidential application shared with the other interested parties. The Authority has examined the confidentiality claims made by the domestic industry, and on being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims.

h. Support letter.

47. The Authority notes that Lastronics Technology Private Limited, Proteck Machinery Pvt. Ltd. and Messers Cutting System India Private Limited have filed support letter to the Authority and have given information on production and sales. The fact that these producers had participated and supported the investigation was known to the interested parties as they were already included in the registered list of interested parties issued by the Authority. These support letter contains information on the production and sales. Being a single company specific information, this is confidential in nature and cannot be

disclosed. Even if these producers would have circulated the letter in non-confidential information, the entire data would have remained confidential. Therefore, it cannot be said that the non-sharing of the letter has impeded the investigation.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSION

F.1. Submission made by the other interested parties.

48. Following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

i. The domestic industry has requested sampling to improve chances of higher rate of anti-dumping duty in the form of weighted average duty for non-sampled producers/ exporters. No sampling has been notified as per the deadline in the Manual.

ii. Even if sampling is adopted, individual margin for non-sampled companies is desirable. Hence, sampling will become redundant. When a questionnaire response has been filed and desk verification conducted, there is no valid reason for not granting individual rate.

iii. It is unlikely that sampled producers/ exporters with largest export volume have exported representative quantities of all possible PCNs or closely resembling PCNs. Hence, the dumping margin and injury margin determined would be unrepresentative of all other non-sampled producers/ exporters.

iv. The discretion to conduct sampling is vested with the Authority as under Article 6.10 and the petitioners cannot influence or propose sampling for the investigation. Sampling, if required by the Authority should be done only in consultation and with consent of the concerned exporters, producers and importers. Introduction of sampling in the final stages of investigation is violative of WTO laws, and principles of natural justice.

v. The sampling is unwarranted. No consultation has been held with the responding exporters with regards to sampling. The exporters have provided all the information in their questionnaire response. Thus, sampling is unreasonable in the present investigation.

vi. Whereas the petitioner states that there are no known associations of domestic producers of like article in India, the relevancy of support letter provided from Indian Machine Tools Manufacturer Association (IMTMA) is questionable.

vii. Despite IMTMA's claims of importing around 40-50% of laser machines per year, the lack of support by its members to the petition or filing separate data supporting the domestic industry's claims raise doubts about the credibility of the letter.

viii. The NCV of comprehensive analysis on the large-scale import of industrial laser machines prepared by IMTMA should be placed on record for scrutiny.

ix. Even on imposition of anti-dumping duty, the importers and users would prefer to import Chinese machines due to quality reasons.

x. Machines supplied by the petitioner faces serious qualitative issues. Customers have filed two cases, even though the cases were rejected, they were not rejected for reasons concerning the plaintiff's grievance regarding the quality of machines.

xi. The rejection rate of petitioner's machines is higher whereas that of Chinese producers is negligible. The Authority should examine the rejection rates and reasons for rejection. Grievances on account of precision, speed, accuracy, performance, life of machine, and frequent breakdown have been aired against goods produced by the petitioner. The Chinese producers has high scale of production and meet required industrial standards.

xii. The petitioners have alleged the creation of documents without any evidence to prove their allegations. The allegation made by the petitioners with regards to verification documents is inappropriate

F.2. Submission made by the domestic industry.

49. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

i. The interested parties mentioned below have failed to provide NCV of the questionnaire response filed by them. The Authority must therefore consider them as non-cooperative.

   a. Wuhan Raycus Fiber Technologies Pvt. Ltd.
   b. Jiatai International Company (India)
   c. Wila CNC India Pvt. Ltd.
   d. Vee M Automation Technology
   e. S&T Engineering Pvt. Ltd.
   f. Premier United Pvt. Ltd.
   g. SMT Innovative
   h. Daksh Enterprises
   i. Sahil Technocrats
   j. Upanal CNC Pvt. Ltd.
   k. Shree Ram Enterprises
   l. Meera Laser Solution Pvt. Ltd.

ii. Additional submissions made by interested parties with regards to reply to sampling request, preliminary submissions and comments on the petition must be disregarded on account on failure to file NCV.

iii. The level of cooperation from the producers/exporters from the subject country is very large. Despite the large number of participants, they collectively constitute only about 13%. This shows that major exporters are not even cooperating in the present investigation.

iv. Several importers acting as traders in the Indian market have cooperated with the present investigation but remain unable to quantify the impact of anti-dumping duty.

v. The application filed by domestic industry was found to be duly substantiated with the import data. The import data submitted by the domestic industry solely pertains only to the PUC. USITC in the investigation of NRSC from India, initiated an injury investigation based on the import data filed by the applicant.

vi. In the present investigation, eight group companies have participated. From the NCV EQR the domestic industry has identified that there are more than 15 export sales channels.

vii. The PCN in the present investigation is an elaborate PCN. Correct identification of PCN is a major task. Thus, correct identification is a highly time consuming and elaborate task. Further, it is very easy to distort determination of dumping margin by reporting a PCN which will minimise the dumping margin and injury margin.

viii. There is a need for sampling in the present investigation, as the verification of 20 producers/exporters from the subject country where PCN is involved would be extremely difficult.

ix. Some interested parties have argued that 8 months have already been lapsed, sampling at this stage would be belated. However, Rule 17(3) of ADD rules does not define any stage at which the sampling must be undertaken. Further, Rule 17 titled final finding. Hence, sampling relates to final finding.

x. Chinese laser machine sector is growing dramatically. From the response it could be seen that four entities started exports to India in the injury period and three entities in the period of investigation. Out of them one has started production of the subject goods.

xi. Certain importers were registered as interested parties, filed preliminary submissions, and post oral hearing written submissions but failed to file importer questionnaire response.

xii. Supreme Technology and China Chamber of Commerce have filed written submissions. However, they are not in the list of registered interested parties.

xiii. The other interested parties have not provided any evidence with regard to poor quality of the subject goods produced by the domestic industry. The domestic industry is in the market for more than 2 decades, if there would have been serious quality issue, the domestic industry would have been eliminated from the market. Further, during the POI, the domestic industry has undertaken exports to USA and UK.

xiv. Claim made by importers regarding high rejection rate of the domestic industry machine. However, they are only able to provide evidence for only two rejections. Out of which one is due to their own misuse and for other the domestic industry has duly compensated the customers.

xv. The respondents have not stated a single incident where the domestic industry has failed to provide evidence of where the Authority has failed to carry out proper scrutiny of the evidence. Only after substantiated evidence, the Authority has initiated the investigation.

xvi. The domestic industry has provided import data for last 8 years in order to show how Chinese imports have taken over the Indian market. There is no law or rule that limit the Authority's examination of the volume of subject imports only to three years. Moreover, the domestic industry never claimed 8 years of injury period.

xvii. The requirement of the application proforma is to provide information of known producers in India. The domestic industry has provided information as per their best knowledge.

xviii. There is no dedicated association of the subject goods in India. Indian Machine Tools Manufacturer Association (IMTMA) is an umbrella association which includes producers of other products as well. There is no bar for an umbrella association supporting a case.

xix. Ther respondent has not provided any evidence to show the domestic industry has undertaken capacity expansion in 2017. The domestic industry has dedicated 10% of its revenue to R&D. However, this is neither abnormal nor any cause of injury. In an industry like the laser machinery industry, such investment in R&D is the norm.

F.3. Examination by the Authority

50. With regards to the submissions made by the interested parties that the domestic industry has not brought any substantive evidence to provide the condition for initiation of anti-dumping investigation and the investigating Authority has not carried out appropriate scrutiny of facts, the Authority notes that the applicant had provided sufficient information that meets the required conditions for initiation of the present anti-dumping investigation. The investigation was initiated after satisfying that sufficient evidence as required under Rules was available justifying the initiation.

51. Regarding sampling of the exporters, the Authority has not conducted sampling in the present investigation.

52. Regarding the arguments on support by Indian Machine Tool Manufacturers' Association (IMTMA) it has been submitted that IMTMA is not a dedicated association for the product under consideration. There are more than 450 members of the association. IMTMA is an association of Indian Machine Tool Manufacturers and therefore, will contain large number of the producers of other types of products as well. Not all the members are producers of the product under consideration. IMTMA has supported the imposition of anti-dumping duties on imports of the product under consideration as an association. The Authority notes that IMTMA is entitled to make representations, even if all their members are not producers of the product under consideration.

53. As regards the argument on quality of the product under consideration, it is noted that the opposing interested parties have provided two instances of rejection during the injury period, whereas the domestic industry has sold machines more than 800 machines. Further out of two instances, domestic industry contended that one instance was because of improper use of machine by the customer or user. The fact that qualities may be different, does not imply that the imported products and the domestic are not like articles.

54. As regards level of cooperation by (a)Wuhan Raycus Fiber Technologies Pvt. Ltd. (b)Jiatai International Company (India) (c) Wila CNC India Pvt. Ltd. (d) Vee M Automation Technology (e) S&T Engineering Pvt. Ltd. (f) Premier United Pvt. Ltd. (g) SMT Innovative (h) Daksh Enterprises (i) Sahil Technocrats (j) Upanal CNC Pvt. Ltd. (k) Shree Ram Enterprises, it is noted that these parties have not filed importer questionnaire response. Therefore, the Authority has considered them as non-cooperative in the present investigation to that extent.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Views of other interested parties

55. The submissions made by the other interested parties on determination of normal value, export price and dumping margin are as follows:

  i. The Authority is requested to compute individual dumping margin based on verified information taken on record.
  ii. Even if all Chinese producers/ exporters cooperated, number of export transactions is not too large for examination to be impractical. There is no burden to determine normal value for each participating producer/ exporter since none or almost none have requested market economy treatment.
  iii. The domestic industry has erroneously claimed that prices from surrogate country are unavailable. The technical specifications and prices of all products are displayed on Manufacturer's e-commerce platform.
  iv. The constructed normal value on the domestic industry's cost of production is unreliable as the dumping is artificially created by the domestic industry relying on its own unhealthy cost of production.
  v. The period for determining the domestic prices or costs of the Chinese producers not being a market economy has ended on 11th December 2016 as provided in the Protocol of Accession of WTO. Normal value for the Chinese producers should be determined on the domestic prices and costs of the subject goods.
  vi. The domestic industry has violated the procedure to be followed as per the Indian Anti-Dumping rules by not making the interested parties aware of the third country selected for determining the normal value for Chinese producers.
  vii. There are no laws or practices of the Authority to only rely on commercial invoice and bill of entry and cannot rely on other documents. All the minute characteristics of the product cannot be mentioned in the commercial invoice or bill of entry.
  viii. The Authority must give a clear finding stating that all the information found on the commercial invoices of the domestic industry. In past investigations wherein complex PCN's is involved, the Authority has considered various documents for verification.
  ix. The documents like purchase orders, proforma invoice, product brochures, commercial invoices, etc. are valid documents based on which PCNs have been verified in the past investigations.
  x. The general practice of the industry is that there is reference to product brochures and other advertising material during sales and not all the details are mentioned in the commercial invoice.

G.2. Submissions made by the domestic industry

56. The following submissions are made by the domestic industry with regard to determination of normal value, export price and dumping margin are as follows:

  i. The producers or exporters did not file the MET response questionnaire. Therefore, the normal value should not be determined on the basis of their domestic sales, rather as per Para 7 of Annexure I of the AD rules.
  ii. The authority must determine normal value based on Para 7 Annexure I of AD rules. Further, the export price may be determined based on exporters' data only after being satisfied with the accuracy and adequacy of the data.

iii. The domestic industry provided information that was available to them and appeared reasonable to them. The respondent failed to provide evidence of the price in the surrogate country even after claiming that information on price of the subject goods in the surrogate country are available online.

iv. It is a consistent practice of the Authority to determine normal value on the basis of cost of production of the domestic industry for non-market economies in case no alternative evidence is available.

v. China is treated as a non-market economy by virtue of Article 15 of the Accession Protocol. As per Article 15(d), only Article 15(a)(II) shall expire on 11th December 2016 and not Article 15(a)(I). Therefore, the Authority can only consider domestic prices or costs in China if the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail.

vi. The domestic industry has not considered any third country for the determination of normal value for Chinese producers.

G.3. Examination by the Authority

57. Under section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub- section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

58. Article 15 of the China's Accession Protocol with the WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

> *"a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
>
> *i. If the producers under investigation can clearly show that my conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
>
> *ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
>
> *b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles l4(a), l4(b), I4(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
>
> *c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
>
> *d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

59. It is noted that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016. However, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require the criterion stipulated in para 8 of Annexure I of India's AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.

60. At the stage of initiation, the Authority proceeded as per the information given by the applicant. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary

questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested Government of China PR to advise the producers/ exporters in China PR to provide the relevant information. The following producers/ exporters have co-operated in this investigation by filing the questionnaire response:

A. Han's Group
  i. GD Han's Yueming Laser Group Co., Ltd.
  ii. Han's Laser Smart Equipment Group Co., Ltd.
  iii. Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
  iv. Han's MP Laser Technology Co., Ltd.
  v. Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd.
  vi. Han's Laser Technology Co., Ltd.
B. Yawei Group
  i. Jiangsu Yawei Machine-Tool Co., Ltd.
  ii. Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd.
C. Trumpf
  i. Trumpf (China) Co., Ltd.
  ii. Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd.
  iii. Trumpf Werkzeugmaschinen SE+ Co. Ltd.
D. HSG
  i. HSG Laser Co., Ltd
  ii. Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd
E. Bystronic Group
  i. Bystronic Laser AG
  ii. Bystronic (Tianjin) Laser Ltd
  iii. Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd
  iv. Bystronic Laser India Pvt Ltd
F. Jinan Bodor Group
  i. Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd
  ii. Bodor Laser India Pvt Ltd
G. Shandong Oree
  i. Jinan Oree Laser Technology Co. Ltd
  ii. Shandong Oree Laser Technology Co. Ltd
H. Gweike
  i. Gweike Tech Co. Ltd

61. None of the exporters/producers have claimed market economy treatment. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority, consider it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and consider to proceed with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

G.5. NORMAL VALUE FOR CHINA PR

62. The Authority notes that no evidence has been provided by the domestic industry or other interested parties on prices in market economy third countries. Some of the interested parties have argued that the technical specifications and prices of all products are displayed on Manufacturer's e-commerce platform and therefore prices of surrogate country should be considered for normal value determination. However, no evidence is provided by any of the interested parties identifying PCNs for a surrogate country. The global trade data also could not be used to consider price from a market economy third country in view of the fact of various PCNs involved. Thus, normal value based on such a third country to other countries including India could not be determined.

63. Therefore, the Authority has determined the normal value for the subject imports in China as per the "price actually paid or payable in India" as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, duly adjusted, and with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The normal value has been determined PCN wise for a fair comparison. The weighted average normal value on the basis of quantities of exports of various PCN by the respective producer exporter is shown in the dumping margin table below. Since different exporters have supplied different products, the normal value determined for different exporters are not *inter-se* comparable.

G.6. EXPORT PRICE OF EXPORTERS

a. Hans Group

64. GD Han's Yueming Laser Group Co., Ltd., Han's Laser Smart Equipment Company Group Ltd., Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd., Han's MP Laser Technology Co., Ltd., and Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd. and Han's Laser Technology Co., Ltd., an importer (herein after referred to as Hans Group) have filed questionnaire response as the producers of the subject goods. These producers are related to each other and therefore, the Authority has calculated weighted average dumping margin. These producers have filed complete questionnaire response. These producers have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance etc. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by them. On being satisfied with respect to the claims made, the Authority has allowed them. Accordingly, the net export price at ex-factory level for these producers have been determined as shown below.

b. Yawei Group

65. Jiangsu Yawei Machine Tool Co. Ltd. and Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co. Ltd. (herein after referred to as Yawei Group) have filed questionnaire response as the producer of the subject goods. Both the producers are related to each other and therefore, the Authority has calculated weighted average dumping margin.

These producers have filed complete questionnaire response. These producers have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance etc. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by them. On being satisfied with respect to the claims made, the Authority has allowed them. Accordingly, the net export price at ex-factory level for these producers have been determined as shown below table.

c. Trumpf (China) Co., Ltd.

66. Trumpf (China) Co., Ltd., Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd. and Trumpf Werkzeugmaschinen SE+ Co. Ltd. (herein after referred to as Trumpf Group) have filed questionnaire response as the producer of the subject goods. First both the producers are related to each other and therefore, the Authority has calculated weighted average dumping margin. The producers have filed complete questionnaire response. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance etc. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by them. On being satisfied with respect to the claims made, the Authority has allowed them. Accordingly, the net export price at ex-factory level has been determined as shown below table.

d. HSG Group

67. HSG Laser Co. Ltd. and Jinan Hongshi Laser Technology Co. Ltd. (hereinafter referred to as HSG Group) have filed questionnaire response as the producer of the subject. Both the producers are related to each other and therefore, the Authority has calculated weighted average dumping margin These producers have filed complete questionnaire response. These producers have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance etc. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by them. On being satisfied with respect to the claims made, the Authority has allowed them. Accordingly, the net export price at ex-factory level for these producers have been determined as shown below table.

e. Bystronic Group

68. Bystronic (Tianjin) Laser Ltd., Bystronic Laser AG, and Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd, and Bystronic Laser India Pvt Ltd (herein after referred to as "Bystronic Group") have filed questionnaire response as the producer of the subject goods. Three producers and Bystronic Laser India Pvt Ltd (trader) are related to each other and therefore, the Authority has calculated weighted average dumping margin. These producers have filed complete questionnaire response. These producers have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, bank charges and credit cost. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by them. On being satisfied with respect to the claims made, the Authority has allowed them. Accordingly, the net export price at ex-factory level for these producers have been determined as shown below table.

f. Jinan Bodor Group

69. Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd., and Bodor Laser India Private Limited an importer (herein after referred to as “Jinan Bodor Group”) have filed questionnaire response as the producer of the subject goods. The producer has filed complete questionnaire response. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, bank charges and credit cost. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by them. On being satisfied with respect to the claims made, the Authority has allowed them. Accordingly, the net export price at ex-factory level for this producer has been determined as shown below table.

g. Shandong Oree

70. Jinan Oree Laser Technology Co., Ltd. and Shandong Oree Laser Technology Co., Ltd. (herein after referred to as “Shandong Oree”) have filed questionnaire response as the producer of the subject goods. Both the producers are related to each other and therefore, the Authority has calculated weighted average dumping margin. These producers have filed complete questionnaire response. These producers have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, bank charges and credit cost. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by them. On being satisfied with respect to the claims made, the Authority has allowed them. Accordingly, the net export price at ex-factory level for these producers have been determined as shown below table.

h. Gweike

71. Gweike Tech Co., Ltd. has filed questionnaire response as the producer of the subject goods. The producer has filed complete questionnaire response. These producers have claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, bank charges and credit cost. The Authority has undertaken desk verification and examined the claims made by them. On being satisfied with respect to the claims made, the Authority has allowed them. Accordingly, the net export price at ex-factory level for these producers have been determined as shown below table.

G.7. DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

72. The dumping margin determined for each co-operating producers/exporter based on PCN wise constructed normal value and net export price, is determined as follows:

SN	Group	Producers/Exporters	CNV ($/Unit)	EP ($/Unit)	DM ($/Unit)	DM%	DM range (%)
1	Hans Group	GD Han’s Yueming Laser Group Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
		Han’s Laser Smart Equipment Group Co., Ltd.					

		Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.					
		Han's MP Laser Technology Co., Ltd.					
		Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd.					
2	Yawie Group	Jiangsu Yawei Machine-Tool Co., Ltd.	***	***	***	***	50-60
		Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd.					
3	TRUMPF Group	TRUMPF (China) Co., Ltd.	***	***	***	***	(30-40)
		Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd.					
4	HSG Group	HSG Laser Co., Ltd	***	***	***	***	50-60
		Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd					
5	Bystronic Group	Bystronic Laser AG	***	***	***	***	30-40
		Bystronic (Tianjin) Laser Ltd					
		Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd					
6	Jinan Bodor Group	Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd	***	***	***	***	130-140
7	Shandong Oree	Jinan Oree Laser Technology Co. Ltd	***	***	***	***	100-110
		Shandong Oree Laser Technology Co. Ltd					
8	Gweike	Gweike Tech Co., Ltd	***	***	***	***	110-120
9	Residual	Other than column no.1 to 8	***	***	***	***	160-170

G. EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by other interested parties.

73. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

    i. The domestic industry has presented data and assessed injury for a period of 8 years to artificially demonstrate injury. Authority must limit injury analysis to 3 years.

    ii. The Authority has the discretion to consider one like article or each article as a separate like article. For each like article, the Authority should identify the domestic industry as well. NIP should also be calculated for each like article.

    iii. The applicant requested exclusion of components from the scope of the PUC, it is not clarified if the exclusion has any impact on injury.

iv. The increase in manufacturing at domestic industry's SEZ unit should be considered as exports not domestic sales.

v. The imports by the petitioner should be adjusted from total imports while undertaking injury analysis.

vi. The Authority must examine if the methodology followed by the petitioner for determining capacity is reasonable, and this methodology must also be disclosed to the interested parties.

vii. Reason for increase in import volume is because the industry does not have the capability to meet the domestic demand.

viii. While demand increased in the POI, the domestic sale and market share of petitioner declined, while that of other Indian producers increased.

ix. The fact that one of the supporters, Messer Cutting System India Pvt. Ltd. opened second manufacturing unit in 2019 shows imports were not to displace the market.

x. The Authority should reject claim for price undercutting as price undercutting data has not been provided for the entire injury period.

xi. The petitioner was able to increase/ decrease its selling price without influence of landed value. The year-on-year analysis shows absence of price suppression and depression. Also, no price suppression exists as the cost of sales has reduced more than the net sales realization.

xii. The Authority should not consider price underselling for evaluating injury in light of the Gujarat High Court order in Nirma Lt. v. Union of India.

xiii. There is no injury on account of productivity and employment as they showed an increase.

xiv. Though the applicant claimed their domestic sale is miserably low compared to demand in India, their production and sales have increased despite the imports. The decline in losses during the injury period shows the improved performance of the applicant.

xv. Also, if Q1 of POI is excluded from the period of investigation considering covid lockdowns, the performance will show further improvement. The petitioner's PBDIT has improved from a negative position.

xvi. Injury to the domestic industry is because of uncompetitive products, market conditions, high expenditure on R&D.

xvii. As per the applicant's annual report, the profitability of the applicant was highest in the POI. Low profitability as claimed in general can be attributed to capacity expansion undertaken in 2017, high expenditure on R&D, excessive assets under charge.

xviii. Increase in inventory has to be examined as a proportion of sales as held by CESTAT in Bridge Stone case. The inventory might be just a handful since the machines are made to order. The inventory could also be because of delay in delivery due to end of financial year.

xix. Further, temporary accumulation of inventory can be attributed to COVID-19, force majeure, and prevailing global recession than evidence of injury.

xx. The import data submitted by the domestic industry shows an 87-index point increase in imports which should be seen with a substantial 74 index point increase in domestic sales by other producers.

xxi. Other factors such as Covid-19, Ukraine-Russia War, force majeure, currency depreciation (Rupee-US Dollar variation), internal problems and subdued demand for Company's product have caused injury.

xxii. Causal link analysis by examining correlation of volume and price undercutting and petitioner's economic performance has not been done.

xxiii. The petition shows that average capital employed and fixed assets have declined whereas installed capacity is constant. This anomaly should be examined by the Authority.

xxiv. Considering 22% return on capital employed is inflated especially during the era of global recession. The Authority may consider ROCE in the range of 12-15%. The CESTAT orders in Bridge Stone Tyre Manufacturing & others vs. Designated Authority and Hyosung Corporation vs. Designated Authority are relied on. Practice followed by the EU is also cited.

xxv. If the other domestic producers would have suffered the injury, they would have participated in the present investigation.

xxvi. The production of Lastronics has increased 4 times in the POI as compared to the base year.

xxvii. The profitability has improved in the last two years. Even if the profitability been impacted, there is no correlation between the profitability of the domestic industry and imports from the subject country.

xxviii. The inventory trend of the domestic industry is in accordance with the trend of the domestic sales movement.

xxix. It is not necessary that the product needs to be homogenous, but the product scope must be to a like article and assessment of injury to be done based on like article. In the present investigation, the Authority has not conducted alike product analysis. Thus, singular injury determination cannot be made. The Authority is bound to determine individual injury for each individual product comprising the PUC.

H.2. Submission made by the domestic industry

74. The domestic industry party has made the following submissions with regard to injury and causal link:

i. The injury suffered is not only limited to the domestic industry but also affects other Indian producers. The surge in Chinese imports started before the base year of the injury period in 2017-18.

ii. The subject imports have increased in absolute terms as well as in relative to production and consumption in India in the POI compared to the base year and the previous year.

iii. The market share of the subject imports has increased over the injury period and POI while that of the domestic industry has declined in the POI compared to the previous year and base year.

iv. The domestic industry has been unable to increase their production, capacity utilisation, and domestic sales in relation to the capacity at its disposal and the demand in India.

v. The domestic industry is suffering financial losses, cash losses, negative PBIT, and negative returns in the POI.

vi. The inventories of the domestic industry have increased in the POI compared to the base year.

vii. The domestic industry has seen negative growth on major injury parameters.

viii. The ability of the domestic industry to raise capital investment has significantly declined.

ix. The subject imports are undercutting, underselling, and depressing the prices of the domestic industry.

x. The profit, according to the annual report of the domestic industry is due to the production of diamond processing equipment, special purpose machine and RF absorbers. These machines are earning good profits and is NPUC in the present investigation.

xi. Neither any law nor past practice of the Authority shows that the Authority has any discretion to undertake segmented analysis of the PUC; the ADA and the AD Rules require a wholistic examination of the PUC. The investigations relied on by the importers involve multiple 'products under consideration' as opposed to 'a product' under consideration.

xii. The increase subject imports are not because of the demand-supply gap, but because of dumping. Injury suffered by the domestic industry is not limited to the injury period and POI. The domestic industry has suffered injury prior to the investigation period.

xiii. The domestic industry alone has the capacity to meet 18% of the Indian demand. The market share of the domestic industry in the POI is merely 3%. The Indian industry can meet a larger share of the demand and increase capacities in reasonable time.

xiv. Dumping is analyzed only with respect to the imports in the POI. Hence price undercutting is also required to be examined only for the same period.

xv. The Gujarat High Court in the case of Nirma Ltd. Vs. Union of India deals with interim review and the imposition of anti-dumping duties. Interim review investigations allow for duty extension even with a negative injury margin, unlike original investigations.

xvi. The importers have incorrectly analyzed the CESTAT decision in Bridge Stone Tyre Manufacturing (Thailand) v. Designated Authority. The CESTAT did not state that inventory must be assessed solely based on domestic sales trends. It only mentioned that mere increased inventory could be linked to higher domestic sales, which the Authority did not consider in that investigation.

xvii. The PBDIT of the domestic industry improved in 2020-21 but declined in POI. PBDIT was so low that the return on capital employed was negative in the POI. Other economic parameters show the existence of injury.

xviii. A year-on-year examination of volume and price parameters need not result in direct correlation in every market. It is typical of certain markets to show a delay in the cause and effect.

xix. As per AD rules, a decline in profit indicates injury. In the present investigation, the domestic industry is suffering from financial losses thus, it is irrelevant whether the losses increased or declined.

xx. The domestic industry has calculated the dumping and injury margin on weighted average basis. Though the price undercutting was calculated on an average basis, a calculation on weighted average basis will not yield a different result.

xxi. The imports made by the domestic industry is insignificant. Hence exclusion of those imports would not affect the injury examination.

xxii. The Authority may consider actual figures to ascertain the total imports. The increase in Chinese imports which might be seen for other Indian producers is meaningless since they together command merely 4% market share and operate with severely underutilized capacities.

xxiii. The sales from the SEZ unit of the domestic industry have been completely excluded for the purpose of injury examination.

xxiv. The other interested parties is seeking Authority to change the practice of allowing 22% returns in all situation. Even in the case of Eximcorp India Pvt. Ltd. v. Designated Authority, the CESTAT refuse to interfere in the Authority practice.

xxv. The domestic industry has filed information on PCN-wise export price with the Authority. The domestic industry is not required to provide PCN wise injury information.

xxvi. Information on ROCE and profit/loss of the domestic industry has been provided as trends in Proforma IV-A of the application as per Trade Notice 10/2018. Further, NCV application also consist of injury margin.

xxvii. The respondent failed to identify other factors which are causing injury to the domestic industry other than subject imports.

xxviii. Arguing that the Indian industry is facing injury due to competition from other producers is baseless as the subject imports command more than 80% of the Indian demand.

xxix. Even if the average capital employed in the base year were to remain the same throughout the injury period, it remains a fact that the domestic industry is earning negative returns in the POI.

xxx. The Ukraine-Russia conflict commenced in February 2022, i.e., just a month before the end of the POI. The respondent cannot attribute any remote global event as a factor contributing to the injury to the domestic industry.

H.3. Examination by the Authority

75. The Authority has taken note of the arguments and counter arguments of the interested parties on injury. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties are addressed by the Authority as below.

i. Claim for separate Injury analysis for each product separately.

76. The opposing interested parties have contended that a separate injury analysis must be conducted for LCM, LWM and LMM, treating them as different products. The Authority notes that, having already examined above that the all the three products types are one single product under consideration, it would not be appropriate to examine injury for all the three kinds of machines separately. There is no requirement under law or in jurisprudence that all the subsets / types or sub-sets of the PUC should be homogenous for them to be covered under the same PUC and the same investigation. Further in the present investigation, all the items covered within the scope of this investigation constitute one product. Thus, there is no requirement to undertake separate injury analysis.

j. Adequacy of return for determination of non-injurious price

77. As regards submission of the applicant and other interested parties concerning methodology of determination of NIP, the Authority notes that relevant guidelines in this regard is well laid down under Annexure III of Anti-dumping Rules. The Authority has consistently allowed 22% return on capital employed, and the same has been adopted in the present case as well.

k. Claims of Injury due to the other factors.

78. As regards the submission of opposing interested parties that alleged injury to the domestic industry is due to the other reasons and there is no injury as per statements in the annual reports of the domestic industry, the Authority notes that the injury analysis carried out hereunder is self-explanatory. It is also seen that the petitioner in the present case is a multi-product company and performance as per the financial statements. Further, no evidence is provided by the interested parties on how the other factors listed by them are causing injury to the domestic industry.

79. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles. . ."*. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude, and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

H.3.1. Volume effect of dumped imports on domestic industry

a. Assessment of Demand

80. The Authority has determined the demand or the apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of all Indian producers, and the imports from all the sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars	**UOM**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
Domestic Sales of Applicant	No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*83*	*109*	*124*
Sale of Supporter	No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*71*	*86*	*143*
Sales of other producers	No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*106*	*135*	*164*
Import from subject country	No	3,327	3,624	3,808	6,027
Trend	*Index*	*100*	*109*	*114*	*181*
Import from other countries	No	567	541	466	752
Trend	*Index*	*100*	*95*	*82*	*133*
Total	No	4,265	4,501	4,708	7,299
Trend	*Index*	*100*	*106*	*110*	*171*

81. It is seen that there is an increase in the demand throughout the injury period and in the POI. It is seen that the demand increased more than 70% compared to the base year. However, the applicant sales increased only 24% compared to the base year and imports increased by more than 80%. In absolute terms, whereas the demand increased by more than 3000 machines, the imports increased by 2700, sales of the domestic industry increased by ***, whereas sales of Indian industry as a whole increased by only *** machines.

b. Import volume and share of subject country.

82. With regards to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to the production or the consumption in India. Summarized position is as follows.

Particulars	**UOM**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
China PR	No	3,327	3,624	3,808	6,027
Trend	*Index*	*100*	*109*	*114*	*181*
Other Countries	No	567	541	466	752
Trend	*Index*	*100*	*95*	*82*	*133*
Total Imports	No	3,894	4,165	4,274	6,779
Trend	*Index*	*100*	*107*	*110*	*174*

Subject Imports in Relation to					
Indian production	%	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*114*	*97*	*125*
Indian consumption	%	80%	82%	83%	84%
Trend	*Index*	*100*	*103*	*104*	*105*

83. It is seen that –
    a. The volume of imports from the subject country has increased throughout the injury period and in POI. The subject imports constitute 90% of the total imports of the subject goods into India in the POI.
    b. The imports from the subject country increased in relation to the Indian production and the Indian consumption in the POI as compared to base year as well as the previous year.
    c. The subject imports constitute very significant proportion in demand for the product in the country.

H.3.2 Price effect of the dumped imports

84. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices or prevent the price increase, which otherwise would have occurred in the normal course.

85. Accordingly, the Authority has examined the impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country with reference to the price undercutting and price suppression/ depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and the selling price of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Price undercutting.

86. The Authority has calculated price undercutting on PCN level and thereafter determined price undercutting for the PUC as a whole. The Authority however notes that the product description in the DG Systems data did not allow complete identification of PCN in the entire import data. Therefore, it was not possible to calculate price undercutting for the entire import volumes. Since large number of producers from China PR have participated and have given PCN wise information, the Authority has calculated price undercutting based on the data of the responding producers from China PR.

Particulars	Landed price	Selling price	Price Undercutting	Price undercutting %	Price undercutting (range)
USD/ machine	***	***	***	***	40-50

87. It is seen that the price undercutting is significant and positive.

b. Price suppression/ depression

88. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices, or, whether the effect of such imports is to suppress such prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are examined as below:

Particulars	**UOM**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
Cost of Sales	₹ Lacs/No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*103*	*93*	*92*
Selling Price	₹ Lacs/No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*95*	*96*	*83*
Landed Price	₹ Lacs/No	10.67	11.18	9.22	11.48
Trend	*Index*	*100*	*105*	*86*	*108*

89. It is seen that whereas both costs and prices have declined over the injury period, the decline in the selling price was more than the decline in the costs. The landed price of the imports has consistently been significantly below the cost and the selling price of the domestic industry. While, a comparison of import price with the domestic industry cost and price on weighted average basis may not be appropriate considering the vide range of PCNs involved, the Authority notes that the fact that the PCN wise undercutting is positive to the extent of 40-50% shows that the imports have forced the domestic industry to reduce its price beyond the decline in the costs.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry.

90. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all the relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of the dumping; actual and potential negative effects on the cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise the capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

i. **Capacity, production, capacity utilization and domestic sale**

91. The Authority has analysed capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period.

Particulars	**UOM**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
Installed Capacity	No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*100*	*100*	*100*
Production Volume	No	***	***	***	***

Trend	*Index*	*100*	*86*	*106*	*124*
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*87*	*106*	*135*
Domestic Sales	No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*83*	*109*	*124*

92. It is seen that the capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period and in the POI. The production and sales of the domestic industry has increased with the increase in demand. However, the volumes of production and sales are significantly lower as compared to the capacity and demand in India. The capacity with the domestic industry is much lower than demand for the product in India. Despite the same, the capacity utilization of the domestic industry has remained low throughout the injury period.

ii. **Market Share**

93. The Authority has examined the effect of the dumped imports on the market share of the domestic industry and other Indian producers as under.

Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Domestic Industry	%	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*78*	*99*	*72*
Sale of Supporter	%	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*68*	*78*	*83*
Sales of other producers	%	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*100*	*122*	*96*
Indian industry as a whole	%	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*86*	*106*	*82*
Imports from China	%	78%	81%	81%	83%
Trend	*Index*	*100*	*103*	*104*	*106*
Import from other countries	%	13%	12%	10%	10%
Trend	*Index*	*100*	*90*	*74*	*77*

94. It is seen that the market share of the domestic industry has declined over the injury period, whereas the market share of the subject country has increased and is more than 80% of the total demand. The market share of other countries, other Indian producers and domestic industry is low throughout the injury period.

iii. **Inventories**

95. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Average Inventory	No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*142*	*158*	*154*

96. It is seen that the inventories with the domestic industry have increased over the injury period. As regards the contention that the product is a customer-made product and the increase in the inventory should be seen in that context, during the physical verification, it was seen that certain standard machines are manufactured without orders and are offered as "readily available for sale" by the domestic industry. Therefore, it cannot be said that entirety of the production is against orders. The domestic industry produces both against orders and against inventories considered normal market requirements. The increased inventory are machines lying in stock which are to be sold after receipt of orders.

iv. **Profitability, cash profits and return on capital employed.**

97. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profitability, profits, cash profits, PBIT, and return on investment.

Particulars	**UOM**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
Cost of Sales	₹ Lacs/No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*103*	*93*	*92*
Selling price	₹ Lacs/No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*95*	*96*	*83*
PBT (Profit before Tax)	₹ Lacs/No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*-100*	*-233*	*-47*	*-248*
PBIT (Profit before Interest & Tax)	₹ Lacs/No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*-100*	*-370*	*47*	*-453*
Cash Profit	₹ Lacs/No	***	***	***	***
Trend	*Index*	*-100*	*-459*	*48*	*-526*
ROCE	%	***	***	***	***
Trend	*Index*	*-100*	*-390*	*49*	*-700*

98. It is seen that-

   a. The domestic industry has been suffering from losses throughout the injury period and in the POI.
   b. The domestic industry suffered financial losses, negative PBIT, cash losses and negative return on capital employed in the POI.
   c. The return on capital employed was negative throughout the period of investigation except in the year 2020-21.

99. The interested parties contended that the financial results of the domestic industry shows that the domestic industry is in profits. The Authority however notes that the domestic industry produces a number of other types of machines. The domestic industry has sold those machines at a profit, leading to overall profits at company level. The domestic industry stated that there was no material dumping happening in those products.

100. The Authority also notes costs on account of raw materials alone constitutes a very significant proportion of sales price. The adverse performance of PUC and better performance of other products is established by the ratio of sales to raw material costs itself.

v. **Employment, wages and productivity**

101. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was examined.

Particulars	UOM	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
No of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*83*	*104*	*108*
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*78*	*88*	*95*
Productivity per day	Nos.	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*86*	*106*	*124*
Productivity per employee	*Nos*	***	***	***	***
Trend	*Index*	*100*	*103*	*102*	*115*

102. It is seen that the number of employees with the domestic industry has increased over the injury period. Productivity per day and productivity per employee has improved over the period. Wages paid has declined as compared to base year, but has increased as compared to previous year. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry. It is also seen that the salary & wages do not form a material part of the selling price.

vi. **Growth**

103. The growth of the domestic industry in terms of the production, the capacity, domestic sales volume, the inventories, the profits, the cash profits, the market share and the return on investment is as per given table below –

Particulars	**UOM**	**2019-20**	**2020-21**	**POI**
Production	%	-14.15%	23.30%	17.05%
Domestic Sales	%	-17.24%	31.55%	13.57%
Profit / Loss per unit ₹ Lacs	%	-132.75%	79.90%	-429.34%
Inventory	%	41.67%	11.76%	0.00%
PBIT ₹ Lacs	%	-206.03%	116.82%	-1187.78%
Cash Profit	%	-279.68%	113.88%	-1335.58%
ROCE	%	-11.21%	16.99%	-29.01%

104. It is seen that the growth of the domestic industry was negative in most of the injury parameters during the POI.

vii. Magnitude of dumping

105. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the dumped imports are causing injury to the domestic industry. The data shows that the dumping margin determined against the subject country as a whole is above the *de minims* level and is very significant.

viii. Ability to raise capital investment.

106. It is seen that the domestic industry has faced financial losses, cash losses and a negative return on the capital employed throughout the injury period, which has weakened its ability to raise the capital investment.

H.3.4 Analysis of Injury

107. The examination of the imports of the subject goods and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of the dumped imports from the subject country has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The Chinese imports constitute a very significant share in Indian consumption. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry. The price undercutting has led to depressing effects on the prices in the market, as seen from the decline in the domestic industry more than the cost declines. Production, capacity utilization, sales of the domestic industry has remained low throughout the injury period. The domestic industry and Indian industry as a whole have lost market share. Further, share held by the domestic industry and Indian industry as a whole in demand for the product has remained very low throughout the injury period, whereas share of Chinese imports is quite significant. The Indian industry is gradually heading towards extinction. The domestic industry has been suffering financial losses, cash losses and negative return on investments throughout the injury period.

I. CAUSAL LINK

108. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine whether any known factors other than the dumped imports are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and the domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether the factors listed under the Rules could be the cause of injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and prices of imports from third countries.

109. The imports from China PR constitutes 88% of the total imports of the subject goods into India in the POI. The imports from other countries are either at higher prices or insignificant volumes. Imports from other countries cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand and/or change in pattern of consumption.

110. The Authority notes that there is no contraction in demand during injury period. On the contrary, overall demand for subject goods has shown significant growth during the injury period. The Authority further notes that the domestic industry is unable to utilize its capacity to the extent of available demand due to dumped imports.

c. Conditions of competition and trade restrictive practices

111. The Authority notes that the investigation has not shown any change in conditions of competition, or the trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

d. Development in technology

112. No evidence has been brought forward by any interested parties that developments in technology could be the cause of injury to the domestic industry.

e. Export performance of the domestic industry

113. The Authority has considered the injury data for the domestic operations separately for the injury analysis. Therefore, the export performance of the domestic industry is not the cause of the injury to the domestic industry.

f. Performance of other products

114. The Authority has considered data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, the performance of the other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

115. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilization of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilization of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pretax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

116. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for the producers/ exporters as determined by the Authority is provided in the table below. The injury margin has been determined by comparing the NIP with the landed price of imports, by undertaking PCN to PCN analysis:

SN	**Group**	**Producers/Exporters**	**NIP ($/Unit)**	**LV ($/Unit)**	**IM ($/Unit)**	**IM%**	**IM Range (%)**
1	Hans Group	GD Han's Yueming Laser Group Co., Ltd. Han's Laser Smart Equipment Group Co., Ltd. Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. Han's MP Laser Technology Co., Ltd. Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
2	Yawie Group	Jiangsu Yawei Machine-Tool Co., Ltd. Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
3	TRUMPF Group	TRUMPF (China) Co., Ltd. Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd.	***	***	***	***	(40-50)
4	HSG Group	HSG Laser Co., Ltd Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd	***	***	***	***	20-30
5	Bystronic Group	Bystronic Laser AG Bystronic (Tianjin) Laser Ltd Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd	***	***	***	***	20-30
6	Jinan Bodor Group	Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd	***	***	***	***	70-80
7	Shandong Oree	Jinan Oree Laser Technology Co. Ltd Shandong Oree Laser Technology Co. Ltd	***	***	***	***	80-90
8	Gweike	Gweike Tech Co., Ltd	***	***	***	***	80-90
9	Residual	Other than column no.1 to 8	***	***	***	***	130-140

117. It is seen that, barring one cooperating producer, injury margin in respect of the cooperating producers as well as all other producers is positive.

K. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS

K.1. Submission made by other interested parties

118. Post disclosure comments made by other interested parties are as follows:

    i. The Authority has rejected exclusion requests made on the grounds that domestic industry produces a particular product. The domestic industry has to show that whether the specific product types have been produced and sold by the domestic industry during the period of investigation. Mere competency to produce a product type is not sufficient for its inclusion.

    ii. Whether a machine imported in CKD form will be included only if the consignment includes all parts that provide essential character to the product under consideration and if it so, which part provides essential character to the product under consideration.

    iii. Date of submission of support letters should be clarified by the Authority. They should be rejected if they were filed at belated stage, i.e., after 11th Jan 2023 (timeline for submission of EQR). In the initiation notification the Authority stated that other supporter i.e., Proteck & Lastronics and Messers Cutting System Private Limited have provided details of production, capacity, and domestic Sales. However, there is no such details present in the petition shared with the interested parties.

    iv. The other producers are doing extremely well as they have not supported nor came forward for the present investigation. Four other producers have neither supported nor opposed the initiation.

    v. In order to determine whether the imports by petitioner are insignificant, the Authority should consider imports for each machine type, i.e., cutting, marking, and welding, instead of clubbing all the three machines under one category.

    vi. The Authority is requested to disclose the methodology for comparing PCNs if a machine with a particular PCN was not manufactured by the domestic industry.

    vii. Trumpf and Jiangsu are producers related to each other. They should have been assigned a single weighted average dumping margin rather than separate.

    viii. PCN wise undercutting is not relevant for arriving at conclusions regarding price suppression or depression. Price suppression/depression requires separate analysis and cannot be determined merely on the basis of price undercutting.

    ix. Subject imports do not have price suppressing or depressing effect. The applicant was able to increase/decrease its selling price without influence of the landed value.

    x. The economic impact must be analysed in relation to net profits of users and not revenue.

    xi. Names of the HSG Laser Co., Ltd., Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd and Gweike Tech Co Ltd are required to be corrected.

    xii. The domestic industry imports its raw materials from China PR and the cost of production used to determine normal value is not at significant variance with the cost of production of producers from China PR. Normal value and dumping margin for each PCN has been estimated by the respondents based on raw material price of 3 major components sourced from market intelligence enclosed with the disclosure comments. The dumping margin estimated is negative.

xiii. The overly high dumping margin and injury margin is due to high normal value and NIP determined based on the cost of production of the domestic industry and inappropriate PCN to PCN comparison. Lack of disclosure on the PCN comparison methodology has prevented respondents from providing their comments on the appropriateness of the same.

xiv. The respondents again request the Authority to consider the data of other Indian producers alongside the applicant's data. This will ensure an accurate assessment of injury. This has been done by the Authority in the past as can be seen in *the Anti-dumping investigation of Polyester Staple Fiber from China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand.*

xv. Reasons for substantial revision of critical parameters such as 'cost of sales per unit', 'net sales realisation per unit' and 'profit/loss per unit' of the domestic industry must be disclosed.

xvi. As the product under consideration is capital goods, the form of duty imposed should be ad-valorem to uniformly impact all varieties of the product under consideration.

xvii. The domestic industry does not have the capacity to meet the demand in India, the duty should be recommended for only 2 years.

xviii. Shenzhen DNE is not part of Jinan Bodor Group as stated in the disclosure. They are a related trader of Bystronic Group. It is requested that the same be rectified in the final finding.

xix. The fact about the domestic industry showing orders of machine having laser power of 20000W is disclosed for the first time in the disclosure and no evidence was put to record.

xx. PCN wise comparison undertaken by the Authority is incorrect.

xxi. No production details or support letter has been submitted in the petition of the supporter 'Messers cutting system Private Limited' and 'Proteck & Lastronics'

xxii. In the normal value calculation, the Authority has missed the export details of Bystronic Shenzhen DNE in calculation of Bystronic Group resulting in reduction of export price and landed value by 20%.

xxiii. The MSME certificate should be provided by the domestic industry including the law which states that rules and regulations of Anti-dumping should be foregone for MSME.

K.2. Submission made by the domestic industry.

119. Post disclosure comments made by the domestic industry are as follows:

i. The domestic industry has requested disclosure of non-confidential version of the verification report of the participating exporters, communication exchanged with exporters, and any information filed by exporters post filing of initial questionnaire response.

ii. The quantity and value reported by the responding exporters from the subject country is required to be matched with quantity and value reported in transaction wise import data.

iii. In case the quantity and value reported by the responding exporter does not match with the transaction wise import data, such exporter must be considered non-cooperative, and their response rejected.

iv. The following registered interested parties must be considered non-cooperative as they have failed to file the questionnaire response within prescribed time limits: (i) Jiatai International Company (India), (ii) Wila CNC India Pvt. Ltd., (iii) Vee M Automation Technology, (iv) S&T Engineering Pvt. Ltd., (v) Premier United Pvt. Ltd., (vi) SMT Innovative, (vii) Daksh Enterprises, (viii) Sahil Technocrats, (ix) Upanal CNC Pvt. Ltd., (x) Shree Ram Enterprises, (xi) Meera Laser Solution Pvt. Ltd., (xii) Wuhan Raycus Fiber Technologies Pvt. Ltd.

v. Only reliable and quantifiable information on record on the impact of the anti-dumping duty is provided by the domestic industry. This investigation has had no user participation, and the importers have not provided any quantifiable information.

vi. The imposing of anti-dumping duty would not adversely affect end users or downstream industries as the product under consideration is a capital good and any impact of the duty would be spread across the life of the PUC.

vii. Ad-Valorem form of duty must be recommended as: (a) the product involves many models and types that have considerable variances in associated costs and prices, (b) the product is a capital good and is manufactured in accordance with specifications/requirements, and (c) to avoid any circumvention.

viii. The Authority must recommend anti-dumping duty for a period of 5 years as the applicant and other producers belong to the MSME sector, and the need for recovery as the Indian Industry has been suffering from dumping for a long period.

K.3. Examination of the Authority

120. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the findings. Issues raised in the disclosure statement which have already been examined have not been considered now. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

121. Submissions on the incorrect names of the interested parties have been duly incorporated in the final finding.

122. As regards the contention of no information of production of all types of goods on domestic industry's website and the inclusion of goods based on the capability to produce, the Authority notes that the product under consideration is produced largely based on order. There may be products which the domestic industry can produce but did not produce only because of the absence of orders. The product under consideration

comes in wide range of different sizes, laser power, bed size etc. It may be possible that the domestic industry would have produced machine similar to the imported product with some minor differences in product characteristics. The interested parties have not shown that some party has placed an order on the domestic industry and the domestic industry regretted supply against the same claiming technical incapability. In a situation where a product is produced and sold in a large number of types/forms/varities, the Authority does not consider that the domestic industry should have produced and supplied each type/form/varity of the product. The Authority is of the view that the domestic industry should have the capacity and capability to produce such a goods. In fact, the Authority has routinely determined injury margin where the Authority found that all forms of the products produced by the domestic industry were not imported into the country, and similarly, all forms of the products were not produced and supplied by the domestic industry. The Authority in fact has notified its methodology for determination of the injury margin in such cases by specifying that the injury margin in such cases shall be determined by considering a near similar product type and making adjustments for the differences in characteristics. Therefore, merely only on the basis of non-production of particular product type during the POI, exclusion cannot be granted, particularly in a case like the present which involves capital goods. Based on the facts of the case and the nature of the product involved, what is required to be considered is if the domestic industry is capable of producing the required product.

123. As regards the contention on the form and duration of duty, the same have been duly considered based on the facts of the case. The Authority has in past recommended anti-dumping duty for a period less than 5 years having regard to facts & circumstances of those cases. The domestic industry in the present case has been in existence for a long time. There are large number of producers in the market. The share of imported product in the domestic market is high. The facts of the case justify recommendation of duty for 5 years in order to allow fully recovery of the Indian industry.

124. It has been contended that the fact that the domestic industry can produce machine having laser power of 20000W has been disclosed for the first time in the disclosure statement. Pursuant to the written submissions filed by the other interested parties wherein it was said that the domestic industry cannot provide machines with laser power of 20000 Watt, the domestic industry had in its rejoinder submissions provided evidence of its capacity to produce the machine with the desired laser power. The fact has been disclosed to all the parties in the disclosure statement and comments were invited. However, the interested parties have not provided any evidence to dispute it.

125. As regards to the request for determination of normal value based on records kept by Gweike Tech Co. Ltd., the Authority notes that the respondent has not filed market economy questionnaire response to rebut the presumptions as mentioned in para 8 of Annexure- I and under these circumstances. Therefore, the contention cannot be accepted.

126. As regards the date of submission of the support letters, the support letters were received before the initiation of the investigation and their names have been considered in the initiation notification itself. It has also been contended that the information regarding the production and sales of the other supporters were not disclosed to the interested parties. The Authority has disclosed the names of the participating producers in the initiation notification itself and the trend of their domestic sales in the disclosure statement.

127. It has been contended that the Authority should examine performance of other producers as well and not for the other producers which have supported the application. Based on the WTO decisions and the Rules, a 25% share in total Indian production can be considered a "major proportion" in the case of a fragmented industry. The applicant in the present case satisfies the requirement of standing in terms of anti-dumping rules. The Authority may also examine the trend of performance of supporters as well. However, the supporters in the present investigation have provided information only with respect to capacity, production and sales. It is seen that even the supporters are operating with significant idle capacities.

128. As regards the comments on methodology considered for suppression/depression, the Authority notes that considering the large number of the PCNs involved, it will be highly misleading if the comparison is made on an average basis. The analysis of transaction wise PCN wise data shows that the import price is below the selling price of the domestic industry. The fact that the domestic industry has suffered financial losses and the import price is below the selling price of the domestic industry itself shows that the imports are suppressing or depressing the domestic prices.

129. As regards the argument on normal value calculation for the PCNs which are not manufactured by the domestic industry it is noted that the Authority has taken due diligence in computing the normal value nearest PCN manufactured by the domestic industry with due adjustments, wherever necessary.

130. As regards the PCN wise comparison, the Authority has undertaken the comparison as per the consistent practice. Where the domestic industry has supplied the exact PCN, the same has been considered for the present determination. However, in cases where the import quantities include some of the PCNs, which have not been produced by the domestic industry during the period of investigation, the non-injurious price or normal value for these PCNs have been computed based on the closest PCN with due adjustment.

131. It has been contended that there is a demand and supply gap in the country, and the same will worsen after imposition of anti-dumping duty. It is also seen that as against the demand, the capacity with the domestic industry, other Indian producers, imports from other countries and non-dumped imports from the subject countries will be able to cater the entire demand. The domestic industry has also submitted that the capacities can be increased to some extent immediately, and to a significant extent in a short run. The Authority notes that the demand-supply gap in the country does not bar the domestic

industry from seeking redressal from dumped imports. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at un-dumped prices. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country.

132. It has been contended that the anti-dumping duty should not be imposed as the consumers are in MSME sector. The Authority, however, notes that the argument has been raised by a Chinese exporter/ Indian trader. The consumers have not raised any such arguments, nor any consumers' association has come forward with any such plea. At the same time, it is noted that the domestic producers in the product under consideration are MSMEs. Further, as far as buyers are concerned, even if they are MSME, the product under consideration is a capital good and therefore the cost would be absorbed over long life of the product.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

L.1 Submission made by other interested parties

133. The submissions made by the other interested party on the imposition of the duty being against public interest are as follows:

   i. Users who have imported Chinese machines would not have to import again until the machine requires replacement due to complete depreciation. Hence, existing users will not be affected by imposition of anti-dumping duty in the near future. The absence of participation from users should be understood in this context.
   ii. The petitioner's quantification of the impact of anti-dumping duty should be rejected. The petitioner considered an anti-dumping duty of 30% when dumping margin and injury margin claimed is 180-190% and 90-100% respectively which would even conservatively lead to an anti-dumping duty of 60%. The biggest proportion of users of subject goods is MSME who would be most affected as opposed to large industrial user considered by petitioner.
   iii. An anti-dumping duty of 30%-60% will have an impact of 13%-27% for laser cutting machine and 6%-13% for laser marking machine and laser welding machine. The increased cost of the product under consideration will impact the profits of users. This will force small scale users to give up business plans leading to wide-scale impact on the economy. The competitiveness of the user industry will be severely affected. Importers and end-users employ 2000 and 5000 people directly respectively. The anti-dumping duty will impact the employment generated.
   iv. The imposition of anti-dumping duty will worsen the demand-supply gap and be detrimental to the government's Make in India objective.
   v. The demonstration made in Annexure 2.4 is unreliable, as the revenue figures on which the calculations are made are unsubstantiated and rationale is unexplained. Considering the multiple end uses of the laser machines, the assessment has to be undertaken based on the specific user industry. The Authority is requested to refer to the user questionnaire filed in the investigation.

vi. The entire laser machine market is projected to grow in the following years and the domestic industry under the pre-text of ‘levelling the playing field’ is attempting to capture the Indian market. The domestic industry is unable to compete with the industry standards and Chinese, Japanese, and German laser machines are deemed superior globally. They are therefore resorting to alternative measures in order to gain a price advantage. The domestic industry offers no benefit to end consumers and is seeking to undercut the competitive landscape. The imposition of anti-dumping duty is against public interest.

vii. Even if anti-dumping duty is imposed and the subject imports cease, the petitioner may not be able to achieve scale of production because they lack technical expertise and know-how.

viii. The domestic industry’s claim that the increase in cost owing to anti-dumping duty would be spread across the AUL period of 15 years is contradictory. The domestic industry not only states that the consumers are extremely price sensitive but also claims that the imposition of duties will not have an overall effect to the consumer. If the end consumer is not price-sensitive, then the reason why the user industry prefers imports is owing to the fact that it has qualitatively superior PUC.

ix. The product ranges from lakhs to crores, as the product is capital intensive. If the anti-dumping duty is imposed of 60%, it will be expensive for the users/importers to import the PUC. The impact of anti-dumping duties would be high.

x. No complaints have been raised by the users or importer industry with regards to after-sales service and the supply of spare parts. Further various importers are in different parts of the country which are in a better position to meet the after-sales support and requirements of the user’s industry. The after sales service of the petitioner is meaningless as the machines are supported by the petitioner suffer from poor quality/performance standards.

xi. The impact will likely to strengthen the oligopolistic tendencies of domestic producers, which can be detrimental to importers and the user industry.

xii. The imposition of duties will reduce importers and users'' which are already low margins, leading to a severe impact on the demand for the PUC in the market.

xiii. The imports of the PUC from third countries are otherwise also very expensive and will not be affordable for small-scale users.

xiv. The interest of single producers cannot be equal to the interest of the public at large. Where there is only one domestic industry and various importers have participated, their claim of adverse impact of anti-dumping duty must be considered.

K.2. Submission made by the domestic industry.

134. The submissions made by the domestic industry on the imposition of the duty being against public interest are as follows:

i. Imposition of anti-dumping duty is in the interest of producers, consumers and public at large. The capacity would get expanded when fair competition is restored in India. Additionally, imposition of anti-dumping duty would also ensure that even third country imports can compete fairly in the Indian market.

ii. The lack of users' opposition shows that the user's industry does not expect any adverse impact on account of imposition of anti-dumping duty. Further, the quantification of the impact of anti-dumping duty shows that the impact is insignificant.
iii. Procuring from the domestic industry is in the interest of the users. Post-sales assistance and the supply of spares parts is essential for smooth functioning of the machine. Being established in India, the domestic industry would provide timely service to the user's industry.
iv. The Indian industry consists only of MSMEs, which is competing against unfairly priced imports from large Chinese entities. Some cooperating producers/exporters are subsidiaries of major European corporations. Both the domestic industry and the other Indian producers have been experiencing continuous losses. Sustaining these loss-making operations is not feasible for the Indian industry in the long term. Without government support, these companies may be forced to shut down soon.
v. Technology of the subject goods has application in other critical sectors such as medicine and defence. The domestic industry is involved in engaging in research on the use of such technology in these sectors. Therefore, it is in the best interest of the country that the domestic industry continues in developing technology for these sectors.
vi. Fair competition in the Indian market will not be reduced by imposition of the anti-dumping duty. Anti-dumping duty is a redressal of unfair price discrimination by the producers in other countries, which is injurious to the industry in India. Therefore, anti-dumping duty is not a protection to the industry, but rather a means of price correction.
vii. The objective of the imposition of the anti-dumping duty is to establish a level playing field, by removing any trade distortion by the producers in the subject country and allowing the Indian industry an opportunity for fair competition.
viii. The subject goods are produced by several countries other than China PR. The restoration of fair competition will also help producers from third countries to compete with Chinese imports on an equal footing in the Indian market. This further assures that the downstream industry will not face any shortage of the subject goods on account of the imposition of the duties.
ix. Indian industry is perfectly capable of competing with producers in the third country markets on market principle. The Indian industry has the potential to become globally renowned and share the same status as that of European, Korean, and Japanese producers. The Indian industry is not suffering from injury from third country imports.
x. The imposition of anti-dumping duty on the subject imports would result into fair market competition, Indian producers would be able to compete on market terms with Chinese imports, recovery from loss and earning adequate returns with growing demand will act as an incentive to expand their production capacity and expansion of production capacity will bridge the demand supply gap and facilitate the goal of 'Make in India'.

xi. Only the domestic industry has quantified the impact of anti-dumping duty and none of the importers have quantified the same which was a requirement under economic interest questionnaire.

xii. Even entities with a turnover as high as Rs.250 crores are considered MSMEs. The domestic industry has taken a reasonable average of Rs.50 crores and quantified the impact accordingly.

xiii. Calculation of the impact of the anti-dumping duty on the revenue of the user industry gives a correct metric of the economic impact. The impact should be calculated on a static measure and hence, revenue would be more appropriate as opposed to net profit which is dynamic and dependent on several factors.

xiv. The Authority must reject the quantification of anti-dumping duty belatedly filed by the imports as they failed to provide in the economic interest questionnaire. Even if such has been filed, the same must be rejected as they failed to circulate non-confidential version of the same to the domestic industry.

xv. The imposition of anti-dumping duty would restore the fair competition in the Indian market which will help the Indian Industry to increase their domestic sales, revenue and returns. This would also encourage the Indian producers to scale up the production and the Indian industry can come out of MSME sectors.

xvi. Chinese producers have acquired the Indian market by resorting to unfair dumping. Existence of fair market practices in the Indian market would lead to Indian industry acquiring market.

K.3. Examination of the Authority

135. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Ensuring a level playing field for the subject goods in India is even more important considering the structure of the Indian industry. While the domestic industry is the largest company among the Indian industry, still they are an MSME. Apart from the domestic industry, all other producers of the subject goods fall within the MSME sector. If the production and sales of the subject goods become unviable to them, they will be forced to shut down operations. Further, The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

136. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including the importers, the consumers, and the other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely

to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duty.

137. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. The domestic industry has provided information sought in the Economic Interest Questionnaire. The domestic industry has also provided a quantification of the potential impact of the duty. It is to be noted that two producers/ exporters from the subject country have responded to the Economic Interest Questionnaire namely, HSG Laser Co., Ltd and Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd. However, exporters have not quantified the impact of the imposition of anti-dumping duty on end users. During the course of the investigation, steps were taken to examine whether the imposition of the anti-dumping duties will be against the public interest. For this, the Authority has considered information on record and interests of various parties, including the domestic industry, importers, and users of the product.

138. None of the users, OEMs or user associations have opposed to the present investigation. Nor these parties have claimed that there shall be an adverse effect of the proposed anti-dumping duty on the public at large, or even their operations. After the issuance of the disclosure statement, some representations were received requesting for non-imposition of anti-dumping of the representation are very similar in content and no data on the possible impact has been provided. As already noted above, none of the importers or consumers have provided any verifiable information to demonstrate the effect of the anti-dumping duty on the consumers. In this regard, the Authority re-iterates that imposition of the antidumping measures would not restrict the imports from the subject country in any way and, would not affect the availability of the product to the consumer.

139. It is noted that the product is under free category and, therefore, can be freely imported from the various countries. The imposition of the anti-dumping measures would not restrict the imports from China in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The imposition of anti-dumping duties, therefore, would neither affect the availability of the product to the consumers nor create monopoly.

140. It has been contended that there is a demand and supply gap in the country, and the same will worsen after imposition of anti-dumping duty. It is also seen that as against the demand, the capacity with the domestic industry, other Indian producers, imports from other countries and non-dumped imports from the subject countries will be able to cater the entire demand. The domestic industry has also submitted that the capacities can be increased to some extent immediately, and to a significant extent in a short run. The Authority notes that the demand-supply gap in the country does not bar the domestic industry from seeking redressal from dumped imports. As held by the CESTAT in the matter of DSM Idemitsu Limited vs. Designated Authority, demand-supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the

product at un-dumped prices. Even after the imposition of anti-dumping duty, the imports are not restricted in the country.

141. The Authority notes all other producers including the domestic industry of the subject goods in India belong to the MSME sector. Thus, imposition of duties would only help the Indian producers to stay viable and competitive.

142. It is noted that the interested parties have not demonstrated how the prices of the subject goods have adversely impacted the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted quantified information establishing that the impact of the proposed antidumping duty on the user industry would be miniscule. The domestic industry has submitted that the cost of the product under consideration in the final product is very minimal and will have almost no effect on the end-users. The domestic industry has quantified an impact of 0.0003% on the turnover of the downstream industry. The interested parties opposed the quantification provided by the domestic industry but has not provided any verifiable information to quantify the impact.

M. CONCLUSION & RECOMMENDATION

143. After examining the submission made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:

a. Laser cutting, welding or marking machines are machines which have laser source as the base product and performs the function of emitting laser required for cutting, welding, marking or any other operations. Mere fact that the machine may perform the function of welding, cutting, or marking does not render these as different products. Different kinds of laser machines are nothing but one product which essentially perform the function of emitting laser light in a controlled manner.

b. The product under consideration comes in a wide range of different sizes, laser power, bed size etc. Different categories/types are developed to meet specific end-user requirements. Since it is a capital good and customer made product, the design of the industrial laser machines is as per the end use requirements. It may be possible that the domestic industry would have produced machine similar to the imported product with some minor differences in product characteristics. In a situation where a product is produced and sold in a large number of types/forms/varieties, the Authority does not consider that the domestic industry should have produced and supplied each of them. Therefore, the Authority has considered if the domestic industry has the technical capacity to provide such products.

c. Components have been excluded from the scope of the product under consideration. However, if all the components are transacted in such a manner that it merely requires assembly operation in India, such transaction would amount to transaction in CKD condition and shall be within the ambit of the product under consideration.

d. There are around 8 producers of the product under consideration in India and the industry is a MSME fragmented industry. Some of the MSMEs have a turnover of Rs 10 Cr or less.

e. The application was filed by M/s. Sahajanand laser Technology Limited. Lastronics Technology Private Limited, Proteck Machinery Pvt Ltd. and Messers Cutting System India Private Limited had supported the investigation. The applicant together with supporters account for 50-60% of the total domestic production of the like article in India.
f. The volume of imports made by the applicant is insignificant (0.26% in relation to total imports into India and 0.24% in relation to total demand in India and 3.5% of its total domestic sales). The imports made by the applicant are not in such volumes so as to disentitle them from being treated as an eligible domestic industry.
g. Large number of exporters from China PR have participated. 9 Chinese group of companies consisting of 20 exporters have participated and filed questionnaire response. None of the responses have been rejected. The Authority has not undertaken sampling and determined dumping margin based on their response.
h. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined, and the margins are significantly positive. No reason has been provided by the exporters for such a significant degree of dumping.
i. Even the lowest dumping margin determined in case of co-operating producers is in the range of 30-40%. Further, the dumping margin is as high as 100%.
j. The examination of the imports of the subject goods shows that the volume of dumped imports from China has significantly increased in the period of investigation. The imports have increased in both absolute terms and in relation to production and consumption.
k. The examination of the price of the imports of the subject goods further shows that imports are priced below the selling price of the domestic industry. The dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry by 40-50%.
l. The imports are below the cost of sales of the domestic industry. The low-priced imports have caused price depression on the domestic industry prices as they have forced the domestic industry to reduce its prices.
m. The examination of the economic parameters of the domestic industry show that production and sales are significantly lower as compared to the capacity and demand in India. While the market share of the domestic industry has declined over the injury period, the market share of the subject country has increased and is more than 80% of the total demand.
n. The domestic industry has been suffering from losses throughout the injury period and in the period of investigation. The loss per unit suffered is highest in the period of investigation.
o. Considering the volume of dumped imports and the degree of the demand being catered by them, the imports from China are the price setters in the domestic market. The domestic industry is forced to reduce its price and has suffered losses. Therefore, the dumped imports have impacted the prices of the domestic industry.
p. The Authority has examined the submissions made by the other parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that

material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country.

q. None of the consumer of the product in India has participated in the present investigation. While importer traders have participated and filed questionnaire response, no user questionnaire response was filed. The Authority notes that the absence of the user participation shows the lack of adverse impact of anti-dumping duty.

r. As against the demand in India, capacity with the domestic industry, other Indian producers and imports from non-dumped imports from the subject countries will be able to cater the entire demand. Demand and supply gap does not justify dumping. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at un-dumped prices.

s. Interested parties have not demonstrated how the prices of the subject goods have adversely impacted the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted quantified information establishing that the impact of the proposed antidumping duty on the user industry would be miniscule.

t. The Authority had prescribed an Economic Interest Questionnaire which was sent to all interested parties to this investigation. Two producers/ exporters from the subject country and the domestic industry have responded to the Economic Interest Questionnaire. No Economic Interest Questionnaire response has been filed by any customer. The domestic industry has also provided a quantification of the potential impact of the duty.

u. The Authority considers that the impact of anti-dumping duty on the eventual end consumers will be insignificant.

v. Considering the nature of the industry and degree of the injury suffered due to dumped imports, the Authority considers that anti-dumping duty for a period of 5 years is necessary.

144. The Authority notes that investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link, and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping Rules and having quantified the impact of imposition of ADD, the Authority is in view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of an anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.

145. Considering the product under consideration is capital goods, the assessment and collection of anti-dumping duty should be based on value of the goods rather than on any other criterion such as weight or number etc. The Authority therefore considers that it would be appropriate to recommend anti-dumping duty as a percentage of the CIF value of the import price of the subject goods.

146. In view of the above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1)(b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommend imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from China PR for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as a percentage of the CIF price of the goods, as indicated in Col. 7 of the duty table given below.

147. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Custom Tariff Act, 1975.

Duty Table

SN	**Sub Heading or Tariff Item**	**Description of Goods**	**Country of origin**	**Country of Export**	**Producer**	**Duty as % of CIF**
1	2	3	4	5	6	7
1	84561100, 84569090, 84622920, 847981999, 85152190, 85158090 and 90132000	Industrial Laser Machines, in fully assembled, SKD or CKD form, used for cutting, marking, or welding operations*	China PR	Any country including China PR	GD Han's Yueming Laser Group Co., Ltd. Han's Laser Smart Equipment Group Co., Ltd. Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. Han's MP Laser Technology Co., Ltd. Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd.	22.78%
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Yawei Machine- Tool Co., Ltd. Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd.	40.05%
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	TRUMPF (China) Co., Ltd. Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd.	Nil
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	HSG Laser Co., Ltd Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd	20.82%
5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Bystronic (Tianjin) Laser Ltd Bystronic Laser AG Bystronic (Shenzhen) Laser Technology Co., Ltd	27.86%
6	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd	77.80%

7	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jinan Oree Laser Technology Co. Ltd Shandong Oree Laser Technology Co. Ltd	80.65%
8	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Gweike Tech Co., Ltd	81.52%
10	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any, other than SN 1 to 8	135.98%
11	-do-	-do-	Any other than China PR	China PR	Any	135.98%

* *the scope of the product includes Laser Cutting Machines (LCM), Laser Marking Machines (LMM), and Laser Welding machines (LWM)*

N. FURTHER PROCEDURE

148. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.10.04 20:27:09 +05'30'